लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9—सोमवार 14 नवम्बर, 1966/23 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 9—*Monday, November*, 14, 1966/*Kartika* 23, 1888 *(Saka)*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
241.	नागा समस्या का निपटारा	Settlement of Naga Problem	1097-1100
242.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर व्यय	Expenditure on Indian Missions Abroad	1101-1103
244.	भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रचार	Pakistani Propaganda against India	1104-1106
245.	अमरीका से अखबारी कागज़ का आयात	Import of Newsprint from U. S. A.	1106-1108
246.	बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के बारे में बर्मा के साथ करार	Agreement with Burma *Re.* assets of Indians in Burma	1109-1111
248.	अमरीका द्वारा ईरान को लड़ाकू विमानों का दिया जाना	Supply of Fighter Planes by U. S. A. to Iran	1111-1114

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q.Nos.			
243.	अदन से ब्रिटेन की सेना का हटना	British withdrawal from Aden	1114-1115
249.	नागाओं द्वारा प्रयोग किये गये राकेट तथा राकेट चलाने के हथियार	Rocket and Rocket-Launcher used by Nagas	1115
250.	पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak Infiltrators	1115
251.	नेताजी जयन्ती	Netaji Jayanti . . .	1115-1116

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
252.	संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का दर्जा	Status of J. & K. State in U. N. Maps	1116-1117
253.	चीन द्वारा परमाणु विस्फोट को देखते हुए भारत की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्विलोकन	Review of India's Defence in view of Chinese Nuclear Explosion .	1117
254.	सिक्किम और भूटान में चीन की घुसपैठ	Chinese Intrusions into Sikkim and Bhutan	1117-1118
255.	सयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के बारे में फिलीपीन के राष्ट्रपति का सुझाव	Suggestion of Philippines President about U. N. Charter . .	1118
256.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डे	Naval Bases in Andaman and Nicobar Islands	1119
257.	हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में हड़ताल	Strike in H.A.L., Kanpur	1119
258.	पाकिस्तान द्वारा आण्विक हथियारों का निर्माण या प्राप्ति	Development or Acquisition of Nuclear Weapons by Pakistan . .	1119-1120
259.	चलचित्र उद्योग के लिये कोष	Funds for Film Industry	1120
260.	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का प्रव्रजन	Migration of Hindus from East Pakistan .	1120
261.	चीन और भूटान के बीच की सीमा	Boundary between China and Bhutan	1121
262.	चीन द्वारा अणुशक्ति संचालित प्रक्षेपणास्त्र का विस्फोट	Nuclear Guided Missile Explosion by China	1121-1122
263.	अमरीका द्वारा वियतनाम में विषाक्त रसायनों का प्रयोग	Use of Toxic Chemicals by Americans in Vietnam , , , ,	1122

त० प्र० संख्या
S. Q. Nos

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
264.	अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के विरुद्ध सोवियत आरोप	Soviet Charge against I. C. C.	1122-1123
265.	दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका	South West Africa	1123
266.	पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री का वक्तव्य	Statement of former Foreign Minister of Pakistan	1124
267.	एच० एफ० 24 जेट विमान	HF—24 Jets	1124-1125
268.	एशियाई एकता तथा विकास सम्बन्धी योजना	Scheme for Asian Unity and Development	1125
269.	पाकिस्तान और चीन के बीच सैनिक सहयोग	Military Collaboration between Pakistan and China	1125-1126

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

1209.	उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हवाई अड्डा	Airport in Chamoli District, U. P.	1126
1210.	नेपाल के साथ भारत का सहयोग	Indian Collaboration with Nepal	1226
1211.	रोडेशिया के विरुद्ध बल प्रयोग	Use of Force against Rhodesia	1126-1127
1212.	हिन्दुस्तानी के माध्यम से नेपाल के साथ राजनैतिक सम्बन्ध	Diplomatic Reltions with Nepal through Hindustani	1127
1213.	एशिया तथा प्रशान्त परिषद् संगठन	Organisation of Asian and Pacific Council	1127-1128
1214.	विदेशों में प्रचार कार्य में प्रवीणता	Expertise for Handling External Publicity	1128
1215.	भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा स्तम्भ	Boundary Pillars on Indo-Pak Border	1128-1129
1216.	पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा	Compensation to dependents of those killed by Pak. Infiltrators	1129-1130
1217.	समाचार एजेंसियों को ऋण	Loans to News Agencies	1130

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1218.	सीमा प्रचार में सुधार करने के लिये अनुसन्धान एकक	Research Cell to improve Border Publicity	1130-1131
1219.	अफ्रीकी एशियाई लेखकों के सम्मेलन में भारतीय लेखकों द्वारा भारत विरोधी भाषण	Anti-Indian Speeches by Indian Writers in Afro-Asian Writers Conference .	1131
1220.	भारतीय वायु सेवा के हेलीकोप्टर का दीमापुर में विवश हो कर उतरना	Forced Landing of I. A. F. Helicopter at Dimapur	1131-1132
1221.	जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स	General Reserve Engineer Force	1132
1222.	देहरादून हरिद्वार राजपथ पर ट्रक दुर्घटना	Truck accident on Dehra Dun -Hardwar Highway	1132
1223.	यूरेनियम आक्साइड संयंत्र	Uranium Oxide Plant	1133
1224.	प्रतिरक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते	Pay and Allowances of Civilian Employees in Defence Installations . . .	1133
1225.	कपड़ा मिल	Clothing Factories	1134
1226.	मिश्रित इस्पात कारखाना, कानपुर	Alloy Steel Plant, Kanpur	1134
1227.	उपग्रह द्वारा संचार	Satellite Communication System	1134-1135
1228.	जम्मू छावनी में ट्रक दुर्घटना	Truck Accident in Jammu Cantonment	1135
1229.	कानपुर में हड़ताल	Strike in Kanpur	1135-1136
1230.	नासिक के मिग कारखाने के कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Employees of Mig Factory at Nasik	
1231.	नागा समस्या के बारे में डा० हटन का सुझाव	Dr. Hutton's Suggestion about Naga Problem	1136-1137
1232.	जम्मू श्रीनगर लेह सड़क	Jammu Srinagar Leh Road	1137
1233.	श्रीनगर तथा कानपुर में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Station at Srinagar and Kanpur	1138

अ० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1234.	भारत की फिल्म संस्था	Film Institute of India	1138
1235.	पाकिस्तान के लिये चीन का प्रतिनिधिमण्डल	Chinese Delegation to Pakistan	1138
1236.	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	Indian Rare Earths Ltd.	1138-1139
1237.	अणु विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र	Inter-University Centres on Nuclear Science .	1139
1238.	कला की दृष्टि से ऊंचे दर्जे की फिल्म	Film of High Artistic Merits	1139-1140
1239.	भूतपूर्व सैनिकों के लिये मकान	Houses for Ex-servicemen	1140
1240.	परमाणु हथियारों से रक्षा की गारंटी के बारे में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य	Statement by British Prime Minister about Nuclear Guarantee	1140-1141
1241.	बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय क्षेत्र में घट-नायें	Incidents in B. H. U. Campus	1141
1242.	इलैक्ट्रोनिक पुर्जे	Electronic Components	1141-1142
1243.	जूते के डिब्बे के आकार का राडार	Shoe-Box Radar Device	1142-1143
1244.	विदेशों में स्थित भार-तीय दूतावासों की कार्य-कुशलता का विश्लेषण तथा लेखापरीक्षण	Efficiency analysis and audit of Indian Missions Abroad	1143
1245.	सयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र में संशोधन	Revision of U. N. Charter	1145
1246.	आकाशवाणी में समा-चार सेवायें	News Services of A. I. R.	1145
1247.	बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए "प्रसारण द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा" का कार्यक्रम	Programme of "University of the Air" for B.A. Students . .	1145-1146
1248.	सीमा सम्बन्धी प्रचार	Border Publicity	1146

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1249.	आदिम जातियों संबंधी कार्यक्रम का प्रसारण	Broadcasting of Tribal Programme	1146-1147
1250.	12 बोर बन्दूक के कारतूस	12-Bore Cartridges	1147
1251.	राष्ट्रमण्डल सम्मेलन में केनिया के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बातचीत	Discussion with Kenya Delegation to Commonwealth Conference	1147-1148
1252.	हल्के विमानों के इंजनों का डिजाइन तैयार किया जाना	Design of Engine for Light Planes	1148
1253.	अणु शक्ति ग्रिड	Atomic Power Grid	1148-1149
1254.	हरियाना के लिए प्रसारण केन्द्र	Broadcasting Station for Hariana	1149
1255.	निरस्त्रीकरण वार्ता में चीन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव	Move for China's Admission to Disarmament Talks	1149-1150
1256.	राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन की स्थिति	Position of Great Britain in Commonwealth	1150
1257.	नेपाल में सड़को का निर्माण	Construction of Roads in Nepal	1150-1151
1258.	प्रतिरक्षा प्रयत्न	Defence Efforts	1151
1259.	कारतूसों की कमी	Shortage of Cartridges	1151-1152
1260.	स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति	Statue of Swami Vivekananda	1152
1261.	खारतूम में भारतीय राजदूत के लिये बंगला	Bungalows for Indian Ambassador in Khartoum	1152
1262.	हज यात्री	Haj Pilgrims	1153
1263.	योजना प्रचार	Plan Publicity .	1153-1154
1264.	सूखी गोदी का डिजाइन	Design of Dry Dock	1154
1265.	टेलीविजन सेट	Television sets	1154-1155
1266.	दिल्ली छावनी में ट्रक दुर्घटना	Truck Accident in Delhi Cantonment	1155

अ० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ / PAGE
1267.	प्रतिरक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Defence Ministry	1155
1268.	सहायक एकक	Ancillary Units	1155-1156
1269.	वियतनाम के बारे में सात राष्ट्रों का सम्मेलन	Seven-nation Conference on Vietnam	1156
1270.	गोला बारूद कारखाना, किरकी	Ammunition Factory, Kirkee	1156-1157
1271.	विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कर्मचारी	Employees in Indian Missions Abroad	1157
1272.	बोत्सवाना को मान्यता	Recognition of Botswana	1157-58
1273.	प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते	Pay and Allowances of Defence Personnel	1158
1274.	हैदराबाद में इलेक्ट्रानिक कारखाना	Electronics Factory at Hyderabad	1158
1275.	चिम्रोकी स्थित केन्द्रीय आयुध डिपो में अग्नि-कांड	Fire in Central Ordnance Depot	1158-1159
1276.	एवरो परिवहन विमान	AVRO Transport Plane	1159
1277.	राष्ट्रीय रक्षा कोष	National Defence Fund	1159-1160
1278.	सैनिक समाचार का मलयालम तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशन	Sainik Samachar in Malayalam and other Languages	1160
1279.	श्रीलंका में भारत मूलक व्यापारियों के प्रति भेद-भाव	Discrimination against Businessmen of Indian Origin in Ceylon	1160-1161
1280.	पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने के बारे में पश्चिमी जर्मनी के संसद् सदस्य का वक्तव्य	Statement by West German M. P. *re.* Recognition of East Germany	1161
1281.	दक्षिण में आकाशवाणी का क्षेत्रीय निदेशालय	Regional A. I. R. Directorate in the South	1161
1282.	हथगोले का विस्फोट	Explosion caused by Hand-Grenade	1161-1162
1283.	भारत के विरुद्ध चीन का मिथ्या प्रचार	Chinese Propaganda against India	1162

2331 (ai) LSD—B

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
1285.	ब्रिटेन में नेहरू स्मारक निधि	Nehru Memorial Fund in U.K.	1162
1286.	नेपाल में बसे हुए भारतीय	Indians Settled in Nepal	1163
1287.	कलाकारों को सहायता	Help to Artistes	1163
1288.	आयुध-डिपो/कारखानों में रसोइये और पानी भरने वाले कर्मचारी	Cooks and Water Carriers in Ordnance Depots/Factories	1163-1164
1289.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ को कारतूसों की सप्लाई	Supply of Cartridges to Indian National Rifle Association . . .	1164
1290.	दलाई लामा द्वारा आकाशवाणी से प्रसारण के सम्बन्ध में अनुरोध	Request for Broadcast from A. I. R. by Dalai Lama	1164-1165
1291.	ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा की गई यात्रायें	Journeys Performed by O.Rs. on Duty .	1165
1292.	केरल के पंचायत कर्मचारियों से ज्ञापन	Memorandum from Panchayat Employees of Kerala	1166
1293.	जापान से टेलीविजन सेट	T.V. Sets from Japan	1166
1294.	राजस्थान में राष्ट्रीय सेना छात्र दल का शिविर	N.C.C. Camp in Rajasthan	1166-1167
1295.	आयुध कारखानों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ordnance Factories	1167
1296.	कलाकारों के लिये पेंशन	Pension to Artistes	1167
1298.	मैसूर के लिये सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धी योजनायें	I and B Schemes for Mysore	1168-1169
1299.	श्रीलंका में भारतीय उद्भव के पेंशन पाने वाले व्यक्ति	Pensioners of Indian Origin in Ceylon	1169

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	*Re.* Motions for Adjournment	1169
सिलीगुडी के निकट हुई रेल दुर्घटना	Railway Accident at Siliguri	1169-1170
सिलीगुडी के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Railway Accident at Siliguri	1170
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	1170
उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने के बारे में वक्तव्य	Statement *Re.* Delicensing of Industries	1173
श्री संजीवय्या . .	Shri D. Sanjivayya	1173
उपज उपकर (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Produce Cess (Amendment) Bill—*Introduced*	1173
मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक	Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Bill . . .	1174
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	1174
श्री सु० कु० डे .	Shri S.K. Dey	1174
श्री स० मो० बनर्जी .	Shri S. M. Banerjee	1176
श्री व० ब० गांधी .	Shri V. B. Gandhi	1176
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी .	Dr. L. M. Singhvi	1177
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा .	Shri Narendra Singh Mahida	1178
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal	1178
खण्ड 2 से 18 तथा 1	Clauses 2 to 18 and 1	1180
पारित करने का प्रस्ताव .	Motion to Pass	1180
कम्पनी (संशोधन) विधेयक .	Companies (Amendment) Bill	1181
विचार करने का प्रस्ताव .	Motion to Consider	1181
श्री गोपाल स्वरूप पाठक .	Shri G. S. Pathak	1181
श्री दीनेन भट्टाचार्य .	Shri Dinen Bhattacharya	1182
श्री व० ब० गांधी .	Shri V. B. Gandhi	1182
श्री स० मो० बनर्जी .	Shri S. M. Banerjee	1183
श्री गो० ना० दीक्षित .	Shri G. N. Dixit	1183
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा .	Shri Narendra Singh Mahida	1184
श्री शिंकरे .	Shri Shinkre	1184
खण्ड 2 से 4 तथा 1 .	Clauses 2 to 4 and 1	1190
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	1190

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक	Employees' State Insurance (Amendment) Bill	1187
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	1187
श्री शाहनवाज़ खां	Shri Shahnawaz Khan	1187
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1189
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pande	1190
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	1191
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharya	1192
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Narendra Singh Mahida	1193

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 14 नवम्बर, 1966/23 कार्तिक, 1888 (शक)

Monday, November 14, 1966/Kartika 23, 1885 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair.*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

नागा समस्या का निपटारा

*241. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री फिरोडिया :
श्री मधु लिमये :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किशन पटनायक :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री किन्दर लाल :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे नागा नेताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि नागा समस्या को निबटाने के लिये एक महत्वपूर्ण शर्त के रूप में नागालैंड को किसी संघर्ष में तटस्थ समझा जाये;

(ख) यदि हां, तो इस शर्त के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) दिये नागाओं से वार्ता में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) प्रधान मंत्री के साथ पिछली मीटिंग के दौरान छिपे नागाओं के शिष्टमंडल ने कहा था कि वे ऐसा कोई काम नहीं अरना चाहते जिससे भारत के हितों को हानि पहुंचे।

(ख) भारत सरकार की स्थिति सर्वविदित है। सरकार भारत संघ के बाहर नागालैंड के दर्जे पर सहमत नहीं हो सकती।

(ग) कोई खास प्रगति नहीं हुई है क्योंकि छिपे नागाओं का शिष्टमंडल किसी ठोस प्रस्ताव पर बातचीत नहीं कर सका है जिससे कि संघ के साथ राज्य के संबंध को हानि पहुंचाये बगैर उनकी आकांक्षाएं पूरी हो सकें।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने छिपे नागा नेताओं के साथ बातचीत में उनको बता दिया था कि यदि नागालैण्ड भारत संघ में रहें तो वह भारतीय संविधान के संदर्भ में नागा समस्या को सुलझाने पर जोर नहीं देंगी और यदि हां, जो सरकार के विचार में नागालैण्ड की क्या स्थिति होगी और क्या वहां सिविल तथा फौजदारी कानून पृथक रहेगा या वहां पर काश्मीर जैसी व्यवस्था होगी।

श्री दिनेश सिंह : अभी तक किसी ठोस प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई है। हमने उनको यह बात स्पष्ट कर दी है कि भारत संघ के बाहर कोई बात नहीं हो सकती। संविधान के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन यदि ऐसा कोई समझौता होता है तो सभा में वह बात रखनी पड़ेगी लेकिन मुख्य बात यह है कि जो भी समझौता होगा वह भारत संघ के भीतर होगा।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी भी हजारों नागा लोग पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और वहां से चोरी छिपे हथियार ला रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बातचीत के दौरान नागा नेताओं को यह बात स्पष्ट रूप से बता दी गयी थी कि शान्ति वार्ता तभी जारी रहेगी जब वे पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सांठ-गांठ समाप्त कर देंगे और यदि हां, तो इस बारे मे उनकी प्रतिक्रिया क्या रही ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने पिछली बार भी इस प्रश्न का उत्तर दिया था। मैंने बताया था कि हमने छिपे नागाओं को बता दिया था कि उनके लिये बाहर से कोई सहायता प्राप्त करना गलत बात है और उन्होंने कहा था कि वे कोई सहायता नहीं ले रहे हैं ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नागालैण्ड में युद्ध-विराम समझौते के साथ-साथ यह आशा की जाती थी कि स्थिति सुधरने पर वहां के लोगों में अच्छी भावना जाग्रत होगी, क्या मैं जान सकता हूं कि यह आशा कहां तक फलीभूत हुई है ?

श्री दिनेश सिंह : यह तो समझौता होने पर होगा लेकिन हमें आशा अभी है।

Shri Madhu Limaye: It has been reported in the 'Times of India' on the 12th November that:—

> "The Prime Minister told the underground Naga delegation during talks in Delhi last month that she would not insist on a settlement being within the framework of the Indian Constitution provided the State remains within the Indian Union."

Further it is reported that:—

> "The underground Nagas, these sources pointed out, had always taken the stand that enforcement of the Indian Constitution would lead

to obliteration of the Nagas as a separate ethic and cultural entity, since its civil and criminal laws were repugnant to Naga tradition and genius."

May I know whether Government are contemplating to have some such agreement with them that Nagaland would have relations with India like Sikkim and Bhutan?

Shri Dinesh Singh: No such thing is under contemplation of Givernment.

श्री स० चं० सामन्त : हाल के दौरे के समय नागा शिष्टमण्डल के व्यवहार को देखते हुए प्रधान मंत्री के साथ उनकी अगली बैठक कब और कैसे आयोजित की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : अगली बैठक की व्यवस्था तब की जायेगी जब हमें उनसे यह समाचार मिलेगा कि वे दुबारा बात करना चाहते हैं ।

Shri M. L. Dwivedi: For how long Government have agreed to maintain cease-fire and whether the second round of talks will be held during this period of peace or after the expiry of the cease-fire term? What efforts are being made by Government in this respect.

Shri Dinesh Singh: It is difficult to say as to when the next talks will be held but if Nagas wanted we shall extend the period of cease-fire.

श्री हेम बरुआ : समाचारपत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित इस समाचार को ध्यान में रखते हुए कि प्रधान मंत्री ने छिपे नागा नेताओं को बताया था कि वह भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन समझौता करने पर जोर नहीं देंगी, क्या मैं जान सकता हूं कि (क) क्या सरकार ने इस बारे में मूल्यांकन कर लिया है कि इसका उन नागा लोगों पर, जो देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं और जो भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन कार्य करना चाहते हैं, क्या विपरीत प्रभाव पड़ेगा और (ख) क्या सरकार का ध्यान छिपे नागाओं की संसद् की, जिसका अधिवेशन हाल में ही हुआ था, इस कार्यवाही की ओर दिलाया गया है कि बातचीत नागालैण्ड को स्वतंत्र और प्रभुता-सम्पन्न राष्ट्र बनाने पर आधारित होनी चाहिये और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : भाग (ख) के उत्तर में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि सरकार भारत संघ के बाहर नागालैण्ड को कोई दर्जा देने पर सहमत नहीं हो सकती ।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के भाग (क) का क्या उत्तर है ?

श्री दिनेश सिंह : श्री प्र० चं० बरुआ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं इस बारे में बता चुका हूं ।

श्री हेम बरुआ : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट था ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने शुरू में ही कहा था कि संविधान के अनुरूप कार्य न करने का कोई प्रश्न नहीं है । हमे सभी को संविधान के अनुरूप कार्य करना है । लेकिन अगर हमें नागालैण्ड की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने पड़े तो हमें सभा की अनुमति लेनी होगी । लेकिन इस समय मुख्य बात यह है कि नागालैण्ड के बारे में भारत संघ के भीतर रहने पर ही समझौता हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के बारे में बताया है और वह यह जानना चाहते हैं कि क्या इसमें कोई सचाई है और क्या सरकार ने इसका उन नागाओं पर, जो सरकार का साथ दे रहे हैं, पड़ने वाले प्रभाव के बारे में विचार कर लिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव (श्री सु० च० जमीर) : जहां तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है, हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि कोई ऐसा समझौता करने के लिये जो मान्य और संतोषजनक हो और भारत सरकार और छिपे नागा नेताओं को स्वीकार्य हो, हम बीच में नहीं पड़ेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पहली बात तो मंत्री महोदय ने यह बतानी है कि क्या प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा था ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि सैकड़ों बार इस सभा में यह आश्वासन दिया गया है कि समझौता संविधान के उपबंधों के अधीन होगा ? क्या इस बात से पलटा जा रहा है और यदि हां, तो क्यों ? इससे नागाओं के दुखी होने के अतिरिक्त हम भी दुखी हैं ।

श्री दिनेश सिंह : कोई वचन नहीं दिया गया है । किसी सदस्य को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है । किसी ठोस प्रस्ताव पर बातचीत नहीं हुई और इसलिये सिवाय इसके कि समझौता भारत संघ में रह कर ही होगा, कोई अन्य विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार में कोई सचाई है ?

श्री दिनेश सिंह : ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है ।

श्री अ० चं० गुह : क्या ऐसी कोई पेशकश की गई थी कि संविधान के उपबंधों के बाहर भी समझौता हो सकेगा ? इस बात का उन्होंने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मंत्री महोदय को याद है कि इस सभा में आधी दर्जन से अधिक बार यह कहा गया है कि जो भी समझौता होगा वह संविधान के उपबंधों के अधीन होगा ? यदि हां, तो क्या वह फिर उसी बात को कहने को तैयार नहीं है या इस आश्वासन के विपरीत कार्य किया जा रहा है ? हम इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहते हैं । यह दल का मामला नहीं है ।

श्री दिनेश सिंह : मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम संविधान के अनुसार ही कार्य करेंगे और संविधान से परे काम करने का कोई प्रश्न नहीं है । हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि नागालैण्ड में एक स्थानीय सरकार है जो संविधान के अनुसार चल रही है । यदि छिपे नागा राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुरूप कार्य करने को सहमत हैं तो फिर किसी और बातचीत की कोई आवश्यकता नहीं है । यदि वे कुछ थोड़ा सा परिवर्तन चाहें और जिससे भारत संघ से उनका सम्बन्ध भी बना रहे तो फिर उस बात पर विचार करना होगा । लेकिन यदि आप कोई वचन लेना चाहते हैं तो भी हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि इस समय इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के बजट प्राक्कलन . . .

अध्यक्ष महोदय : हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि मंत्रियों के विभागों में कुछ तब्दीलियां की गई हैं। सभा-नेता यह बतायें कि क्या तब्दीलियां की गई हैं और नये मंत्रियों का परिचय दें। अचानक ही मंत्री महोदय खड़े होकर उत्तर देने लगते हैं।

सभा-नेता (श्री सत्य नारायण सिंह): मुझे खेद है। मुझे ऐसा पहले करना चाहिये था। अब श्री मु० क० चागला वैदेशिक-कार्य मंत्री हैं। वैदेशिक-कार्य मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह अब प्रतिरक्षा मंत्री हैं। गृह-कार्य मंत्री श्री नन्दा के स्थान पर श्री यशवन्तराव चह्वाण को गृह-कार्य मंत्री नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय श्री फखरुद्दीन अहमद को सौंपा गया है।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों पर व्यय

+

242. श्री ही० ना० मुकर्जी :
डा० रानेन सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय दूतावासों पर व्यय कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है;

(ख) इस दिशा में कहां तक सफलता मिली है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों के बजट अनुमान मितव्ययिता के आधार पर तैयार किये जाते हैं और किफायत करने के लिए 5 प्रतिशत से लेकर 15 प्रतिशत तक की कटौती की गई है। इसके अतिरिक्त, सभी मिशनों को निर्देश है कि वे कर्मचारियों पर और कार्यालय के रख-रखाव पर खर्च में किफायत से काम लें।

(ख) विदेशों में हमारे मिशन जितनी किफायत हो सकती है, पहले ही करते हैं। अगर खर्च में और कमी की गई तो इससे उनके काम पर बुरा असर पड़ेगा। वित्त वर्ष का लेखा सुलभ हो जाने पर ही परिणामों को अंकित करना सम्भव हो सकेगा।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : श्रीमन्, अनुवाद व्यवस्था में कोई गड़बड़ी है। हमें केवल हिन्दी पाठ ही सुनाई पड़ता है और अंग्रेजी पाठ नहीं सुनाई पड़ता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच कराऊंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग के बारे में व्यय में 10 प्रतिशत कमी करने की योजना थी लेकिन यह कटौती अब फिर पूरी कर दी गई है और हम एक ऐसे संस्थान पर अधिक धन खर्च कर रहे हैं जो भारतीय नागरिकों की दृष्टि में जो फिजूल का संस्थान है ?

श्री मु० क० चागला : मुझे वहां पर किये जा रहे काम का कुछ ज्ञान है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मिशन है। वहां भी भारतीय नागरिक बहुत हैं। हम वहां पर बहुत प्रचार करना चाहते हैं और कार्य-कुशलता देखते हुए बचत की जानी है। यह बड़ा आवश्यक है कि हमारे दूतावास हमारी नीति और विचारों का समाचारपत्रों और जनता में प्रचार करें और लन्दन बड़ी महत्वपूर्ण विश्व-राजधानी है। यदि कोई अनुचित बचत की गई तो इससे हमारी विदेश नीति को धक्का लगेगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । कुछ समय पहले बताया गया था कि लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग के व्यय में दस प्रतिशत की कमी की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बचत क्यों छोड़ दी गई है जब कि विदेशी मुद्रा की स्थिति बड़ी खराब है और वह भी ऐसे उच्चायोग के बारे में जिसके बारे में भारतीय नागरिक यह समझते हैं कि यह फिजूल का संस्थान है ?

श्री मु० क० चागला : मैं यह बात नहीं मानता कि लन्दन स्थित हमारा उच्चायोग फिजूल का संस्थान है । पूर्व सूचना दिये मैं कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : जब देश में हमारे इतने सारे दूतावास आदि हैं तो क्या विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए सभी ओर व्यय में बचत करने के बारे में कोई यत्न किया गया है ।

श्री मु० क० चागला : हमने अपने मिशनों के कार्य का सर्वेक्षण किया है और उनकी कार्य-कुशलता को ध्यान में रखकर और इस बात को ध्यान में रखकर कि वहां पर देश के हित में काम हो जो भी बचत सम्भव हो सकती है, करने का प्रयत्न किया है । इसमें लन्दन स्थित उच्चायोग भी शामिल है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या यह सच है कि विभिन्न दूतावासों और उच्चायोगों पर किया जा रहा व्यय उनके काम के महत्व के अनुरूप नहीं है और कुछ उच्चायोग के व्यय में बड़ी असमानता है उदाहरण: लन्दन स्थित उच्चायोग ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे व्यय उनको सौंपे गये कार्य की महत्ता के अनुरूप ही हो ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात से सहमत हूं कि अपने सभी मिशनों का कार्य सुव्यवस्थित करना चाहिये और हमें इन मिशनों की कार्य कुशलता के बारे में विचार करना चाहिये और इसमें सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिये । हम इसी काम में लगे हुए हैं और मुझे आशा है कि शीघ्र ही सभा को इस बारे में संतोष हो जायेगा कि किसी मिशन पर जो भी व्यय किया जा रहा है वह अच्छे कार्य के लिये और देश के हित में व्यय किया जा रहा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that whatever money is spent on Indian Embassy in Russia, that is not spent properly and the whole amount is spent on publicity there?

श्री मु० क० चागला : जी, नहीं । एक ऐसा संगठन है जो हर मिशन के व्यय पर नियंत्रण रखता है और इस बारे में हम बड़े सावधान हैं कि सीमा से परे और किसी अन्य कार्य पर एक पैसा भी खर्च न हो ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : मंत्री महोदय के कथन को देखते हुए, क्या मैं जान सकती हूं कि क्या उनको यह बात मालम है कि पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान ब्रिटेन स्थित हमारे उच्चायोग ने उतना कार्य नहीं किया जितना उसको करना चाहिये था ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं । यह मिशन बहुत बड़ा है और यह कई समस्याओं के बारे में कार्य करता है । इसको हजारों भारतीयों के हितों की देखभाल करनी होती है और जहां तक मुझे पता है इसने बड़ा अच्छा और कुशलतापूर्वक कार्य किया है ।

श्री नाथ पाई : इस सभा को और देश को इस बारे में चिन्ता नहीं है कि इतना धन व्यय किया जाता है लेकिन चिन्ता अधिकांश मिशनों के आडम्बरपूर्ण ढंग से कार्य करने के बारे में है । स्वर्गीय

श्री जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में यह आश्वासन दिया था कि इस बारे में नियंत्रण रखने के लिये वह संसद् को विश्वास में लेंगे और दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति द्वारा मिशनों के कार्य की जांच कराई जायेगी ।

उन को शायद यह पता न हो, परन्तु मैं उन्हें स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के शब्दों की याद दिलाता हूं । इस संबंध में उन का क्या करने का विचार है ? हमें ज्ञात है कि एक समिति इस बारे में विचार कर रही है । हम जानना चाहते हैं कि इन मिशनों पर संसदीय नियंत्रण किस प्रकार लागू किया जाता है ।

श्री मु० क० चागला : हमारे मिशनों की कार्यप्रणाली गुप्त नहीं है । कोई संसद् सदस्य यदि वहां जा कर उन के कार्य को देखना चाहे, तो मैं उसका स्वागत करूंगा । मुझे विश्वास है कि बहुत से संसद् सदस्य विदेशों में गये हैं और उन्होंने हमारे मिशनों के कार्य को देखा है । कुछ संसद् सदस्य उस शिष्टमण्डल में शामिल थे, जो लन्दन गया था । यदि उनको वहां पर कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी हो जिसकी आलोचना हो तो उन्हें वैदेशिक कार्य मंत्रालय को बताना चाहिये था कि वहां यह काम ठीक नहीं हो रहा है । मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि हमारे किसी मिशन के काम के बारे में कोई आलोचना की जायेगी तो मैं उस का स्वागत करूंगा और उस पर स्वयं गौर करूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री महोदय ने कहा है कि कोई भी संसद् सदस्य विदेश जा कर हमारे मिशनों के कार्य का निरीक्षण कर सकता है, परन्तु क्या उन को पता है कि संसद् सदस्यों के साथ वहां उचित व्यवहार नहीं किया जाता ? आप ने स्वयं इस बारे में शिकायत की थी ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शांति । श्री आल्वा ।

श्री जोकीम आल्वा : यमन तथा मंगोलिया आदि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां हमारी बात ध्यान से सुनी जाती है । जबकि लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय में हजारों आदमी काम कर रहे हैं, मंगोलिया में केवल आधा दर्जन तथा यमन में एक भी व्यक्ति नहीं भेजा गया है । जबकि लन्दन के हमारे उच्चायोग में हज़ारों व्यक्ति काम करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हम इस प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते कि किस मिशन में कितने कर्मचारी होने चाहियें ।

श्री शिंकरे : प्रश्न के यमन तथा मंगोलिया से संबंधित भाग का उत्तर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को तो वही पूछ सकते थे, दूसरे सदस्य के खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती सावित्री निगम : यदि किसी मिशन द्वारा फजलखर्ची की जा रही है, तो मैं उसे समाप्त करने के विरुद्ध नहीं हूं, परन्तु क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि धन के अभाव के कारण बहुत से मिशनों के कार्य में काफी बाधा पड़ रही है ? क्या उन मिशनों के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वे सुचारु रूप से काम कर सकें ? सरकार ने इस संबंध में कोई विचार किया है अथवा नहीं ?

श्री मु० क० चागला : मेरी बड़ी मुश्किल है एक ओर तो मुझ से मितव्ययिता करने के लिये कहा जा रहा है तथा दूसरी ओर माननीय सदस्या अधिक खर्च करने को कह रही हैं ।

भारत के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा प्रचार

+

244. श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान द्वारा विदेशों में किये जा रहे इस प्रचार की जानकारी है कि भारत आण्विक हथियार बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसक बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस प्रकार के प्रचार का खण्डन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह बड़े खेद की बात है कि ताशकंद घोषणा के बावजूद इस तरह का झूठा प्रचार किया जा रहा है।

(ग) विदेश-स्थित हमारे मिशनों ने पाकिस्तानी प्रचार की काट की है और परमाणु शक्ति का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करने की भारत सरकार की नीति फिर दोहराई है।

श्री रा० बरुआ : क्या बहुत से भारतीयों को, जो अमरीका तथा विशेषतया ब्रिटेन में रह रहे हैं भारत की घटनायें नहीं बताई जाती हैं और यदि हां, तो उन लोगों को भारत की घटनाओं की जानकारी देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वे भी भारत सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम कर सकें ?

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न परमाणु नीति से कुछ अधिक बड़ा है। जैसा कि मैं इस सभा में कई बार बता चुका हूं उन्हें हमारे मिशनों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पुस्तकों तथा यहां से भेजे जाने वाले समाचारपत्रों एवं पुस्तकों के माध्यम से भारत की घटनाएं बताई जाती हैं। मैं इस सभा में उन पुस्तकों का ब्यौरा दे चुका हूं।

श्री रा० बरुआ : क्या विदेशों में किये जा रहे हमारे प्रचार कार्य का कोई मूल्यांकन किया जायेगा और यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री दिनेश सिंह : इस समय कोई पुनर्विलोकन करने का प्रस्ताव नहीं है। परन्तु जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है पिल्ले समिति पहले से ही इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री नि० रं० लास्कर : पाकिस्तानी प्रचार का खण्डन करने के अतिरिक्त, क्या सरकार परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : जी हां, इस संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र संघ तथा निःशस्त्रीकरण समिति में भी अन्य देशों का सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

Shri Yashpal Singh: May I know whether Government are aware that Pakistan is propagating since last week that Indians will kill themselves on the question of banning cow slaughter and as such no more attack on India is necessary and if so, the steps taken by Government to counteract this Pakistani propaganda or to tell them that we are united and not divided?

Mr. Speaker: This question relates to atomic weapons.

Shri Yashpal Singh: I wanted to know the action taken by Government of India to counteract Pakistani propaganda which is being made against us.

Mr. Speaker: I have told the hon. Member that this question relates to the production of atomic weapons.

श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान अपना पहला अणु बम 1968 तक बना लेगा और यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि पाकिस्तान द्वारा यह प्रचार कि भारत अणु बम बना रहा है केवल इसलिये किया जा रहा है ताकि वह 1968 तक अणु बम बनाने की बात को छिपा सके ?

श्री दिनेश सिंह : यह बहुत हद तक संभव है ।

श्री बासप्पा : क्या सरकार को मालूम है कि पाकिस्तान इस हद तक प्रचार कर रहा है कि अमरीकी विश्वविद्यालयों में फिल्में दिखाई जा रही हैं, जिन में दिखाया जा रहा हैं कि गत सितम्बर के संघर्ष में भारत की अपेक्षा पाकिस्तान अधिक सफल हुआ था और यदि हां, तो इस प्रचार का खण्डन करने के लिए वाशिंगटन स्थित हमारा दूतावास क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : मुख्य प्रश्न से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । यह कहना बहुत कठिन है कि पाकिस्तान हमें बदनाम करने के लिए किस समय तथा किस प्रकार प्रचार करेगा तथा उस सीमा तक वह जो चित्र पेश करना चाहते हैं, उसे पेश करने के लिए वह सब प्रकार के प्रचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं । परन्तु हमें जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, सरकार तुरन्त उसका खण्डन करने का प्रयत्न करती है और इसके लिए या तो उस अभिकरण से सम्पर्क स्थापित किया जाता है अथवा उसका खण्डन प्रकाशित किया जाता है । जहां तक इन फिल्मों का प्रश्न है, मैं जानकारी प्राप्त किये बिना कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Mr. Speaker, we are not hearing the Hindi translation. We have been pointing it out since long. We are not following as to what is going on in the House.

Mr. Speaker: Formerly English translation was not being heard. If Hindi translation is not being heard now, the apparatus is being set right and you will hear Hindi translation.

श्री नाथ पाई : माननीय राज्य मंत्री ने कहा है कि सम्भवत: पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रचार कर रहा है । चूंकि माननीय मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि हो सकता है पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने अथवा प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को छिपाने के लिए यह सब कुछ कर रहा हो, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के अनुमान के अनुसार पाकिस्तान अणु बम बनाने अथवा प्राप्त करने में कहां तक सफल हुआ है ? क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है ?

श्री दिनेश सिंह : यह कहना तो बहुत कठिन है कि पाकिस्तान इस सम्बन्ध में क्या कर रहा है । केवल इसके कि पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है और उससे वह या तो चीन से परमाणु हथियार प्राप्त करेगा अथवा चीन के सहयोग से परमाणु हथियार बनायेगा । जहां तक अन्य देशों के सहयोग का सम्बन्ध है उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान में अणु बम बनाने के लिए कोई समझौता नहीं किया गया है ।

श्री बाकर अली मिर्जा : चीन के दूसरे परीक्षण को देखते हुए तथा परमाणु निरस्त्रीकरण की भारत की नीति को देखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि खतरे की वास्तविकता की जांच करने के लिए तथा खतरे का राजनैतिक एवं सैनिक स्तर पर मुकाबला करने के लिये क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय अथवा प्रतिरक्षा मंत्रालय में कोई अनुभाग स्थापित किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न यहां संगत नहीं है। यह बिलकुल भिन्न प्रश्न है ।

श्री नाथ पाई : मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं। वह कहते हैं कि वह ऐसा नहीं समझते, परन्तु "टाइम्स आफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है.....

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। माननीय सदस्य किसी और तरीके से यह प्रश्न उठा सकते हैं।

श्री नाथ पाई : बहुत अच्छा। मैं आधे घंटे की चर्चा का नोटिस दूंगा।

अमरीका से अखबारी कागज का आयात

+

*245. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री ब० कु० दास :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका से, सहायता संसाधनों में से, अखबारी कागज का आयात करने में होने वाली कठिनाइयों की जांच की है ;

(ख) क्या आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से छपाई की मशीनें तथा अन्य पुर्जे बनाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या सरकार ने पहले से प्रकाशित हो रही पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों को निर्धारित आकार (स्टेंडर्ड साइज़) के 16 पृष्ठ रखने की अनुमति देने और उन्हें अपेक्षित मात्रा में अखबारी कागज देने का निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) छपाई की मशीनों को बनाना एक विशिष्ट उद्योग है, जिसमें विशेष शिल्पिक जानकारी की जरूरत है, और नये आविष्कारों से प्रचलित डिजाइनों के बेकार होने का काफी खतरा है, अतः इस क्षेत्र में विकास की गति धीमी रही है। उद्योग मंत्रालय ने अनेक फर्मों को, विदेशी फर्मों के सहयोग से, विभिन्न प्रकार की छपाई की मशीनें और सम्बन्धित उपकरण बनाने की इजाजत दी है। उक्त मंत्रालय ने, संसद् सदस्य श्री पी० आर० रामकृष्ण की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया है, जो छपाई मशीनों के बनाने की वर्तमान क्षमता पर विचार कर, सरकार को यह राय देगा कि छपाई की मशीनों के निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं।

(ग) यह निर्णय किया गया है कि पुराने दैनिकेतर पत्रों को भी, अनुमति दे दी जाये कि यदि वे चाहें तो अपनी पृष्ठ संख्या, दैनिक-समाचार-पत्रों के निर्धारित आकार के 16 पृष्ठ तक और प्रचार संख्या 10000 तक बढ़ा सकते हैं। दैनिक समाचार-पत्रों के पृष्ठों में वृद्धि के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने छोटे सामयिक पत्रों तथा पत्रिकाओं के लिए नेपा के अखबारी कागज की बजाय आयातित अखबारी कागज का नियतन करने के लिए कार्यवाही की है ?

श्री राज बहादुर : हमारा प्रयत्न यह होता है कि जहां तक सम्भव हो छोटे तथा मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों को अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें और अखबारी कागज का नियतन करते समय यह विशेष सिद्धांत ध्यान में रखा जाये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि छोटे सामयिक पत्रों तथा पत्रिकाओं को बहुत से बड़े समाचार पत्रों के साथ कठिन प्रतियोगिता करनी पड़ती है, उन्हें क्या क्या विशेष सुविधायें और विशेषतया सरकारी विज्ञापनों के नियतन के सम्बन्ध में क्या विशेष सुविधा दी गई है ?

श्री राज बहादुर : हमने कुछ कदम उठाये हैं, जिन से अब उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक तथा वर्गीकृत विज्ञापन दिये जाते हैं। इससे उन्हें कुछ राहत होगी। मैं यह नहीं कहता कि यह कार्यवाही पर्याप्त है। हमें कुछ अन्य उपाय भी करने हैं।

श्री ब० कु० दास : अखबारी कागज के कोटों का नियतन करते समय आयातित तथा देसी अखबारी कागज का वितरण किस प्रकार किया जाता है ?

श्री राज बहादुर : अखबारी कागज के कोटे का नियतन परिचालन के आधार पर किया जाता है। जहां तक छोटे पत्रों का सम्बन्ध है हम यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करते हैं कि उन्हें उनकी सब आवश्यकताओं के अनुसार अखबारी कागज दिया जाये और उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सफेद कागज पर निर्भर न होना पड़े।

श्री महेश्वर नायक : इस बात को देखते हुए कि पुरानी पत्रिकाओं तथा दैनिक समाचार पत्रों को उनकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अखबारी कागज दिया गया है, क्या कारण है कि वे पृष्ठों की संख्या में वृद्धि नहीं कर रहे हैं अथवा अपने मूल्य कम नहीं कर रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है जिससे वे अपने पृष्ठों की पत्रिकाओं आदि की संख्या में वृद्धि करें अथवा मूल्यों में कमी करें ?

श्री राज बहादुर : जहां तक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूं हमने उन्हें अनुमति दे दी है कि वे अपनी पृष्ठ संख्या 16 पृष्ठों तक तथा प्रचार संख्या 10,000 तक बढ़ा सकते हैं।

जहां तक दैनिक समाचार पत्रों का सम्बन्ध है उनकी माँग अन्य प्रकार की है अर्थात वे चाहते हैं कि पृष्ठ संख्या को नियंत्रित तथा सीमित किया जाना चाहिए। वास्तव में हमें इसकी सारी कहानी का पता है और मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister has stated that advertisements are given to all papers. But I want to point out that partiality is shown to those newspapers who always praise foreign countries and publish foreign news or to those papers which are brought out in English, while Hindi newspapers are given smaller share of advertisements. May I know whether this statement is correct?

Shri Raj Bahadur: No, this is not correct.

Shri M. L. Dwivedi: The hon. Minister has stated in reply to part (b) of the question that printing machinery will be manufactured in the country and the work relating thereto is in progress. May I know the names of foreign firms with whose collaboration printing machinery will be manufactured and what will be trye of printing machinery to be manufactured here and by what time it will be manufactured?

Shri Raj Bahadur: So far as the question of manufacture of printing machinery is concerned, it relates to the Ministry of Industry. But I have a list with me which contains this information. If you want, I can read it, but it is too long.

Shri M. L. Dwivedi: It may be laid on the Table of the House.

श्री हेम बरुआ : क्या आगामी आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समाचारपत्रों को अखबारी कागज का कोई विशेष कोटा दिया है और यदि हां, तो अखबारी कागज़ का कितना विशेष कोटा दिया गया है ?

श्री राज बहादुर: समाचार पत्रों की अखबारी कागज की अधिक मांग को पूरा करने के लिये विशेष प्रबन्ध किया गया है और इसके लिए 5,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज का विशेष प्रबन्ध किया गया है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री को इस शिकायत का पता है कि बहुत से समाचार पत्र अखबारी कागज के अपने पूरे कोटे का उपयोग नहीं कर रहे हैं तथा उसे वे काले बाज़ार की दरों पर बेच रहे हैं, जबकि छोटे समाचार पत्र अखबारी कागज की कमी के कारण कठिनाई में हैं और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये उचित वितरण किया जाये तथा इस कदाचार को रोका जाये, मंत्री महोदय का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु ये शिकायतें दो तरह की हैं । छोटे समाचार पत्रों का कहना है कि बड़े समाचार पत्र अपने पूरे कोटे का उपयोग नहीं कर रहे हैं, जब कि बड़े समाचार पत्र कहते है कि छोटे समाचारपत्र ऐसा कर रहे हैं । प्रत्येक मामले में हम जांच के परिणामों के आधार पर कार्यवाही करते हैं ।

Shri Bagri: Has it come to the notice of the hon. Minister that quota-paper is sold in blackmarket and if so, the number of such cases and the action taken thereon.

Shri Raj Bahadur: As I have already stated that there are such complaints and investigations are made on those complaints. When it is proved that a particular complaint is correct, then action is taken against the concerned paper. The quota of the concerned paper is either reduced or it is stopped altogether and other actions are also taken against that paper.

बर्मा में भारतीयों की सम्पत्ति के बारे में बर्मा के साथ करार

*246. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 25 जुलाई, 1966 के तारांकिश प्रश्न संख्या 24 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्मा सरकार के साथ भारतीयों की उस चल तथा अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जिसे वे लोग आते समय वहां छोड़ आये थे, इस बीच कोई करार हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं। इस मामले पर अभी बर्मा सरकार के साथ बातचीत चल रही है।

(ख) चूंकि यह बातचीत गोपनीय किस्म की है, इसलिए अगर इस समय इसका विवरण बताया गया तो हो सकता है कि बातचीत के परिणाम पर इसका बुरा असर पड़े।

Shri Bagri: It is a very old question. The question of repatriates of Burma and their property is still hanging. By what time this agreement will be arrived at. Is there any time limit for this? Will some result come out of these discussions or it is only dilly-dallying?

Shri Dinesh Singh: I may assure the hon. Member that there is no dilly-dallying from our side so far as this matter is concerned. We are trying to settle this matter at the earliest. This matter has been discussed with the Burmese Government several times and our officers went there and held discussions with them. But so far as we have not been able to arrive at any settlement for which we are very sorry.

Shri Bagri: Is the hon. Minister aware that the Indians deported from Burma include such women who were arrested in connection with their ornaments, and that even women have not been spared from these arrests and some have even died in jails? Is it not a fact that a man named Poddar who was 70 years old died in a jail in Burma?

Burma is our neighbour and also our friend. Keeping this in view, what is the reason behind this maltreatment of Indians there? While Burmese Government can take such stern action, this Government is watching helplessly and cannot even defend its nationals.

Shri Dinesh Singh: Mr. Speaker, this matter has been discussed in this House several times and you are fully aware of that. It is very difficult for me to reply to all these things in a short time. The hon. Member has not raised any new thing and all these things have been discussed here threadbare.

Shri Bagri: Is the Minister aware of deaths of Indians in prisons in Burma?

Mr. Speaker: The hon. Member wants information about Shri Poddar's death there.

Shri Dinesh Singh: I cannot give this information off-hand If you wish, I shall enquire and furnish this information later on.

Shri Bagri: There is limit to ignorance. He is a big fool (Mahamoorkha):

Mr. Speaker: The hon. Member should withdraw this word.

Shri Bagri: I withdraw it and instead call him grossly ignorant.

श्री प्रिय गुप्त : तारांकित प्रश्न संख्या 246 को जांच पड़ताल के पश्चात् तथा यह जानते हुए कि इस पर इस प्रकार के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, स्वीकार किया गया है । इसलिये मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि यह प्रश्न ग्राह्य नहीं है और इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता? यदि वे जो कुछ कहते हैं वह ठीक है तो फिर इसे स्वीकार ही क्यों किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है ।

Shri Yashpal Singh: May I know the manner in which compensation will be paid to persons who have been deported from Burma and whose big properties are being confiscated by the Government of Burma? How many of them have been rehabilitated and how many are yet to be rehabilitated?

Shri Dinesh Singh: A complete statement about the help being rendered by the Government to rehabilitate them here has already been laid on the Table of the House during the last session.

Shri M. L. Dwivedi: Have Government any information about the movable and immovable property left by Indians in Burma? What is the basis on which the Burmese Government has agreed to pay compensation to the Indians? Are they not going to pay any compensation at all?

Shri Dinesh Singh: Nothing has been agreed to as yet. All these things are being discussed with them. The hon. Member has deferred to movable and immovable property. The current discussion is mainly on immovable property. The House is fully aware of the position regarding movable property.

Shri M. L. Dwivedi: I want to know the details of movable and immovable property.

Shri Dinesh Singh: It is very difficult for me to give these details now.

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच नहीं है कि अधिकतर चल सम्पत्ति वहां पर भारती दूतावास में रखी हुई थी ? यदि हां, तो फिर सरकार इन चीजों का अनुमानित मूल्य क्यों नहीं बताना चाहती है ?

श्री दिनेश सिंह : मुख्य बात, जैसा कि मैंने पहले बताया था, यह है कि जो लोग अपनी सम्पत्ति पीछे छोड़ कर आए हैं उन्होंने उसका सामान्य अनुमान बताया है । हमारा अनुमान कुछ है और बर्मा सरकार का अनुमान कुछ है उनमें अन्तर है । हमारी राय में उसका जो वास्तविक मूल्य है वह हम इस समय बताना उचित नहीं समझते क्योंकि हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि लोगों द्वारा जो सम्पत्ति छोड़कर आए हैं, बताया गया मूल्य गलत है । यह सब अन्तिम समझौते पर निर्भर करता है ।

श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को ऐसे मामलों की भी जानकारी है कि कुछ भारतीयों ने अपनी आस्तियों को बचाने के लिए बर्मा की नागरिकता स्वीकार कर ली थी और इसके परिणाम-स्वरूप वे तभी से बर्मा की जेलों में बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनका संकट दूर करने के लिये कोई कार्यवाही कर सकती है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे विदेशों में रहने वाले भारतीयों के विरुद्ध ऐसे अनुचित आरोप न लगायें ।

श्री कपूर सिंह : मैं ऐसे निश्चित मामले बता सकता हूं ।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने कहा है कि भारतीयों ने अपनी सम्पत्ति बचाने के लिये बर्मा की नागरिकता स्वीकार कर ली है । यह बिल्कुल गलत है । केवल उन्हीं लोगों ने बर्मा की नागरिकता स्वीकार की है जो वहां रहना चाहते थे ।

श्री कपूर सिंह : माननीय मंत्री ने मेरे मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । जिन लोगों ने बर्मा की नागरिकता स्वीकार की थी, चाहे उन्होंने वह किसी कारण भी स्वीकार की हो, वे आज बर्मा की जेलों में सड़ रहे हैं । क्या सरकार उनकी परेशानी दूर करने के लिये कोई कार्यवाही कर सकती है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिये कि उस राज्य तथा उस एक नागरिक के मामले में हम कैसे दखल दे सकते हैं ।

श्री रा० बरुआ : वहां से कुल कितने भारतीय वापिस आ रहे हैं और उनमें से कितने व्यापारी हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इस बारे में कुछ जानकारी सभा को पहले ही दी जा चुकी है । परन्तु मैं उनका अनुपात एकदम नहीं बता सकता हूं ।

अमरीका द्वारा ईरान को लड़ाकू विमानों का दिया जाना

+

*248. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अमरीका के इस नये प्रयत्न का पता है कि वह ईरान को बड़ी संख्या में अतिस्वन (सुपरसोनिक) लड़ाकू विमान, अन्तर्रोधक विमान तथा वायु से वायु में चलने वाले प्रक्षेपणास्त्र बेच रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अमरीकी सरकार से कोई ऐसा आश्वासन मांगा है कि ये विमान तथा प्रक्षेपणास्त्र पाकिस्तान में नहीं पहुंचेंगे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या अमरीका सरकार ने हमें ऐसा आश्वासन दिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) सरकार को मालूम है कि अमरीका की सरकार ईरान को कुछ अतिस्वन लड़ाकू विमान दे रही है । ऐसे अपुष्ट समाचार हैं कि ईरान ने हवा से हवा में मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्र लेने के लिए भी अमरीका के साथ लिखा-पढ़ी की है ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान द्वारा सुनिश्चित रूप से हथियार इकट्ठे करने के खतरों की ओर हमने अमरीका सरकार का ध्यान बराबर आकर्षित किया है ; साथ ही इस बात का खतरा भी बता दिया गया है कि अमरीकी हथियार तीसरे देशों से होकर पाकिस्तान जा सकते हैं । हमें यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि अमरीका द्वारा उधार अथवा अनुदान के रूप में दिए गए कोई भी हथियार उनकी स्पष्ट अनुमति के बगैर किसी तीसरे देश को नहीं भेजे जा सकते । हम समझते हैं कि अमरीका इस शर्त का पालन करना चाहता है और इसलिए हम विश्वास करते हैं कि अमरीका के जो हथियार तीसरे देशों को दिए जाएंगे, वे पाकिस्तान नहीं जाएंगे ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : अमरीकी सरकार द्वारा दिये गये इस आश्वासन का हम स्वागत करते हैं कि ये हथियार पाकिस्तान नहीं भेजे जायेंगे । यदि ईरान किसी अन्य देश के माध्यम से इन लड़ाकू विमानों तथा मिसाइलों को पाकिस्तान को दे देता है तो इस तरह की चीज को रोकने के लिये हमें क्या गारंटी दी गई है ?

श्री मु० क० चागला : यदि ईरान अमरीका से हथियार प्राप्त करके उन्हें पाकिस्तान को दे देता है तो वह उन शर्तों का उल्लंघन होगा जिनके आधार पर अमरीका ने वे हथियार दिये हैं । इस बारे में हमने अमरीका से बातचीत की थी और हमें स्पष्ट आश्वासन दिया गया है कि कोई देश जिसे अमरीका द्वारा हथियार दिये गये हैं, उन हथियारों को किसी अन्य देश को अमरीकी सरकार की सहमति के बिना नहीं दे सकता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच नहीं है कि हाल ही में अमरीका ब्रिटेन की सहमति तथा सहयोग से पाकिस्तान तथा ईरान के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है जिससे उनकी सैनिक शक्ति बढ़ाई जा सके और जब ब्रिटेन 1968 में खाड़ी क्षेत्र से अपनी फौजें हटा लेता है तो ये दोनों देश मिलकर उस क्षेत्र में दीवार का काम दे सकें और इससे भविष्य में भारत तथा पाकिस्तान के बीच संघर्ष उत्पन्न होने की अवस्था में पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जायेगा ? क्या यह बात अमरीका के ध्यान में लाई गई थी और यदि हां, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ?

श्री मु० क० चागला : मुझे पूर्ण आशा है कि माननीय सदस्य की आशंकाए बेबुनियाद हैं । फिर भी हम बार बार अमरीका को पाकिस्तान को हाथियार देने से उत्पन्न होने वाले खतरे तथा उसके परिणामों के बारे में जतलाते रहते हैं ।

श्रीमती सावित्री निगम : मेरा स्वयं का अनुभव यह रहा है कि अमरीका द्वारा दिये गये आश्वासनों के बावजूद पाकिस्तान स्थित अमरीकी अड्डों का हमारे विरुद्ध प्रयोग किया जाता रहा है और कई देशों के माध्यम से सेबर जेट विमान पाकिस्तान पहुंचा दिये गये इसलिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि क्या ये गारंटियां पर्याप्ति हैं, और यदि नहीं, तो किसी देश को अन्य देशों को ये खतरनाक हथियार बेचने की अनुमति न देने का प्रश्न निरस्त्रीकरण आयोग की बैठक में क्यों नहीं उठाया गया ?

श्री मु० क० चागला : राजनयिक परम्परा यह है कि जब कोई देश आश्वासन दे देता है तो यही समझा जाता है कि वह इसका पालन करेगा । हम इसी आधार को लेकर चलते हैं । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रीय संबंध असम्भव हो जायेंगे । जब एक देश से बातचीत की जाती है और वह आश्वासन दे देता है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिये । यदि उस आश्वासन का पालन नहीं होता है तो अवश्य ही हम उस देश से बातचीत कर सकते हैं और उसे यह बता सकते हैं कि उस आश्वासन का उल्लघंन हुआ है जो राजनयिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय

प्रथा के विरुद्ध है। जैसे ही हमने इरान से पाकिस्तान को विमान भेजे जाने के बारे में सुना हमने कड़ा रवैया अपनाया और अमरीका तथा अन्य देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया। हमें अब अमरीका ने निश्चित आश्वासन दे दिया है कि किसी देश को दिये गये हथियार उनकी सहमति के बिना किसी अन्य देश को नहीं भेजे जायेंगे। यदि वे भेजे जाते हैं तो वह देश अमरीका को दिये गये अपने आश्वासन का उल्लंघन करता है। भारत इससे अधिक और क्या कर सकता है ?

Shri Jagdev Singh Siddhanti: Is the Government of India prepared to trust the assurances given by U.S.A. from the political point of view?

Mr. Speaker: There is no other way out.

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई देश बॉम्बर विमान तथा अन्य विमान पाकिस्तान को देता है तो उसे अमरीका की सहमति लेनी पड़ेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सहमति देने से पहले अमरीकी सरकार भारत से पूछेगी कि इससे शत्रुता बढ़ेगी ?

श्री मु० क० चागला : यह आश्वासन दिया गया है कि उन्हें किसी अन्य देश को हस्तांरित नहीं किया जायेगा। इसलिये भारत से पूछने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री ही० ना० मुकर्जी : यदि सरकार केवल अमरीका द्वारा दिये गये आश्वासनों पर ही निर्भर कर रही है और वह अन्य देशों जैसे इरान से इस बारे में संपर्क स्थापित करने की कोशिश नहीं कर रही है, तो क्या पूर्णतया अमरीका पर निर्भर करना बहुत खतरनाक सिद्ध नहीं हो सकता है ?

श्री मु० क० चागला : हमने ईरान सरकार से भी बातचीत की है। वास्तव में तो हम अपनी शक्ति पर ही निर्भर कर सकते हैं। और हमें उसे बढ़ाना चाहिये। फिर भी हमने इस मामले में सभी संबंधित सरकारों से बातचीत की है।

श्री दे० द० पुरी : क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि ईरान ने पाकिस्तान की सीमा से मिलते हुए अपने हवाई अड्डे का कब्जा तथा नियंत्रण पाकिस्तान को सौंप दिया है जहां पर पाकिस्तान द्वारा लौटाए गये बॉम्बर पाकिस्तान के नियंत्रण में रखे हुए हैं और अब वह उनको हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है ?

श्री मु० क० चागला : मैंने भारतीय अथवा विदेशी समाचारपत्रों में यह समाचार पढ़ा है। परन्तु उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

श्री नाथ पाई : पिछली बार स्वयं अमरीका के राष्ट्रपति श्री आइजनहावर ने भारत के प्रधान मंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को गारंटी दी थी। हमें पता है कि उनका किस तरह पालन किया गया है। क्या इस दौरान मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि सामरिक अध्ययन संस्था के विश्व-शस्त्रास्त्र स्थिति के नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार पाकिस्तान ने भारत के साथ हुए संघर्ष के दौरान हुई हानि को पूरा नहीं कर लिया है अपितु उसने अपनी सैनिक शक्ति काफी अधिक बढ़ा ली है, और इस बारे में भारत की प्रतिक्रिया क्या है कि पाकिस्तान ने ये हथियार ईरान, सऊदी अरब तथा अन्य देशों के माध्यम से प्राप्त किये हैं ?

श्री मु० क० चागला : हमारे ध्यान में यह बात आई है कि पाकिस्तान सारे विश्व में हथियार प्राप्त करने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और इसका पाकिस्तान को केवल

यही उत्तर दिया जा सकता है कि हम अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाएं। हम इस ख़तरे के बारे में पूरी तरह सतर्क हैं ।

श्री जोकीम आल्वा : ईरान में तीन बातें हमारे पक्ष में हुई हैं। ईरान के बादशाह ने रूस तथा ईरान के बीच गुप्त दीवार को हटा दिया गया है और रूस के साथ अधिक मित्रता स्थापित कर ली है। दूसरे, वे बुनियादी तौर पर चीन के विरोधी हैं। तीसरे, हमारे राजदूत योग्य व्यक्ति हैं और वह विमानों आदि के बारे में सभी कुछ जानते हैं क्योंकि वह एयर मार्शल रह चुके हैं। इसलिये क्या कारण है कि राजनयिकों के जरिये हम ईरान पर अधिक दबाव डाल कर अपने पक्ष में कार्यवाही नहीं करवा सकते हैं ?

श्री मु० क० चागला : हमारी नीति सभी देशों से मित्रता बनाये रखने की है। यदि कोई देश हमसे दोस्ती करना चाहता है तो हम अवश्य ही दोस्ती का हाथ मजबूत करेंगे। यदि ईरान हमसे दोस्ती बढ़ाना चाहता है तो हम अवश्य ही उसे और अधिक बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय ने कहा है कि पाकिस्तान हर देश से हथियार प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यही हमारे लिये सतर्क रहने के लिये पर्याप्त कारण है। क्या हमारी सरकार ने अमरीका की सरकार को विशेष रूप से यह बता दिया है कि यदि वह ईरान में शस्त्रास्त्र भेजे जाने की अनुमति देती है और ईरान उन्हें पाकिस्तान को दे देता है तो हम उसे एक अमित्रता-पूर्ण कार्य समझेंगे ?

श्री मु० क० चागला : यदि अमरीका ईरान को हथियार भेजता है और ईरान उन्हें पाकिस्तान पहुंचा देता है तो यह आश्वासन का उल्लंघन होगा। परन्तु यदि पाकिस्तान कहीं से हथियार खरीदता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अदन से ब्रिटेन की सेना का हटना

*243. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे संकेत मिले हैं कि कुछ देश, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, इस प्रकार अपनी सेनाओं को सुदृढ़ करने का सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं जिनसे 1968 में अदन से ब्रिटेन की सेना के वापस जाने के परिणामस्वरूप, उनके विचार में उत्पन्न होने वाली सैनिक शक्ति की रिक्तता (पावर वैक्यूम) को वे पूरा करने की स्थिति में हो जायें ;

(ख) क्या इससे भारत की सुरक्षा तथा सैनिक स्थिति पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक कार्य-मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) इस तरह की अफवाहें हैं कि कुछ देश, जिनमें पाकिस्तान भी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटेन 1968 में अदन से हटने वाला है, वहां किसी न किसी तरह से अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहे हैं।

(ख) और (ग). भारत सरकार स्थिति का बड़े ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रही है और यथा-आवश्यक उपाय बरतेगी ।

नागाओं द्वारा प्रयोग किये गये राकेट तथा राकेट चलाने के हथियार

*249. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 29 अगस्त 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 745 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागाओं से बरामद हुए राकेट तथा राकेट चलाने के हथियार जिन पर फ्रांस के चिन्ह थे, बेचने, उपहार में देने, हस्तांतरण करने के बारे में सरकार द्वारा राजनयिक सूत्रों अथवा किसी अन्य जरिये से की गई पूछताछ का फ्रांस सरकार ने कोई उत्तर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनका क्या उत्तर अथवा प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). भारत-स्थित फ्रांसीसी राजदूतावास ने हमें सूचित किया है कि वे अभी भी इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं ।

पाकिस्तानी घुसपैठिये

*250. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या भारत में पाकिस्तानी घुसपैठियों की गतिविधियों के बारे में पाकिस्तान सरकार से लिखा-पढ़ी की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) घुसपैठ को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । उससे अनुरोध किया गया है कि वह पाकिस्तान से अनधिकृत रूप से भारत आने वालों को, खास तौर पर भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमाओं पर रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए ।

(ख) अभी तक कोई जवाब नहीं आया है ।

(ग) इस तरह अवैध ढंग से घुसने वालों के साथ निपटने के लिए सम्बद्ध सीमाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है ।

नेताजी जयन्ती

*251. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रव्यापी नेताजी जयन्ती समारोह के अवसर पर 23 जनवरी, 1967 को आकाशवाणी से एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि इस दिन को "युवक दिवस" के रूप में मनाया जाये;

(घ) यदि हां, तो किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें उन कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया हुआ है जिन्हें नेताजी जयन्ती समारोह के अवसर पर प्रसारित करने का विचार है ।

[**स्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7300/66**]

(ग) से (ङ). आजाद हिन्द फौज एसोसिएशन ने सरकार से यह प्रस्ताव किया था कि नेताजी जन्म दिवस को "युवक दिवस" के रूप में मनाया जाए । सरकार ने इस प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार किया और यह निश्चय किया कि नेताजी के जन्म दिवस को युवक दिवस के रूप में घोषित करना जरूरी नहीं क्योंकि राष्ट्रीय एकता पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से हम पहले ही प्रत्येक वर्ष 2 अक्तूबर से 9 अक्तूबर तक राष्ट्रीय एकता सप्ताह और फिर 20 अक्तूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में जम्मू तथा काश्मीर राज्य का दर्जा

*252. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के दर्जे के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के उस पुराने दृष्टिकोण में कोई अन्तर आया है, जिसके अनुसार जम्मू तथा काश्मीर विवादास्पद राज्य-क्षेत्र है और उसके भविष्य का निर्णय नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि यह मामला सरकार द्वारा 1957 में उठाया गया था परन्तु तब से संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आया है ; और

(ग) क्या भारत सरकार द्वारा अनेक बार विरोध किये जाने के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्र संघ के मानचित्रों में अभी तक जम्मू तथा काश्मीर को विवादास्पद राज्य-क्षेत्र दिखाया जा रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय द्वारा प्रकाशित नक्शों में जम्मू और काश्मीर को भारत से अलहदा दिखाया गया था । 1957 में और उसके बाद भी कई बार इस राज्य को अलग दिखाने का प्रश्न संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के सामने उठाया गया । इस वर्ष जुलाई में हमारे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से इस बारे में बातचीत की थी। ऐसा समझा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय इस मामले को अभी जांच कर रहा है ।

चीन द्वारा परमाणु विस्फोट को देखते हुए भारत की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्विलोकन

*253. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 25 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सेनाध्यक्षों की समिति ने चीन द्वारा परमाणु विस्फोट को देखते हुए भारत की सुरक्षा व्यवस्था का पुनर्विलोकन पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) मामला अभी सेनाध्यक्षों की समिति के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सिक्किम और भूटान में चीन की घुसपैठ

*254. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री हेम बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री उटिया :
श्री गुलशन :
श्री मधु लिमये :
श्री पू० ह० भील :
श्रीमती रामदुलारी सिंहा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री बसुमतारी :
श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री नाथ पाई :
श्री कु० चं० पन्त :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री बृजबासी लाल :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन मास में चीन ने सिक्किम और भूटान में बहुत बार सैनिक घुसपैठ की है तथा 13 सितम्बर, 1966 से भूटान के क्षेत्र डोकलान चरागाह क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). पिछले तीन महीनों में सिक्किम-तिब्बत सीमा पर चीनियों द्वारा सीमातिक्रमण की तीन बारदातें हुई हैं :—

(1) 10 सितम्बर, 1966 को तीन चीनी सिपाही कोंगराला के दक्षिण पूर्व में करीब एक मील भीतर घुस आए । बाद में पता लग जाने पर वे लोग वापस चले गए।

(2) 24 अक्तूबर को करीब 150 व्यक्ति नीली वर्दी पहने भेड़ों के साथ कोंगराला के पार करीब 500 गज अंदर घुस आए और फिर लौट गए।

(3) 25 अक्तूबर को करीब 50 व्यक्ति नीली वर्दी पहिने कोंगरा ला के पार करीब 200 गज अंदर घुस आए और तब वापस चले गये ।

चीनी कर्मचारियों ने भूटान–तिब्बत सीमा का भी अतिक्रमण किया है। 8 सितम्बर को एक भूटानी गश्ती दल ने सिन्चेल ला के 3 मील दक्षिण-पश्चिम म तिब्बती चरवाहों को पाया । पत्थरों के दो चट्टे भी पाये गये थे। 13 सितम्बर को भूटानी गश्ती दल ने देखा कि एक चीनी सैनिक दल इसी क्षेत्र में घुस आया और उसने भूटानी प्रदेश में खाइयां खोद लीं।

(ग) सिक्किम-तिब्बत सीमा का अतिक्रमण करने के खिलाफ 15 अक्तूबर और 4 नवम्बर को विरोध पत्र भेजे गये थे। 15 अक्तूबर के विरोध-पत्र की एक प्रति सदन की भेज पर रख दी गई है। 4 नवम्बर के विरोध-पत्र की एक प्रति 8 नवम्बर, 1966 को ही सदन की भेज पर रखी जा चुकी है। 30 सितम्बर को भूटान की शाही सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने उसकी ओर से चीन द्वारा भूटान-तिब्बत सीमा का उल्लंघन करने के खिलाफ भी विरोध प्रकट किया। इस विरोध–पत्र की प्रति और कलकत्ता में भूटान सरकार के व्यापार सलाहकार द्वारा 3 अक्तूबर, 1966 को जारी की गई प्रैस विज्ञाप्ति की प्रतियां भी सदन की मेज पर रखी जा रही हैं। **[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 7301/66]**

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा-पत्र के बारे में फिलीपीन के राष्ट्रपति का सुझाव

*255. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलीपीन के राष्ट्रपति माश्कोस ने संयुक्त राष्ट्र सहासभा में दिये गये भाषण में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पुनरीक्षण की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 21 सितम्बर, 1966 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मुख अपने भाषण में फिलीपीन्स के राष्ट्रपति मारकोस ने जिक्र किया था कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर पुनः विचार करके संशोधन किए जायें जिससे कि शुरू में चार्टर बनाए जाने के बाद से संसार में जो परिवर्तन हुए हैं वे इससे प्रतिबिंबित हो सकें।

(ख) सरकार इस बात से सहमत है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन और पुनर्विचार की गुंजाइश है किन्तु वह समझती है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में ऐसा हो पाने की संभावना कम है।

Naval Bases in Andaman and Nicobar Islands

*256. **Shri Mohan Swarup:**
Shri Bagri:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3601 on the 29th August, 1966 and state:

(a) whether the plan to set up naval bases in Andaman and Nicobar Islands has since been finalised;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) to (c). No, Sir. Full details of the scheme are still under consideration of the Government. The matter requires a detailed study and a survey of the area and is likely to be finalised shortly.

Strike in H.A.L., Kanpur

*257. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 173 on the 1st August, 1966 and state:

(a) the nature of the decision taken by the Hindustan Aeronautics Ltd. in regard to the demands of its employees; and

(b) if not, when the decision is likely to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). The main demands of the employees related to the setting up of a high level Commission for investigation of the working of H.A.L., Kanpur; terms of appointment of airmen and civilians of erstwhile Aircraft Manufacturing Depot as Company employees; revision of pay scales; grant of house rent and city compensatory allowances at Central Government rates; payment of bonus; grant of deputation allowance; overtime allowance; and provision of proper transport and free education or children's allowance. The demands have been discussed with the representatives of the employees from time to time. Following these discussions, a large number of workers have now intimated acceptance of appointment as employees of the Company.

पाकिस्तान द्वारा आण्विक हथियारों का निर्माण या प्राप्ति

*258. **श्री नाथ पाई :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : **श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान द्वारा आण्विक हथियारों के निर्माण अथवा प्राप्ति में जितनी प्रगति की गई है, क्या सरकार ने उसका कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) पाकिस्तान द्वारा इसमें जितनी भी प्रगति की गई है क्या वह उसने स्वतंत्र रूप से की है अथवा किन्हीं अन्य शक्तियों के सहयोग से की है ; और

(ग) यदि हां, तो वे शक्तियां कौनसी हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) से (ग). किसी देश द्वारा अणु अस्त्रों का विकास और उत्पादन सर्वोच्च गोपनीय मामला होता है। इसलिये इस क्षेत्र में पाकिस्तान की क्षमता को ठीक-ठीक आंकना संभव नहीं है। बहरहाल, भारत सरकार को पाकिस्तान द्वारा किन्हीं बाहरी स्रोतों से कोई अणु अस्त्र प्राप्त करने अथवा उनका विकास करने के बारे में जानकारी नहीं है।

चलचित्र उद्योग के लिए कोष

*259. **श्री सेझियान :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम तथा उद्देश्यपूर्ण चलचित्रों के लिये चलचित्र निर्माताओं और चलचित्र उद्योग की सहायता करने के लिये एक विशेष कोष बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) से (ग). उद्देश्यपूर्ण सामाजिक फिल्मों को बनाने में घाटा होने का जो जोखिम रहता है उसकी पूर्ती करने के लिये एक निर्माता कोष बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। प्रस्ताव के ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

Migration of Hindus from East Pakistan

*260. **Shri Shinkre:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 500 Hindus have entered into India from East Pakistan *via* Eastern hilly areas recently;

(b) if so, the reasons for their migration from East Pakistan; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Members of the minority communities of East Pakistan are known to have been crossing over the Eastern hilly areas into Assam. According to available information a total of 1279 have thus crossed over during the period 1st January—31st October, 1966.

(b) There seem to be a variety of reasons but the main reason for this movement is the general ill-treatment of minorities in Pakistan.

(c) Persons who cross over with migration certificates are allowed to stay in India and the cases of others are considered on *ad hoc* basis depending on merits.

चीन और भूटान के बीच की सीमा

*261. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साम्यवादी चीन के इस दावे की ओर दिलाया गया है कि चीन और भूटान के बीच की सीमा तय करना चीन और भूटान का काम है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या स्थिति है ; और

(ग) क्या सरकार ने मित्र देशों को इस स्थिति से अवगत कराने के लिये कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) भारत और भूटान के बीच 1949 की संधि के अन्तर्गत, भूटान सरकार अपने विदेशी संबंधों को भारत सरकार की सलाह से संचालित करने पर सहमत हुई थी। चीन सरकार ने इस स्थिति को माना था, जैसा कि प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई द्वारा 25 अप्रैल, 1960 को नई दिल्ली में आयोजित एक सम्मेलन में दिये गये इस बयान से स्पष्ट है कि "चीन भारत तथा सिक्किम और भूटान के बीच संबंधों का आदर करता है।"

सरकार को खेद है कि चीन लोक-गणराज्य की सरकार भूटान और भारत के बीच परम्परागत संबंधों को बिगाड़ना चाहती है जो कि सुखद, निकट और मैत्रीपूर्ण हैं।

(ग) मित्र देशों की सरकारों को यथासमय इन घटनाओं से अवगत किया जाता रहा है और उन्होंने हमारे निश्चय की सराहना की है।

चीन द्वारा अणुशक्ति-संचालित प्रक्षेपणास्त्र का विस्फोट

*262. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री किन्दर लाल :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : **श्री नाथ पाई :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में चीन द्वारा किये गये अणुशक्ति-संचालित प्रक्षेपणास्त्र के विस्फोट के स्वरूप की जांच की है ;

(ख) इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा और इस खतरे से उत्पन्न डर के निवारण के लिये सरकार का क्या कारगर उपाय करने का विचार है; और

(ग) गैर-परमाणु राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी अमरीका के प्रस्तावों के बारे म सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां। विस्फोट होने पर हमें अपने साधनों द्वारा उसका पता चल गया था। हमारे वायुयान द्वारा इकट्ठे किये गये रेडियम-प्रभावित द्रव्य के नमूने जताते हैं कि मुख्य रेडियम-प्रभावित बादल पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा था, जोकि जापान के ऊपर 36 से 48 घंटों में पहुंच गया।

(ख) इस घटना से हम कोई आश्चर्च नहीं हुआ। आणविक अस्त्रों को निर्माण करने की चीन की नीति न केवल हमारे लिये बल्कि सारे एशिया, और वास्तव में विश्व भर, के लिये एक [illegible] .तरा पैदा करती है।

जैसा कि पहले ही घोषित कर दिया गया है, चीफ्स आफ स्टाफ कमेटी इस बात का पूरा अध्ययन कर रही है कि चीन की आणविक योग्यता का हमारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है।

(ग) गैर-परमाणु राष्ट्रों की सुरक्षा के बारे में संयुक्त राज्य अमरीकी के किसी विशेष प्रस्ताव के संबंध में सरकार को जानकारी नहीं है।

अमरीका द्वारा वियतनाम में विषाक्त रसायनों का प्रयोग

***263. श्री ही० ना० मुकर्जी :**
डा० रानेन सेन :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी वियतनाम ने वियतनाम स्थित अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग से अमरीका द्वारा वियतनाम में जनता पर विषाक्त रसायनों के प्रयोग किये जाने के विरुद्ध कोई शिकायत की है ;

(ख) क्या आयोग ने इस शिकायत के बारे में कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो जांच-निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ऐसा समझा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कमीशन को उत्तर वियतनाम की पीपुल्स आर्मी से ऐसी शिकायतें मिली हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दक्षिण वियतनाम में नशीले रासायनिक पदार्थों और गैसों का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया है ;

(ख), (ग) और (घ). यह कमीशन अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट जेनेवा सम्मेलन के सहअध्यक्षों को भेजता है। भारत सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के विरुद्ध सोवियत आरोप

***264. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाओस सम्बन्धी जेनेवा सम्मेलन के सोवियत सह-सभापति ने यह आरोप लगाया है कि लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने अभी हाल में प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किस परिस्थितियों में किया गया है;

(ग) प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन किस प्रकार के हैं ; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) लाओस-स्थित अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन ने भारत–कनाड़ा बहुमत से, लाओस की तटस्थता सम्बन्धी घोषणा के प्रोतोकोल की धारा 8 के अंतर्गत जेनेवा सम्मेलन के सह-अध्यक्षों को एक पत्र भेजा जिसमें उसने लाओस की शाही सरकार की एक शिकायत से संबद्ध एक मामले में सलाह और मार्गदर्शन मांगा, क्योंकि इस मामले को लेकर कमीशन की कार्यवाइयों में गतिरोध आ गया था। सोवियत सह-अध्यक्ष ने तीनों अधीक्षक देशों को एक पत्र भेजा और कहा कि इस तरह का पत्र भेजने से 1962 के जेनेवा करार का उल्लंघन हुआ है, कि महत्वपूर्ण मामलों पर कमीशन के निष्कर्ष और सह-अध्यक्षों को सिफारिशें भेजी जाएं, वे एकमत से तय होनी चाहिये, और यह कि कमीशन को लाओस की मिलीजुली सरकार की सहमति से काम करना चाहिये जिसमें कि उस देश की तीन राजनीतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं।

(घ) इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री ब० कु० दास : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी-एशियाई प्रतिनिधिमंडलों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संकल्प पेश किया है, जिसमें मांग की गई है कि दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर से दक्षिण अफ्रीका का आधिपत्य समाप्त किया जाये तथा इसे संयुक्त राष्ट्र न्यासी (ट्रस्टीशिप) परिषद् को हस्तांतरित किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 अक्तूबर, 1966 को 2 के मुकाबले, 114 मतों से मतदान में 3 सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया, प्रस्ताव सं० 2145 (XXI) पास करके दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका पर दक्षिण अफ्रीका का प्रादेश समाप्त कर दिया और इस प्रादेश को संयुक्त राष्ट्र की सीधी जिम्मेदारी में दे दिया। इस प्रस्ताव में 14 सदस्य राज्यों की एक तदर्थ समिति बनाने का भी निश्चय किया गया जो दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के स्वतन्त्र होने तक उसके प्रशासन आदि के लिए व्यावहारिक तरीकों की सिफारिश करेगी ।

पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मन्त्री का वक्तव्य

*266. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश-मंत्री, श्री जैड० ए० भुट्टो के उस कथित वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें आसाम और त्रिपुरा के कुछ भागों को पाकिस्तान का हिस्सा बताया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई पाकिस्तान सरकार से औपचारिक दावा प्राप्त हुआ है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) सरकार ने इस आशय की खबर देखी है कि पाकिस्तान के भूतपूर्व विदेश मंत्री, श्री जैड० ए० भुट्टो ने लंदन में ग्रेटब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी छात्र संघ के सामने 13 अगस्त, 1966 को भाषण दिया जिसमें बताया जाता है, उन्होंने अन्य बातों के अलावा यह भी कहा कि उत्तरी सीमा पर पाकिस्तान के पूर्वी भागों पर पाकिस्तान का अधिकार है, जिसे वे किसी दिन ब्यौरेवार बताएंगे ।

(ख) और (ग). जी नहीं । सरकार किसी गैर-पदाधिकारी के इस तरह के अतिवादी और ऊट-पटांग दावों की ओर बहुत ध्यान नहीं दे सकती ।

एच एफ–24 जेट विमान

*267. **श्री सुरेन्द्रपालसिंह :**
डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती विमला देवी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपालसिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मधु लिमये :
श्री नाथ पाई :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री उटिया :
श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुधांशु दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 25 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त अरब गणराज्य के विशेषज्ञों द्वारा एच० एफ०-24 आद्यरूप (प्रोटोटाइप) के एयरफ्रेम पर किये गये उड्डयन सम्बन्धी परीक्षण का परिणाम क्या है ;

(ख) क्या परीक्षण सफल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो दोनों देशों के मिलकर इस कार्य को सफल बनाने की क्या सम्भावनायें हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख) संयुक्त अरब गणराज्य के ई० 300 इंजन के साथ एच० एफ०-24 विमान पर भूमि सम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षण किये गये हैं। इस के परिणामस्वरूप इंजन/एयरफ्रेम समन्वय सम्बन्धी कुछ विकास कार्य आवश्यक हो गया। अग्रेतर भूमि उड़ान सम्बन्धी परीक्षण शीघ्र ही किये जाने की आवश्यकता है।

(ग) उड़ान सम्बन्धी परिक्षणों के सफलतापूर्वक पूरे हो जाने के बाद संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच सहयोग के लिए अग्रेतर कार्यवाही पर विचार किया जायेगा।

एशियाई एकता तथा विकास सम्बन्धी योजना

*268. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री 22 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2904 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दरिद्रता का उन्मूलन करने के लिए एशियाई एकता तथा विकास सम्बन्धी कोई योजना तैयार की है तथा इस योजना को चीन के विस्तारवाद से आतंकित अन्य एशियाई देशों के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला): (क) जी नहीं ;

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 22 अगस्त, 1966 को अतारांकित प्रश्न संख्या 2904 के उत्तर में यह विचार व्यक्त किया गया था, कि गरीबी को दूर करने के लिए एशिया की एकता और विकास ही एशिया के लोगों का समान उद्देश्य होना चाहिए, सैनिक गठबंधन और सैद्धान्तिक गुटबंदी नहीं। भारत पहले से ही "इकाफे" और कोलम्बो योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय विकास के कार्यक्रमों में भाग ले रहा है और एशिया विकास बैंक का एक सदस्य भी है। यह आशा की जाती है कि इन कार्यक्रमों से एशिया के विकास और एकता की प्रगति में अन्ततः सहायता मिलेगी। सरकार ने कोई और योजना नहीं बनाई है।

पाकिस्तान और चीन के बीच सैनिक सहयोग

*269. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि साम्यवादी चीन तथा पाकिस्तान के बीच घनिष्ठ सैनिक सहयोग कायम है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि गत दो महीनों में पाकिस्तान को बड़ी भारी मात्रा में सैनिक सामान, हथियार, उपकरण तथा मोटर गाड़ियां भेजी गई हैं ; और

(ग) क्या हथियारों के लेन-देन के इन सौदों के बारे में अन्य देशों को सूचित करने के लिए कोई राजनयिक अथवा रक्षात्मक उपाय किये गये हैं, क्योंकि इन सौदों से भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान द्वारा चीन से सैनिक सामान बराबर लिया जा रहा है । इस की खबरें मिली हैं कि पाकिस्तान ने हाल के महीनों में विमान-भेदी तोपें, अन्य विविध उपकरण और गाड़ियां प्राप्त की हैं ।

(ग) चीन-पाक संगठन के विषय में जानकारी देने के लिए समुचित राजनयिक कार्रवाई की गई है । सरकार इस प्रकार के सैनिक सहयोग से उत्पन्न होने वाले खतरे के प्रति पूरी तरह जागरूक है और वह समुचित उपाय बरत रही है ।

उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हवाई अड्डा

1209. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए हवाई अड्डा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में जिला चमोली में कोई स्थान चुना है ; और

(ख) यदि हां, तो कौनसा स्थान चुना गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

Indian Collaboration with Nepal

1210. **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1541 on the 9th May, 1966 and state:

(a) the scheme for which Nepal Government desire collaboration of India during the Fourth Five Year Plan; and

(b) whether a decision in this regard has been taken in consultation with the Government of Nepal?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) and (b). All schemes and projects which form our programme of cooperation in the economic field in Nepal are taken up or continued in consultation with Government of Nepal. A sum of Rs. 40 crores has been allocated for this programme, more or less covering our Fourth Plan period. Various schemes and projects which were being executed during the Third Plan period will be continued and some new works will also be taken up during the Fourth Plan period. Statements are being placed on the Table of the House giving the important projects and schemes which will be continued or are likely to be taken up in consultation with the Government of Nepal during the Forth Plan period. [Placed in Library, *See* No. IT-7302/66.]

Use of Force Against Rhodesia

1211. **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether at the time of Commonwealth Conference, the Indian repre-

sentative had private talks with the African representatives as to what would be their reaction in case Britain refuses to use force against Rhodesia; and

(b) if so, the result thereof?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Yes, Sir.

(b) During the recent Commonwealth Prime Ministers' Conference, the Leader of the Indian Delegation remained in close touch with Afro-Asian and other delegations. The consensus which emerged was incorporated in the Joint Communique which stated that in order to bring the rebellion in Rhodesia to a speedy end "most of the Heads of Government of the Commonwealth expressed their firm opinion that force was the only sure means of bringing down the illegal regime in Rhodesia". Others, however shared, the British Government's objections to the use of force to impose a constitutional settlement, while agreeing that it was not ruled out where necessary to restore law and order. Since the British Government held the minority view mentioned above, the Conference considered the action which may be taken should the negotiations proposed by the British Government with the Salisbury regime not yield the desired results. In this connection "most of them were convinced that mandatory sanctions of a general and comprehensive character should be applied under Chapter VII, Articles 41 and 42 of the U.N. Charter, and should cover both exports and imports." The British Government did not accept this view but was prepared "to join in sponsoring in the Security Council of the United Nations before the end of this year a resolution providing for effective and selective mandatory economic sanctions against Rhodesia."

Diplomatic Relations with Nepal through Hindustani Question

1212. **Shri Kishen Pattnayak:**
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government are acting on the proposal to keep diplomatic relations with Nepal through Hindustani; and

(b) if not, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir.

(b) We are not yet in a position to conduct our diplomatic affairs with Nepal or with any other foreign country in Hindi. This is because of the paucity of officers and staff having adequate knowledge of Hindi and the resultant inability to express ourselves precisely in Hindi. Transfers being frequent in the Ministry of External Affairs and its Missions abroad, it is not possible to post Hindi-knowing officers to particular Missions only, nor is it possible to keep any one officer in one Embassy for a long time because of his knowledge of Hindi. The conduct of affairs in Hindi by any one particular Mission will also create difficulties for various Sections in the Ministry and for other Missions abroad while corresponding with that Embassy.

एशिया तथा प्रशान्त परिषद् संगठन

1213. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई और प्रशान्त परिषद् संगठन के निश्चित उद्देश्य तथा कार्यक्रम क्या हैं ;

(ख) क्या संयोजकों ने इस संगठन में सम्मिलित होने के लिए भारत से भी कहा था ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु०क० चागला): (क) 14 जून से 16 जून, 1966 तक सेआ्रोल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें आस्ट्रेलिया, ताइवान,जापान, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, न्यूज़ीलैंड, फिलिपीन, थाईदेश और दक्षिण वियतनाम ने भाग लिया। लाओस ने प्रेक्षक के रूप में भाग लिया। इस मीटिंग को एशियाई तथा प्रशांत सहयोग के लिए मंत्रियों के स्तर पर पहली मीटिंग कहा गया । सम्मिलित विज्ञप्ति के अनुसार परिषद् के उद्देश्य और कार्यक्रम हैं--"आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, सामाजिक और सूचना क्षेत्रों" में भागीदार देशों के बीच सक्रिय और लाभकारी सहयोग। इस विज्ञप्ति में वियतनाम और कोरिया जैसे राजनीतिक प्रश्नों की भी चर्चा की गई और आम तौर से वियतनाम गणराज्य और कोरिया गणराज्य के निश्चय का समर्थन किया गया।

(ख) राजनयिक स्तर पर कुछ चर्चा हुई थी।

(ग) भारत सरकार ने सेआ्रोल की एशियाई तथा प्रशांत परिषद् की बैठक में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि भारत सरकार एशिया में किसी राजनीतिक गुटबाज़ी के आधार पर बजाय व्यापक आधार पर क्षेत्रीय सहयोग समुन्नत करना चाहती है, जैसे--कोलंबो योजना, इकाफे और एशियाई विकास बैंक।

विदेशों में प्रचार-कार्य में प्रवीणता

1214. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है कि उनका मंत्रालय प्रचार कार्य में प्रवीणता का विकास करे, विशेष रूप से टेलीविजन, रेडियो तथा विज्ञापनों जैसे माध्यमों के जरिये ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) क्या सूचना कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण देने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). इस तरह के सुझाव समय-समय पर आए हैं। बहरहाल ख्याल किया जाता है कि यह प्रबन्ध ज्यादा अच्छा है।

(ग) और (घ). नए अधिकारियों को विदेश-स्थित मिशनों के सूचना केन्द्रों में भेजने से पहले परिचयात्मक (फेमिलिराइज़ेशन) प्रशिक्षण दिया जाता है। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के माध्यम एकांश के संपर्क से इस प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जाता है। इसमें विदेश प्रचार प्रभाग के सभी कार्यकलाप आते हैं जिनमें भारत दर्शन यात्राएं भी शामिल हैं।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा स्तम्भ

1215. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री किन्दर लाल :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान सर्वेक्षण अधिकारियों की अगस्त, 1966 में हुई दो दिन की

बैठक में किये गये इस निर्णय को, कि दोनों देशों के बीच सीमा-स्तम्भों के बनाये रखने तथा उनको बदलने के लिए स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए, कार्यान्वित किया गया है ;

(ख) पश्चिमी बंगाल तथा पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा का सीमांकन करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) गत 6 महीनों में पाकिस्तान ने भारतीय क्षेत्र में कितनी बार घुसपैठ की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) निदेशक, भू-अभिलेख और सर्वेक्षण पश्चिम बंगाल व्यवस्था के बारे में सहमत हो गए हैं और वह बंगाल सीमा का रेखांकन करने के लिए जिम्मेदार भारत-पाक भू-अभिलेख और सर्वेक्षण निदेशकों की अगली सम्मिलित बैठक में अमला आदि के विषय पर आगे बातचीत करेंगे ।

(ख) पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा पर मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) और राजशाही (पूर्व पाकिस्तान) के बीच मौजा मानिक चाक की सीमा से लगे छाड़ क्षेत्र में सम्मिलित रूप से सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य शुरू किया गया और 20 जून, 1966 को पूरा कर दिया गया ।

इस तरह पश्चिम बंगाल-पूर्व पाकिस्तान सीमा की कुल मिलाकर लगभग 1349–00 मील की लम्बाई में से 1079–00 मील की लम्बाई में खम्भे लगा कर सीमांकन का कार्य पहले ही किया जा चुका है; 97.07 मील की लम्बाई अस्थिर सीमा की लम्बाई है जिसके ऊपर स्थूल सीमांकन की जरूरत नहीं है ; और 78.37 मील की लम्बाई पर बागे लाइन्स 1 और 11 है जहां हर साल सीमांकन किया जाता है । इस तरह 94.62 मील की लम्बाई शेष रहती है जिसकी भूमि पर अभी रेखांकन होना है । पश्चिम बंगाल और पूर्व पाकिस्तान के भू-अभिलेख और सर्वेक्षण के निदेशक सीमांकन के विषय पर बातचीत करने के लिये समय-समय पर बैठकें कर रहे हैं ।

(ग) 31 अक्तूबर, 1966 को समाप्त होने वाले छह महीनों में पाकिस्तानी सेना के कर्मचारी और पाकिस्तानी पुलिस के सिपाही सीमा पार कर जितनी बार भारतीय प्रदेश में घुसे, उसकी संख्या इस प्रकार है :

पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा सीमाओं को पार किया	21 बार
जम्मू तथा कश्मीर में युद्ध-विराम रेखा और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा को पार किया	33 बार

पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा

1216. **श्री रा० बरुआ :**
श्री लीलाधर कटकी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों से लड़ाई में मारे गये सैनिकों, पुलिस कर्मचारियों तथा नागरिकों के आश्रितों को पूरा मुआवजा दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). जहां तक सैनिक कर्मचारियों और प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, यह दिखाने के लिये कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ

लड़ाई में कितने कितने कर्मचारी मारे गये। तथापि,विशेष परिवार पेंशन देने के मामले में ऐसे कर्मचारियों और 5 अगस्त, 1965 को या उसके बाद पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई के मोर्चे पर मारे जाने वालों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता है। जहां तक सीमा सड़क संगठन में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, 1 अधिकारी और 9 अधीनस्थ कर्मचारी मारे गये थे। असैनिक अधिकारी के सम्बन्ध में पेंशन कागजात पूरे कर लिये गये हैं और पेंशन के लिये मंजूरी जारी की जा रही है। 3 अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी पेंशन कागजात पूरे कर लिये गये हैं और उनके मामले में भी पेंशन की मंजूरी शीघ्र ही जारी कर दी जायेगी। शेष छः मामलों के सम्बन्ध में असैनिक प्राधिकार द्वारा जांच पड़ताल चालू है।

पुलिस कर्मचारियों और असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

समाचार एजेंसियों को ऋण

1217. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : **श्री मधु लिमये :**
श्री उटिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार भारती तथा अन्य किन्हीं समाचारपत्रों को ब्याजमुक्त ऋण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एजेंसी को कितना ऋण दिया गया है ;

(ग) ये ब्याज रहित ऋण किस आधार पर दिये गये थे ; और

(घ) क्या इससे भारत में समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता को प्रोत्साहन देने की नीति के विरुद्ध सम्बन्धित एजेंसियों पर सरकारी नियंत्रण नहीं रहेगा?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). समाचार भारती को 5 लाख रुपए का बिना सूद ऋण देने का एक प्रस्ताव, इस समय सरकार के विचाराधीन है अन्य किसी समाचार एजेंसी को चलाने के लिए इस प्रकार के ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) छोटे, मध्यम और भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों की जरूरतें पूरी करने के लिए, भारतीय भाषाओं की एक समाचार एजेंसी स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए और इस व्यवसाय के अलाभप्रद होने की वजह से,लोगों से इसके लिये अपेक्षित पूंजी न मिलने के कारण, इसको बिना सूद ऋण देने का औचित्य है।

(घ) जी, नहीं। सरकार इस एजेंसी के साधारण हिस्से लेने में धन नहीं लगा रही है, अतः इस पर किसी नियंत्रण का प्रश्न नहीं उठता।

सीमा प्रचार में सुधार करने के लिए अनुसन्धान एकक

1218. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार सम्बन्धी सुधार करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में एक अनुसन्धान एकक स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन कौन हैं तथा इसके क्या कार्य हैं; और

(ग) इस एकक का मुख्यालय कहां होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) एक अनुसन्धान एकक खोलने का प्रस्ताव है, परन्तु इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी किया जाना है ।

अफ्रीकी-एशियाई लेखकों के सम्मेलन में भारतीय लेखकों द्वारा भारत-विरोधी भाषण

1219. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पीकिंग में हुए अफ्रीकी एशियाई लेखकों के सम्मेलन में दो भारतीय लेखकों ने भारत विरोधी वक्तव्य दिये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन लेखकों के नाम व पते क्या हैं ; और

(ग) उनके द्वारा दिये गये भारत विरोधी वक्तव्यों का वास्तविक ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) भारतीय मूल के दो ब्रिटिश नागरिकों ने जुलाई में पीकिंग में आयोजित अफ्रो-एशियाई लेखक सम्मेलन में भाग लिया और उन्होंने भारत के विरुद्ध तथा चीन के पक्ष में बयान दिये । ये थे श्री अभिमन्यु मनचन्दा और श्री तेजा सिंह सहोटा । वे इंगलैंड में स्थायी रूप से रहने वाले हैं और ब्रिटिश नागरिक हैं ।

(ग) खबर है कि श्री मनचन्दा ने सीमा के प्रश्न तथा काश्मीर के मामले के लिए भारत सरकार को दोषी ठहराया । उसने सीमा के प्रश्न पर चीन सरकार की "भारतीय प्रतिक्रियावादियों" के साथ उसके "धीरज" की प्रशंसा की और "भारतीय प्रतिनिधिमंडल तथा साम्राज्यवाद विरोधी और देशभक्त भारतीय लेखकों" की ओर से पीकिंग के प्रति अपना "आभार" प्रकट किया ।

श्री सहोटा ने पीकिंग रेडियो पर दिए गए अपने भाषण में माओ-त्से-तुंग और "महान सांस्कृतिक क्रांति" की बहुत प्रशंसा की ।

भारतीय वायु सेना के हेलीकोप्टर का दीमापुर में विवश होकर उतरना

1220. **श्री बागड़ी** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3616 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना के हेलीकोप्टर के 31 जुलाई, 1966 को दीमापुर में विवश होकर उतरने के कारणों के बारे में सरकार को इस बीच प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच अदालत निम्न नतीजों पर पहुंची :—

(एक) हेलीकोप्टर का चालक उड़ान करने के लिये सक्षम था ।

(दो) हेलीकोप्टर पूर्ण रूप से सेवा के योग्य था और उसमें पूरा पूरा तेल आदि था

(तीन) उड़ान सही रूप से प्राधिकृत थी और चालक को सही जानकारी दे दी गई थी।

(चार) दुर्घटना इंजन की खराबी के कारण हुई।

(पशच) दुर्घटना के लिये कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार नहीं है।

जनरल रिजर्व इंजिनियर फोर्स

1221. **श्री बागड़ी :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री रामसेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स के बारे में 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3620 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर सरकार ने अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां। सामान्य रक्षित इंजीनियर सेना में एक स्थायी श्रेणी के निर्माण करने का निश्चय किया गया है। स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या का भी अनुमान लगा लिया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

देहरादून-हरिद्वार राजपथ पर ट्रक दुर्घटना

1222. **श्री बागड़ी :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री रामसेवक यादव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री देहरादून-हरिद्वार राजपथ पर ट्रक दुर्घटना के बारे में 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3659 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार को दुर्घटना के कारणों के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) अभी जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। सैनिक अधिकारियों को इसे शीघ्र निपटाने के लिये कहा गया है।

यूरेनियम आक्साइड संयंत्र

1223. डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने यूरेनियम आक्साइड संयंत्र के प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस संयंत्र के उत्पादन से रिएक्टर के लिए ईंधन के संबंध में, भारत आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख). यूरेनियम आक्साइड संयंत्र संबंधी परियोजना प्रतिवेदन पर अणु शक्ति आयोग द्वारा विचार किया गया था और उसका अनुमोदन किया गया था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) 'कांडू' टाइप के रिएक्टरों के लिये यूरेनियम कंसंट्रेट्स की अवस्था से परिष्कृत इंधन तत्वों तक परिष्करण के लिये जिस प्रस्तावित संयंत्र श्रंखला का निर्माण किया जा रहा है तथा योजना बनाई जा रही है, यह संयंत्र उनमें से एक होगा।

प्रतिरक्षा संस्थानों के असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते

1224. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न प्रतिरक्षा संस्थानों में काम करने वाले असैनिक कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों और वार्षिक वेतन-वृद्धि को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई समिति बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस समिति के सदस्य कौन कौन हैं और उसके विचारार्थ विषय क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के विभिन्न असैनिक पदों के लिये वेतन तथा भत्तों में सुधार करने का सामान्य प्रश्न विचाराधीन नहीं रहा है। परन्तु तदर्थ विभागीय परीक्षा के पश्चात समय समय पर कुछ श्रेणियों के संबंध में वेतनक्रमों में वृद्धि मंजूर की गई है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

कपड़ा मिल

1225 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन 'क्लोदिंग फैक्टरीज़' में काम कम हो गया है, क्योंकि गैर सरकारी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी क्लोदिंग फैक्टरीज़ को कितनी मदें सौंप दी गई हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि 20,000 मदें, जो आयुध कारखानों मे बनाई जा सकती थीं, गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जा रही हैं।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी नहीं। प्रतिरक्षा का सामान गैर सरकारी क्षेत्र से तब ही लिया जाता है जबकि उनका निर्माण आयुध कारखानों की क्षमता के बाहर होता है।

(ख) और (ग). जहां तक क्लोदिंग फैक्टरीज़ का संबंध है प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं। सामान्य स्टोर और कपड़ों का कोई भी ऐसा मद जिसे कि आयुध कारखानों द्वारा बनाया जा सकता था गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दिया गया है।

मिश्रित इस्पात कारखाना, कानपुर

1226 **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री दाजी :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन कानपुर में विशेष मिश्रित इस्पात कारखाना स्थापित करने का अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) और (ख). वर्तमान प्रस्ताव कानपुर में मिश्र इस्पात के उत्पादन के लिये उपलब्ध सुविधाओं के आधुनिकीकरण के लिये है। सुविधाओं का क्षेत्र तथा उनका स्वरूप इस बात पर निर्भर करेंगे कि हम अन्य इस्पात संयंत्रों मे विकास के लिये किन किन क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। कानपुर में विशेष संयंत्र लगाने का अभी इरादा नहीं है।

उपग्रह द्वारा संचार

1227 डा० पू० ना० खां :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उपग्रहों का कक्ष में पता लगाने तथा उपग्रहों द्वारा संचार की प्रणाली की खोज तथा प्रशिक्षण के संचालन के लिये अहमदाबाद में एक केन्द्र स्थापित किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के क्या कार्य होंगे ; और

(ग) क्या इस केन्द्र की स्थापना के लिये विशेषज्ञों तथा उपकरणों के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ से वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है ?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ग). संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि, अन्तर्राष्ट्रीय दूर-संचार संघ जो कि परियोजना का निष्पादन करने वाला अभिकरण है, के द्वारा वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है और उससे अहमदाबाद में एक प्रायोगिक उपग्रह संचार भूमि केन्द्र स्थापित किया जा रहा है।

(ख) परियोजना का उद्देश्य, विशेष रूप से भूमि पर स्थित केन्द्रों के लिये मुख्य रूप से उपग्रह संचार की टक्नालोजी में अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक केन्द्र को स्थापित करना तथा प्रारम्भिक रूप से चालू करना है। अन्य बातों के साथ साथ केन्द्र व्यावहारिक परिक्षणों मे भाग लेगा और उपग्रह संचार की तकनीकों में प्रशिक्षण तथा जांच का प्रबन्ध करेगा और उपग्रह संचार भूमि स्थित केन्द्र के डिजाइन, निर्माण, संचालन और संधारण के सभी पहलुओं और उपग्रह संचार तकनीकों में भारतीय तथा विदेशी इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तकनीशनों को प्रशिक्षण देगा।

Truck Accident in Jammu Cantonment

1228. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a result of truck accident in Jammu Cantonement area on the 14th September, 1966, the driver was killed and many other persons were injured;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the extent of damage as a result thereof?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Yes, Sir. The driver was killed and three other Service personnel sustained minor injuries.

(b) While approaching a narrow bridge over Ranbir Canal, the driver saw a civilian suddenly crossing the road in front of the vehicle and, in order to save him,so steered the vehicle, that it hit the left parapet of the bridge. The vehicle then overturned and fell into the Canal as the railing on that side of the bridge had already been damaged in a previous accident and could not hold the vehicle.

(c) The damage to the vehicle is estimated at Rs. 1,685.60.

Strike in Kanpur

1229. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2941 on the 22nd August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry in respect of charge-sheeting the two employees who were not connected with the strike has since been completed; and

(b) if not, the time likely to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Enquiries against the two trade apprentices have been completed. In one case, final orders terminating the apprenticeship have been passed; the other case is under consideration.

(b) The final orders in respect of the second trade apprentice are expected to be issued shortly.

Wage Board for Employees of M.I.G. Factory at Nasik

1230. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given ao Unstarred Question No. 2947 on the 22nd August, 1966 and state:

(a) whether Government have since received the recommendations of the Wage Board regarding the Officers and employees of M.I.G. Factory at Ozar, Nasik;

(b) if so, the details thereof!; and

(c) if not, the time likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Recommendations of the Wage Board have been received regarding interim relief to the workers in the engineering industries (which include aircraft industry), and they are under consideration.

(b) The interim relief recommended by the Wage Board is as under:—

"Workers getting as on 31st March, 1966 wages (i.e. basic plus D.A. or a consolidated wage) in the wage range mentioned in items under column I below shall be paid interim relief with effect from 1st April, 1966 as shown against each item in Column II below:—

Wages and Wage Range I	Interim relief payable w. e. f. 1-4-1966 II
(1) Up to and inclusive of Rs.105/- p. m.	Rs. 12.50 p. m. subject to limitation that no-body gets as a result of these recommendations more than Rs. 111/- p. m.
(2) Above Rs. 105/- but not more than Rs. 150/- p. m.	Rs. 7.50 per month.
(3) Above Rs. 150/- but not mor than Rs. 250/- p. m.	Rs. 6.00 per month.
(4) Above Rs. 250/- but not more than Rs. 500/- p. m.	Rs. 5.00 per month."

(c) The Wage Board is still in session and its final recommendations are awaited.

नागा समस्या के बारे में डा० हटन का सुझाव

1231. श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विख्यात मानव शास्त्र वेत्ता तथा प्रशासक डा० हटन ने जो कई वर्ष नाग लैण्ड में रह चुके हैं नागा समस्या का एक हल सामने रखा है जिसके अनुसार नागालैण्ड को

15 से 20 वर्ष के अन्त में कतिपय पूर्व निर्धारित शर्तें पूरी करने पर भारत संघ से पृथक होने की स्वतन्त्रता होगी;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) 18 अगस्त, 1966 के "असम ट्रिब्यून" में प्रकाशित डा० हटन के एक पत्र में कहा गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि नागालैण्ड राज्य की स्थापना से, जैसा कि वह भारत के संविधान की धाराओं द्वारा रक्षित है, नागाओं को वास्तव में उनकी प्रत्याशा अथवा इच्छा से कुछ अधिक ही मिला है—पूर्णरूपेण अन्तरिम गृह शासन जिसका खर्च भारत सरकार उठाएगी ; निःसन्देह, वे अपनी लड़ाई में जीते हैं लेकिन इस विजय का लाभ उठाने के लिए यह जरूरी है कि छिपे नागाओं को अपने हथियार डाल देने के लिए राजी किया जाए, और पहाड़ियों में व्यवस्था कायम हो जाए। मैं पुराने ढंग का आदमी हूं, और बड़ी ही झिझक के साथ अपना यह सुझाव पेश कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर भारत सरकार करीब 15–20 वर्ष की अवधि के पश्चात नागालैण्ड को भारत संघ से अलग होने का विकल्प देने के लिए तैयार हो जाए, तो कोई नुकसान होगा; हां, इस विकल्प को निस्सन्देह तभी क्रियान्वित किया जाए जब कि भारत सरकार को सभी हथियार, नागरिक रसद और चिकित्सा उपकरण लौटा दिए जाएं और शिक्षा पर, अस्पतालों पर और सार्वजनिक निर्माणकार्यों पर आमतौर से खर्ची गई रकम की पर्याप्त सुरक्षा हो जाए तथा सभी नागाओं के वेतन और पेंशन की जिम्मेदारी लेली जाए।

(ग) नागालैण्ड भारत का अंग है और भारत के किसी प्रदेश के किसी भाग के अलग होने का कोई सवाल ही नहीं है।

नाशक कीटों द्वारा प्रभावित धान

1332. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक अधिक उपजने वाले धान की फसल के कुल कितने क्षेत्र को नाशक कीटों ने नुकसान पहुंचाया; और

(ख) उससे उत्पादन को कुल कितनी हानि पहुंची है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) गत खरीफ मौसम के दौरान मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के भागों में ताइचुंग नेटिव-1 को जो धान की अधिक उत्पादक किस्मों में से है कीड़ों (फुलगोरिडस तथा जैसिडस) ने हानि पहुंचाई। समस्त राज्यों में यह किस्म कुल में 5.85 लाख एकड़ क्षेत्र में बोई गई जिसमें से इन राज्यों में लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र को हानि पहुंची। फिर भी संबंधित राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सहायता से जो नियंत्रण करने के उपाय अपनाए उनसे फसल में तेजी से सुधार हुआ।

T. V. Station at Srinagar and Kanpur

1233. Shrimati Savitri Nigam:

Will the Minister of **Information and Broadacatsing** be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up television stations at Srinagar and Kanpur within a period of three years; and

(b) if so, the preliminary steps being take in this regard?

The Minister of Information and Broadacasting (Shri Raj Sahadur): (a) and (b). The A.I.R. Fourth Five Year Plan provides for a pilot TV Station at Kanpur. Srinagar will also be considered if resources permit. Preliminary steps in this regard will be taken after the plan has been approved.

भारत की फिल्म संस्था

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की फिल्म संस्था में जो विभिन्न विषय बढ़ाये जा रहे हैं उनमें प्रशिक्षण देने के लिये अर्हता प्राप्त अध्यापक भर्ती कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) जी, हां।

पाकिस्तान के लिए चीन का प्रतिनिधि मंडल

1235. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वस्त सूचनाओं से यह पता चला है कि चीन के संसद सदस्यों के एक दल ने पाकिस्तान की सैनिक आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक -कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी नहीं। लेकिन नेशनल पिपुल्स कांग्रस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक चीनी प्रतिनिधिमण्डल अलबानिया जाते हुए 27 अक्तूबर, 1966 को कराची में थोड़ी देर के लिए रुका था। इस प्रतिनिधिमण्डल में अन्य व्यक्तियों के अलावा जन मुक्ति सेना के उप सेनाध्यक्ष थे। यह मालूम नहीं है कि कराची में किन्ही सैनिक मामलों पर बातचीत हुई।

(ख) भारत सरकार को चीन और पाकिस्तान की बढ़ती हुई सांठगांठ के बारे में जानकारी है और इस पहलू पर निरन्तर ध्यान दिया जाता है और निगाह रखी जाती है।

इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड

1236. श्री ब० कु० दास : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स त्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड के साथ विलय होने के पश्चात् इण्डियन रेयर अर्थस् लिमिटेड की वित्तीय स्थिति काफी सुधर गई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी के एक उत्पादन अर्थात् रेयर अर्थस क्लोराइड का अमरीका को निर्यात किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो 1965–66 में कितनी मात्रा में रेयर अर्थस क्लोराइड का निर्यात अमरीका को किया गया ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) ट्रावनकोर मिनरल्स लिमिटेड की आस्तियों को अपने अधिकार में ले कर इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड खनिज तथा धातु उद्योग के आधुनिक तरीकों पर पुनर्गठन किये जाने के काम में व्यस्त हैं। आशा है कि इस पुनर्गठन के पूरा हो जाने पर इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड की वित्तीय दशा में सुधार होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) 900 मीट्रिक टन।

अणु विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र

1237. **श्री ब० कु० दास :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
डा० म० मो० दास : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अणु विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मूलभूत अनुसन्धान की सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित दो अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्रों की स्थापना के लिये स्थानों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) क्या यह निर्णय किया गया है कि उनमें से एक केन्द्र मूलभूत अनुसन्धान सम्बन्धी टाटा संस्थान द्वारा स्थापित किया जायेगा जिसके लिये अणु ऊर्जा प्रतिष्ठान द्वारा धन दिया जा चुका है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जैसाकि 14 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2070 के उत्तर में पहले ही बताया गया उटाकमण्ड के पास रेडियो टेलीस्कोप सहित एक अन्तर्विश्वविद्यालय स्थापित करने का विचार है। दूसरे केन्द्र के स्थान के बारे में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) उटाकमण्ड के पास रेडियो टेलीस्कोप स्थापित करने का काम मूलभूत अनुसन्धान सम्बन्धी टाटा संस्थान को सौंपा गया है और इस प्रयोजन के लिये संस्थान को निधियां अणु-शक्ति विभाग द्वारा दी गई हैं। यह उपकरण ऊटी अन्तर्विश्वविद्यालय केन्द्र के लिये बड़ी सुविधाओं में से एक होगा।

कला की दृष्टि से ऊंचे दर्जे की फिल्म

1238. **श्री ब० कु० दास :** **श्री स० चं० सामन्त :**
डा० म० मो० दास : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कला की दृष्टि से ऊंचे दर्जे की फिल्म की जांच करने के लिए एक समिति स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति की स्थापना की जा चुकी है अथवा इसको कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) सरकार की कला की दृष्टि से ऊंचे दर्जे की फिल्मों का अधिक संख्या में निर्माण करने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ग) प्रस्ताव है कि कला की दृष्टि से उत्कृष्ट सामाजिक तथा राष्ट्रीय विषयों की सोद्देश्य फिल्मों को एक समिति छांटे और उन को करों से छूट देने की सिफारिश करे। कलापूर्ण फिल्मों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कई काम कर रही है यथा राजकीय पुरस्कार, भारतीय फिल्म इंस्टीट्यूट में कलाकारों आदि का प्रशिक्षण तथा फिल्म वित्त निगम द्वारा फिल्म निर्माण के लिए ऋणों की मंजूरी । उपर्युक्त प्रस्ताव से इन प्रयत्नों को बल मिलेगा ।

भूत पूर्व सैनिकों के लिए मकान

1239. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिये दो खण्डों (ब्लाकों) का निर्माण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भूतपूर्व सैनिकों को यह मकान दे दिये गये हैं ;

(ग) इस समय कितने खण्ड अथवा मकान बनाये जा रहे हैं और उनका निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा ;

(घ) इन मकानों को भूतपूर्व सैनिकों को देने के बारे में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ; और

(ङ) क्या किसी से इस बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बारह बारह फ्लैटों के दो ब्लाकों का निर्माण शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा और कार्य के लगभग एक वर्ष में समाप्त होने की सम्भावना है ।

(घ) इन दो ब्लाकों में आवास के आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है ।

(ङ) जी, नहीं ।

परमाणु हथियारों से रक्षा की गारन्टी के बारे में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री का वक्तव्य

1240. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री 29 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3635 के उत्तर के

सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु हथियारों से रक्षा की गारण्टी के बारे में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री के वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) क्या इस विषय पर ब्रिटेन तथा भारत की सरकारों के बीच कोई पत्र-व्यवहार अथवा अन्य अनुवर्ती कार्यवाही हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :(क), (ख) और (ग) गैर आणविक देशों को अणु गारण्टियां देने के किन्हीं ठोस प्रस्तावों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है। सरकार का ख्याल है कि जबकि व्यापक अनुत्पादन करार में गैर आणविक देशों की सुरक्षा का आश्वासन होना चाहिए उसमें अणु देशों द्वारा आणविक निरस्त्रीकरण की दिशा में किए जाने वाले उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए जोकि विश्व की सुरक्षा की पक्की गारण्टी है। इस प्रश्न पर ब्रिटेन के वैदेशिक मामलों के राज्य मन्त्री, लार्ड चेल्फान्ट को उनकी भारत की हाल की यात्रा के दौरान भारत सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय क्षेत्र में घटनाएं

1241. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** 11 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1606 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मन्त्री द्वारा 21 फरवरी, 1966 को इस सभा में दिये गये वक्तव्य के अनुसार उन्होंने सभा में दिये गये सभी सुझावों को मुख्य मन्त्री के पास भेज दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) प्रधान मन्त्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री को इस विषय में एक पत्र 23 फरवरी, 1966 को लिखा था। मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

इलैक्ट्रोनिक पुर्जे

1242. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नये भारत-जर्मन संयुक्त उपक्रम के उत्पादन कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है जिसमें कई प्रकार के इलैक्ट्रोनिक पुर्जे बनाये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) योजना को कब कार्यान्वित किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां । मैसर्स टैलीफुंकन ऑफ वैस्ट जर्मनी के सहयोग से रेडियो सेटों और पुर्जों के निर्माण के लिये टैलीफुंकन इंडिया लिमिटेड के नाम से एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये एक लाइसेंस जारी किया गया है ।

(ख) योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:—

(क) **अधिष्ठापित क्षमता** :

निम्न मदों के लिये इस औद्योगिक उपक्रम की अधिष्ठापित क्षमता इस प्रकार होगी :—

मद	वार्षिक क्षमता (संख्या)
1. रेडियो रिसीवर . .	40,000
(एक) आई० एफ० ट्रांसफारमर . .	3,96,000
(दो) ओडियो और आऊट पुर ट्रांसफारमर . .	2,64,000
(तीन) कोआयल सेट	1,32,000
(चार) पेपर कंडेंसर . .	9,60,000
(पांच) लाऊडस्पीकर 8" तक . .	2,40,000
(छ) बैंड स्विच . . .	2,40,000
(सात) माइका कंडेंसर	9,60,000
(आठ) वैल्व और ट्रांजिस्टर होल्डर	9,60,000

(ख) पूंजी सम्बन्धी विवरण :

विदेशी कम्पनी को परियोजना के लिये अपेक्षित आयातित सन्यन्त्र और मशीनों के मूल्य के अंश लेने की अनुमति होगी परन्तु यह 75 लाख रु० के साम्य अंशों की पूंजी के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहियें ।

(ग) **स्थान**—कारखाना बल्लबगढ़ में लगाया जायेगा ।

(ग) वर्तमान संकेतों के अनुसार योजना के 1967 के पूर्वार्द्ध में क्रियान्वित होने की सम्भावना है ।

जूते के डिब्बे के आकार का राडार

1243. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि अमरीका में जूते के डिब्बे से कुछ बड़े आकार का दो पाउण्ड वजन का एक राडार बनाया गया है और इसको जंगलों में होने वाले युद्ध में बहुत लाभदायक समझा गया है ; और

(ख) क्या इस उपकरण को प्राप्त करने अथवा देश में निर्माण करने के बारे में कोई प्रयत्न किया गया है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० मा० थामस) : (क) हमारी जानकारी के अनुसार यह रडार अभी विकास की अवस्था में है ।

(ख) प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास प्रयोगशालाएं इसी प्रकार की एक परियोजना का कार्य कर रही हैं ।

विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों की कार्यकुशलता का विश्लेषण तथा लेखा परीक्षण

1244. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों की कार्यकुशलता के बारे में अच्छी तरह विश्लेषण तथा लेखापरीक्षण किया है; और

(ख) क्या विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों, अर्थात् हांगकांग में स्थित भारतीय दूतावास, त्रिनिदाद में स्थित भारतीय उच्च आयुक्त तथा अफ्रीका में स्थित हमारे अन्य दूतावासों के कार्य-संचालन एवं कार्य प्रणाली का विशेष रूप से निरीक्षण एवं मूल्यांकन करने का कोई प्रयास किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) औपचारिक तरीके से केवल दो मिशनों का ही दक्षता विश्लेषण किया गया है—1958–59 में वित्त मंत्रालय के विशेष पुनर्गठन एकांश ने लंदन-स्थित हाई कमीशन का और पिछले वर्ष इसी एकांश ने जिसे अब कर्मचारी निरीक्षण एकांश कहा जाता है, भारतीय सहायता मिशन, काठमांडू, का इस तरह का विश्लेषण किया था । इन अवसरों पर, काम की मात्रा का और कर्मचारियों में संभव समंजन/कमी करने की दृष्टि से विशेषरूप से अध्ययन किया गया था जिससे कि इन दो मिशनों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके ।

किंतु नीचे लिखे तरीकों से दक्षता विश्लेषण बराबर होता रहता है:—

1. हर साल जब विदेश-स्थित मिशनों में कर्मचारियों को बनाए रखने के प्रश्न पर विचार किया जाता है तब विदेश मंत्रालय का पुनर्गठन एकांश हरेक मिशन के काम का अध्ययन करता है ।

2. कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संगठन एवं विधि सम्बन्धी रिपोर्टों तथा निर्देश उन्हें नियमित रूप से भेजे जाते रहते हैं ।

3. लंदन-स्थित भारत के हाई कमीशन में एक संगठन एवं विधि अधिकारी है ।

4. विदेश सेवा निरीक्षालय विदेश-स्थित मिशनों के कर्मचारियों की संख्या, निवास का स्थान, भत्ते, बजट आदि पर रिपोर्ट देने के लिए समय-समय पर मिशनों का दौरा करते रहते हैं ।

5. भारत सरकार के अन्य मंत्रालय और विभाग विदेशों में अपनी सिब्वंदियों का स्वयं विश्लेषण करते हैं ।

जहां तक लेखापरीक्षण का प्रश्न है, यह कार्य विदेश मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता। भारत का महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक संविधान की धारा 149 के अनुसार महा-लेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, लेखापरीक्षा निदेशक, लंदन, तथा लेखापरीक्षा निदेशक, वाशिंगटन के जरिए विदेश-स्थित मिशनों के लेखे की परीक्षा करता है। महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व, जो दिल्ली से ही मिशनों की लेखापरीक्षा करता है। नियतावधि पर स्थानीय रूप से भी निरीक्षण करता है। स्थानीय निरीक्षण का कार्यक्रम महानियंत्रक एवं लेखापरीक्षक से समय-समय पर मिलने वाले निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाता है।

(ख)- विदेश सेवा निरीक्षालय मई, 1954 में स्थापित किया गया था जिसमें सह-सचिव के स्तर के दो अधिकारी थे और एक सह-सचिव वित्त मंत्रालय का था। इस निरीक्षालय के कार्य ये थे :—

1. विभिन्न मामलों में मिशन प्रमुखों को सलाह देना और उनका मार्गदर्शन करना।
2. प्रशासनिक मामलों, कर्मचारी संख्या आदि पर टिप्पणी देना।
3. भत्तों के सम्बन्ध में सिफारिश करना।
4. स्थान, संपत्ति की खरीद की जांच करना।
5. मिशनों के लेखे को देखना।

यह निदेशालय 1960 में बंद कर दिया गया था, 1964–65 में इस पर संक्षिप्त रूप से फिर विचार किया गया, और अक्तूबर 1966 में इसे फिर शुरू कर दिया गया है और तब से इसने पूर्वी यूरोप के कुछ मिशनों का निरीक्षण किया है। यह निरीक्षालय भविष्य में प्रादेशिक आधार पर मिशनों का निरीक्षण करता रहेगा।

हांगकांग और ट्रिनिडाड के मिशनों का क्रमश: 1956 और 1959 में निरीक्षण किया गया था। अफ़्रीका-स्थित निम्नलिखित मिशनों का निरीक्षण उनके आगे दी गई तारीखों पर किया गया था :—

काहिरा	जून, 1956 और मार्च-अप्रैल, 1957
आदिस अबाबा	जून-जुलाई, 1956
खरतूम	जुलाई, 1956
अक्रा	जुलाई, 1956 और 1964
साल्सबरी	अप्रैल, 1957
नैरोबी	अप्रैल, 1957
मारिशस	अप्रैल, 1957
तेनेनेरिव	अप्रैल, 1957
मोम्बासा	अप्रैल, 1957
कम्पाला	अप्रैल, 1957
उगांडा	मई, 1957
लियोपोल्डविल	अप्रैल-मई, 1964
लागोस	अप्रैल-मई, 1964
कोनाक्री	अप्रैल-मई, 1964
अल्जीयस	अप्रैल-मई, 1964
रब्बत	अप्रैल-मई, 1964
टूनिस	अप्रैल-मई, 1964

संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकार पत्र में संशोधन

1245. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान काहिरा में भारत के राजदूत द्वारा दिये गये इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में परिवर्तन किया जाये तथा विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ में दो परिषदें अर्थात् एक देशों के प्रतिनिधियों की ओर दूसरी लोक प्रतिनिधियों की, स्थापित की जायें;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है और क्या वह इसका समर्थन करने की स्थिति में है; और

(ग) क्या सरकार ने किसी रूप में अधिकारपत्र में संशोधन करने के बारे में विचार किया है और यदि हां, तो क्या संशोधन किये जाने का प्रस्ताव है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख) जी, हां। राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के विभिन्न प्रस्तावों का ही उल्लेख किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से या भारत सरकार की ओर से उन प्रस्तावों पर अमल करने के पक्ष में कुछ नहीं कहा।

(ग) सरकार का विचार है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करने या पुनर्विचार करने के उपयुक्त नहीं है जो कि सभी बड़े राष्ट्रों की सहमति से ही किया जा सकता है।

News Services of A.I.R.

1246. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the frequency of the news service is being increased by the All India Radio; and

(b) if so, in which languages?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

बी० ए० के विद्यार्थियों के लिए "प्रसारण द्वारा विश्वविद्यालय-शिक्षा" का कार्यक्रम

1247. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से बी० ए० पास कोर्स के विद्यार्थियों के लिए "प्रसारण द्वारा विश्वविद्यालय-शिक्षा" का एक नया कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या कार्यक्रम को आकाशवाणी के अन्य केन्द्रों में भी आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो कब और किन-किन अन्य केन्द्रों में ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली और मद्रास केन्द्रों से प्रसारित किया जाता है।

(ख) यह कार्यक्रम, दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्र-व्यवहार द्वारा शिक्षा देने के प्रयत्नों की सहायता के लिए है। यह कार्यक्रम सप्ताह में तीन बार प्रसारित किया जाता है और बी० ए० पास डिग्री के निर्धारित पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है। इस में, अर्थ-शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी के प्रसिद्ध प्राध्यापकों के व्याख्यान आकाशवाणी से कराए जाते हैं, जिससे न केवल पत्र-व्यवहार कोर्स के विद्यार्थी, अपितु नियमित विद्यार्थी भी लाभ उठा सकें। ये कार्यक्रम दिल्ली से 6.30 बजे शाम और मद्रास से 7.30 बजे शाम को, आध आध घंटे प्रसारित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान कार्यक्रमों के परिणामों और साधनों की उपलब्धि को देखते हुए यथा समय आकांशवाणी के अन्य केन्द्रों से भी इन कार्यक्रमों को आरम्भ करने पर विचार किया जाएगा।

सीमा सम्बन्धी प्रचार

1248. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमा सम्बन्धी प्रचार पर कितना धन व्यय हुआ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमा सम्बन्धी प्रचार पर कितना धन व्यय करने की योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 197.00 लाख रुपये।

(ख) इस सम्बन्ध में अभी योजना आयोग से बातचीत चल रही है।

आदिम जातियों सम्बन्धी कार्यक्रम का प्रसारण

1249. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता केन्द्र से आदिम जातियों सम्बन्धी कार्यक्रम के प्रसारण के बारे में शिकायतें आई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या शिकायतें आई हैं ;

(ग) क्या उनको दूर करने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो कौनसी शिकायतें दूर की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) आकाशवाणी, कलकत्ता के सन्ध्याली प्रसारणों में, गीत, वार्ता आदि कार्यक्रमों में विविधता बढ़ाने की मांग की गई है । यह भी शिकायत है कि ये कार्यक्रम अच्छी तरह सुनाई नहीं देते ।

(ग) तथा (घ) उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत, इन प्रसारणों में विविधता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं । जहां तक कार्यक्रमों को और अच्छी तरह सुनाने की व्यवस्था की बात है, आकाशवाणी के सारे देश में प्रशारण और अच्छी तरह सुनाने की योजना बनाई है, तथा इसमें आदिम जाति क्षेत्रों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया है ।

12 बोर बन्दूक के कारतूस

1250. श्री सुबोध हंसदा : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिकों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिए 12 बोर की बन्दूक के कारतूस बनाने के लिए सरकार का एक अलग कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) प्रस्तावित कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ;

(ग) उसकी मासिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(घ) क्या वह कारखाना देश में कारतूसों की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राष्ट्रमंडल सम्मेलन में केनिया के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत

1251. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या उन्होंने लंदन में हुए राष्ट्रमंडल सम्मेलन में केनिया के प्रतिनिधि मंडल से वहां बसे हुए भारतीयों पर हाल ही में हुए आक्रमण तथा वहां पर उनकी स्थिति के बारे में बातचीत की ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). राष्ट्रमडल की मीटिंग के दौरान सभी स्तरों पर भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने कीनिया प्रतिनिधिमंडल के साथ निकट संपर्क बनाए रखा और कीनिया में भारतीय मूल के व्यक्तियों की स्थिति पर बातचीत की। हमारे प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन दिया गया कि समान्य रूप से एशियाई लोगों के और विशेष रूप से भारतीयों के विरुद्ध कोई संगठित आंदोलन नहीं हैं। कीनिया सरकार ने ब्रिटिश और अमरीकी राष्ट्रिकों के लिए भी जाहिरा तौर पर वैसी ही कार्रवाई की थी। लेकिन कीनिया के प्रतिनिधिमंडल ने महसूस किया कि भविष्य में इस तरह के मामले खड़े होने की संभावना नहीं है।

उद्वासन के कोई और मामले नहीं हुए हैं और प्रेस तथा रेडियो में आपत्तिजनक टिप्पणियां भी बन्द हो गई हैं।

हल्के विमानों के इंजिनों का डिजाइन तैयार किया जाना

1252. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनौटिक्स लिमिटेड, बंगलौर ने हाल में हल्के विमानों के लिये एक इंजन का डिजाइन तैयार किया है और उसका सफल परीक्षण भी किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस इंजन की विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) उसका किस प्रकार प्रयोग करने का इरादा है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां।

(ख) यह चार सिलैंडर, चार स्ट्रोक वाला, हवा ठंडा होने वाला 'होरीजोंटल टाइप' पिस्टन का इंजन है जो कि हल्के विमानों के लिये उपयुक्त है। 2600 आर० पी० एम० (कुल थरोटल) पर इसकी शक्ति अधिकतम 'टेक आफ' पर 84 हार्स पावर और अधिकतम 'कंटिनवस' पर 2450 आर० पी० एम० पर 64 हार्स पावर है।

(ग) इंजन को पुटापक जैसे हल्के विमान के लिये शक्ति संयंत्र के रूप में प्रयोग करने का इरादा है।

अणु शक्ति ग्रिड

1253. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
डा० रानेन सेन :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अणुशक्ति ग्रिड श्रृंखला स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

(ख) यदि हां, तो क्या नये केन्द्रों के लिये स्थान चुनने के बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार से गुजरात सरकार ने गुजरात राज्य में अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अणुशक्ति परियोजनाएं कब चालू होने की संभावना है?

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ङ). सरकार द्वारा अब तक जो कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है वह, (एक) तारापुर, महाराष्ट्र; (दो) राना प्रतापसागर, राजस्थान और (तीन) कलपाक्कम, मद्रास में तीन अणुशक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए हैं। आशा है कि ये तीन केन्द्र निम्न तिथियों पर चालू हो जायेंगे :—

(एक) तारापुर अणुशक्ति केन्द्र अक्तूबर 1968

(दो) राजस्थान अणुशक्ति केन्द्र (पहला एकक) 1969 के अन्त में

(तीन) राजस्थान अणुशक्ति केन्द्र (दूसरा एकक) और मद्रास अणुशक्ति केन्द्र (पहला एकक) 1971

(चार) मद्रास अणुशक्ति केन्द्र (दूसरा एकक) 1973

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त शक्ति केन्द्रों में स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। गुजरात सरकार ने सुझाव दिए हैं कि गुजरात राज्य में एक अणुशक्ति केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के साथ साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

हरियाना के लिए प्रसारण केन्द्र

1254. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाना के लिए एक अलग प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के लिए कोई निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस दिशा में कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) तथा (ख). आकाशवाणी की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, जो अभी स्वीकृत होना है, हरियाणा में आकाशवाणी का एक केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था है।

निरस्त्रीकरण वार्ता में चीन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव

1255. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 दिसम्बर, 1966 को पोलेंड में हुए विश्व सुरक्षा संबंधी वार्षिक पगवाश सम्मेलन में जेनेवा निरस्त्रीकरण वार्ता में चीन को सम्मिलित करने के प्रश्न प विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रश्न पर आम राय क्या थी ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) और (ख). यह बताना संभव नहीं है कि 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति में चीन की सदस्यता के प्रश्न पर सितम्बर 1966 में पोलेंड में पगवाश सम्मेलन में विचार किया गया था या नहीं क्योंकि इस सम्मेलन की कार्यवाही का विवरण अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Position of Great Britain in Commonwealth

1256. Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that no other country enjoys the same position in the Commonwealth as is enjoyed by Great Britain; and

(b) whether it is also a fact that due to the supreme position enjoyed by Great Britain, Commonwealth Conference is always held in London?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. All countries enjoy equal position as sovereign independent members of the Commonwealth.

(b) The Commonwealth Conferences have, so far, been held in London on account of the fact that most countries in the Commonwealth find it convenient to hold them there. However, the conference in January, 1966 was held in Lagos (Nigeria).

नेपाल में सड़कों का निर्माण

1257. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार नेपाल की 1970 में समाप्त होने वाली तीसरी पंचवर्षीय योजना में वहां एक सड़क बनाएगी जो जाल्पा से पूर्वी नेपाल के अन्तिम छोर को महाकाली में पश्चिमी छोर से मिलाने वाले 600 मील लंबा पूर्व-पश्चिम राजपथ होगा ;

(ख) यदि हां तो उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) क्या नेपाल में अन्य सड़कें बनाने के लिए कोई अन्य प्रस्ताव विचाराधीन है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) पूर्व-पश्चिम राज मार्ग की कुल लम्बाई, जिसके भारतीय सहायता से बनाए जाने की सम्भावना है, करीब 410 मील होगी ।

(ख) और (ग). 1971 में पूरी होने वाली पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस राजमार्ग के पूर्वी-भाग पर 21 करोड़ रु० की अनुमानित राशि खर्च होगी जो कि झापा से जनकपुर तक जाएगी और इसकी लंबाई लगभग 100 मील होगी। नेपाल में पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के भुटावल से नेपालगंज तक के मध्य भाग का निर्माण कार्य भारत सरकार चौथी

योजनावधि 1966–71 के अन्त में शुरू करेगी और अगर नेपाल सरकार ने अनुरोध किया तो वह इस पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नेपालगंज से नेपाल की पश्चिमी सीमा तक के पश्चिमी भाग को बनाने में भी, इस राजमार्ग के बाकी हिस्से पूरे हो जाने पर, सहायता करने को तैयार होगी ।

भारत सरकार 12 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 128 मील लंबी सोनाली-पोखरा सड़क 1964 से बना रही है ।

1961-66 के दौरान कोसी क्षेत्र की कुछ सड़कों को तथा नेपाल को कुछ अन्य छोटी-छोटी सड़कों को बनाने का काम भी शुरू किया गया था । ये सड़कें अभी बन रही हैं और हम उनमें सहायता दे रहे हैं ।

निकट भविष्य में नेपाल में कोई और सड़क बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

Defence Efforts

1258. Shri Bibhuti Mishra:
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether Government are formulating any scheme to provide equal opportunities to the people of all parts of the country to participate in the defence efforts;

(b) whether it is a fact that the existing method of recruitment is faulty; and

(c) if so, the scheme proposed to be formulated by Government with a view to provide equal opportunities to all the people in the country?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) The policy of the Government is to broad-base recruitment and throw it open to all Indian citizens irrespective of caste, creed or residence provided they conform to the prescribed physical, education and medical standards and are within the prescribed age limits.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कारतूसों की कमी

1259. श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रीच लोडिंग वाली दुनाली बंदूक तथा भारत में निर्मित अन्य बन्दूकों के कारतूस अनेक राज्यों में नहीं मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) .22 गोलाबारूद के सम्बन्ध में सप्लाई स्थिति संतोषजनक है। तथापि 12 बोर की ब्रीच लोडिंग वाली दुनाली बन्दूकों के लिए कारतूसों की कमी रही है ।

(ख) 12 बोर की बन्दूकों के लिए कारतूसों की कमी इसलिए रही है कि आयात के बाद उत्पादन सीमित रहा है। और उस कागज की कमी रही है जिसके आयात करना पड़ा है।

(ग) उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के लिए अब कार्यवाही की गई है और नए उत्पादन के साथ कुछ ही महीनों में मांग को पूरा करना संभव हो जाएगा।

स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति

1260. **श्री उमानाथ :**

श्री मा० ना० स्वामी :

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगून में रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के प्रांगण में लगी हुई स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति जहाज द्वारा भारत भेजे जाने के लिए जिस समय इसके फलक से हटाई गई थी उस समय वहां पर वर्मा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थे और यह मूर्ति उनकी देख रेख में हटाई गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस मूर्ति को जहाज द्वारा भेजने की व्यवस्था करने वाले व्यवस्थापकों के बार बार अनुरोध किये जाने पर भी भारतीय दूतावास का कोई भी अधिकारी जब कि वर्मा के स्वास्थ्य मंत्री उस अवसर पर वहां पर उपस्थित थे उस समय वहां नहीं था ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) वर्मा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री उस दिन सवेरे अस्पताल में थे, जबकि खंभे की चौकी से मूर्ति को हटाया गया था लेकिन पता चला है कि वहां पर उनकी उपस्थिति का मूर्ति से कोई सम्बन्ध नहीं था। वह उस समय अस्पताल का निरीक्षण दौरा कर रहे थे।

(ख) और (ग). राजदूतावास को मूर्ति हटाते समय अस्पताल में उपस्थित रहने की कोई सूचना अथवा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था। बहरहाल बाद में राजदूतावास ने बीच में पड़कर शिपिंग कम्पनी से कहा है ताकि जहाज से मूर्ति भारत पहुंचाई जा सके और जब मर्ति जहाज पर रखी जा रही थी, तब राजदूतावास का एक अधिकारी बन्दरगाह पर मौजूद था।

Bungalows for Indian Ambassador in Khartoum

1261. Shri Yashpal Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that only two years back, a bungalow at the cost of Rs. 4 lakh was purchased in Khartoum for the Indian Envoy;

(b) whether it is also a fact that the said bungalow was never occupied by the Ambassador and is still lying vacant; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) No, Sir. Government has not purchased any property in Khartoum so far.

(b) and (c). Do not arise.

हज यात्री

1262. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले वर्ष कितने हज यात्रियों को हज जाने की अनुमति दी जायेगी ;

(ख) प्रत्येक यात्री को कितनी विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति होगी ; और

(ग) क्या हाजियों पर कोई पाबन्दी लगाई गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) 15,000.

(ख) 1575 रुपए प्रति बालिग और 790 रुपए प्रति बालक, जो 14–16 वर्ष की आयु के बीच का हो।

(ग) निम्नलिखित वर्गों के लोगों को हज के लिए सऊदी अरब जाने की इजाजत नहीं है :—

(1) वे महिलाएं जिन्हें जहाज छुटने के समय चार महीने का गर्भ हो ;

(2) वे व्यक्ति जिन के पास 1250 रुपये से कम की विदेशी मुद्रा हो।

(3) जो व्यक्ति निम्नलिखित रोगों से पीड़ित हों या अपांग हों :

(क) सेरेब्रल थोबोसिस

(ख) पलमोनरी ट्यूबरकुलोसिस

(ग) कंजेस्टिव कार्डियक फैल्योर

(घ) ऐक्यूट कोरोनरी इन्सफीशिऐंसी

(ङ) संक्रामक कोढ़ ; अथवा

(च) अन्य गम्भीर संक्रामक रोग

(4) 5–14 वर्ष की बीच के आयु के बच्चे।

(5) जो व्यक्तगत पांच वर्षों में हज कर आया हो।

योजना प्रचार

1263. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिसूचित आदिम जाति के रोगों तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं के प्रचार के बारे में सरकार की कोई पृथक योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना के प्रचार के लिये केन्द्र में किस प्रकार की व्यवस्था की गयी है ; और

(ग) यह व्यवस्था कब से कार्य कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). यद्यपि इस काम के लिए कोई विशेष मशीनरी स्थापित नहीं की गई है, तो भी, अधिसूचित क्षेत्रों में और अधिसूचित आदिम जाति के लोगों में विकास योजनाओं के प्रचार पर काफी जोर दिया जा रहा है। अधिसूचित आदिम जाति के लोगों के लिए आकाशवाणी के 9 केन्द्रों से विशेष कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। फिल्म विभाग ने आदिम जाति के लोगों के लिए विकास की योजनाओं और कार्यों पर 19 वृत्त चित्र बनाए हैं और 3 वृत्त चित्र बना रहा है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय दक्षिण भारत, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की आदिम जातियों की भलाई के कामों के बारे में 3 फोल्डर बना रहा है। विभिन्न राज्यों में स्थापित क्षेत्रीय प्रचार टुकड़ियों के द्वारा भी आदिम जाति क्षेत्रों में उनके लिए होने वाले विकास कार्यों के बारे में विशेष प्रचार किया जाता है।

सूखी गोदी का डिजाइन

1264. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच वर्कशाप के अधिकारियों को सूखी गोदी और सहायक थाना के डिजाइन के बारे में परामर्श सेवायें प्राप्त हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो परामर्शदाता कौन हैं;

(ग) क्या उन्होंने गोदी का डिजाइन तैयार कर लिया है ;

(घ) क्या गोदी की योजना तथा प्राक्कलन भी तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च आयेगा तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) सूखी गोदी के लिये स्थान तथा उसके मार्ग निर्धारण के सम्बन्ध थे गार्डन रीच वर्कशाप और कलकत्ता बन्दरगाह के अधिकारियों के बीच विचार विमर्श चल रहा है। अतः सूखी गोदी की रूपरेखा तैयार करने के लिये किसी परामर्शदात्री फर्म को नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) कुछ समय पहले प्रारम्भिक रूपरेखा के आधार पर प्राक्कलन तैयार किये गये थे और यह अनुमान लगाया गया था कि सूखी गोदी पर लगभग 2.75 करोड़ रुपये और 48 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की लागत आयेगी।

टेलीविजन सेट

1265. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने टेलीविजन सेटों के लिए विदेशों को क्रयादेश दिये गये हैं : और

(ख) कितने सेटों के लिए देश में क्रयादेश दिये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) 5,000

(ख) उद्योग मन्त्रालय द्वारा दो फर्मों को प्रति वर्ष दस दस हज़ार टेलीविजन सेट निर्माण करने के लिये अनुमति पत्र (लैटरज् आफ इनटेन्ट) जारी कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त 10,000 टेलीविजन सेट छोटे रेडियो निर्माताओं के संघ द्वारा बनाए जायेंगे । पिलानी का सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इन्जीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट भी 1,000 टेलीविज़न सैट बनाने वाला है ।

Truck Accident in Delhi Cantonment

1266. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2885 on the 22nd August, 1966 and state:

(a) whether the enquiry into the truck accident at Delhi Cantonment has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to the opinion of the Court of Inquiry, the accident was due to rash and negligent driving by the Service driver and over-loading of the vehicle by a Havildar. Disciplinary action against the two soldiers is now in progress.

Use of Hindi in Defence Ministry

1267. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of employees in his Ministry who have been asked to do their work in Hindi after they have been trained in the Hindi Training classes conducted by the Ministry of Home Affairs;

(b) the steps proposed to be taken by Government to refresh their knowledge of Hindi; and

(c) if the reply to part (b) above be in negative, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) The information is being collected and will be placed on the Table of the House as soon as it becomes available.

(b) and (c). The proposal to start a refresher course will be considered in due course by the Ministry of Home Affairs.

सहायक एकक

1268. श्री वाडीवा : **डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के लिये सहायक उद्योगों सम्बन्धी उप-समिति द्वारा सूची तैयार की जाने के बाद प्रस्तावित भारी मोटर गाड़ी

परियोजना, जबलपुर को आवश्यकताओं के लिये सहायक एककों की सूची बनाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी, परन्तु जबलपुर स्थित परियोजना भारी मोटर गाड़ी के लिये न होकर 'शक्तिमान' (3 टन भार की क्षामता वाला ट्रक) और 'निशान' (1 टन की क्षमता वाला ट्रक) नायक गाड़ियों के लिये है ।

वियतनाम के बारे में सात राष्ट्रों का सम्मेलन

1269. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री कौल्ला वेंकैया :
श्री पु०र० पटेल :
श्री किन्दर लाल :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वियतनाम युद्ध के बारे में, एक सात राष्ट्रों का सम्मेलन, जिसमें अमरीका तथा उसके साथी राष्ट्र भी सम्मिलित होंगे, बुलाने के प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की वियतनाम में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के सभापति के रूप में प्रतिक्रिया और रवैया क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां । यह सम्मेलन 24 और 25 अक्तूबर को मनीला में हुआ था ।

(ख) इस सम्मेलन में न तो भारत ने हिस्सा लिया था और वियतनाम स्थित अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण कमीशन ने ही ।

गोला बारूद कारखाना, किरकी

1270. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काम बहुत अधिक होने के कारण किरकी (पूना) के गोलाबारूद कारखाना में हज़ारों कर्मचारियों को अधिक समय तक कार्य करने का भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने देहु मोटर गाड़ी डिपो के कर्मचारियों को, उनकी सेवा की शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस गोला-बारूद कारखाने में रोजगार देने की संभावना पर विचार किया है ;

(ग) क्या गोला-बारूद कारखाने के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों से इस मामले में विचार बिमर्श किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी इस सम्बन्ध में प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके कारण क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी, हां। किरकी के गोला बारूद कारखाने में अधिकतर कर्मचारी समयोपरि कार्य कर रहे हैं।

(ख) जहां पर कुछ समय तक ही अधिक उत्पादन लेना है उन कारखानों में तीन पारियों में काम चलाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त पुरानी मशीनों का कार्य योग्य बनने के लिये प्रति दिन कुछ समय देना पड़ता है, देहु मोटर गाडी डिपो के अतिरिक्त कर्मचारियों को इस कारखाने में काम पर रखने की सम्भावना बहुत ही सीमित है अब तक केवल 16 ऐसे कर्मचारियों को ही किरकी के गोला-बारूद कारखाने में लिया जा सकता है।

(ग), (घ) और (ङ). इन मामलों से सम्बन्धित विस्तृत नीति कारखाने के प्रबन्ध तथा गोला-बारूद कारखाने के महानिदेशक के कार्यालय के परामर्श से निर्धारित की जाती है।

विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कर्मचारी

1271. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य देशों के दूतावासों की तुलना में सारे देशों में हमारे दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला): (क) और (ख). विदेश-स्थित अन्य मिशनों के कर्मचारियों की संख्या से भारतीय राजदूतावासों के कर्मचारियों की संख्या की तुलना करना सम्भव नहीं है क्योंकि विदेशी मिशनों में कितने-कितने लोग काम करते हैं, इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

बोत्सवाना को मान्यता

1272. श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अफ्रीका में नये स्थापित हुए स्वतंत्र राज्य बोत्सवाना को मान्यता देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस देश के साथ किस स्तर पर तथा किस प्रकार के राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) उसके साथ आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक दोनों देशों के बीच राजनयिक मिशन स्थापित नहीं किए गए हैं।

(ग) भारत सरकार उस देश के साथ व्यापार की संभावनाएं खोजेगी। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में हमने बोत्स्वाना के विकास में सहायता देने के लिए कुछ विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान की हैं।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते

1273. श्री हेम राज : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिपाहियों तथा अन्य पदों (अदर रेंक्स) के प्रतिरक्षा कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते बढ़ाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) सैनिक कर्मचारियों के वेतन और सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने के प्रस्तावों पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है। जब तक सरकार इन मामलों पर विचार करके कोई निर्णय नहीं कर लेती तब तक इस बारे में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है।

Electronics Factory at Hyderabad

1274. Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Bade:
Shri Dighe:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 873 on the 1st August, 1966 and state:

(a) whether Government have considered over the additional items to be manufactured by the Electronics Factory at Hyderabad;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) to (c). The matter is still under consideration. The factory is concerned in the first instance with the manufacture of the air-borne electronic equipment, in the MIG-21 aircraft. Additional items can be taken up in the second phase from 1969 or so, and the plans for such transfer are expected to be considered in detail and finalised during 1967.

Fire in Central Ordnance Depot, Cheoki

1275. Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Defence** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 839 on the 1st August, 1966 and state:

(a) whether the enquiry made into the causes of fire in the Central Ordnance Depot, Cheoki, near Allahabad has since been completed; and

(b) if so, the broad details thereof; and

(c) if not, the further time likely to be taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) to (c). The Court of Inquiry proceedings are under scrutiny and the findings are under finalisation. The finalisation is being expedited, but no fixed time limit can be indicated.

एवरो परिवहन विमान

1276. श्री मधु लिमये :
श्री उटिया :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायु सेना द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये तथा संभावित वाणिज्यिक विमान के रूप में काम आने वाला ऐवरो परिवहन विमान अन्तिम रूप में तैयार कर लिया है ;

(ख) क्या ऐवरो कम्पनी द्वारा भारतीय प्रोटोटाइपों (आद्य रूपों) को यह कह कर रद्द कर दिया गया था कि वे विशिष्ट विवरणों के अनुसार नहीं थे ;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितना धन व्यय हुआ है ;

(घ) क्या भारतीय आद्य रूपों की उड़ान योग्यता के बारे में एवरो कम्पनी अथवा असैनिक उड्डयन के महानिदेशक के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञों की राय भी जान ली गयी है ; और

(ङ) यदि हां, तो हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स सीमित का एवरो परियोजना का भविष्य क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस) : एच० एस० 748 विमान, जिसे ब्रिटेन ने उड़ान-योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया था, निस्संदेह एक विकसित परिवहन विमान है। हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड इस विमान को लाइसेंस के अधीन बना रही है। हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसे परिवहन विमान में बदलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) जी नहीं।

(ग) कानपुर स्थित एक्क की पूंजीगत आस्तियों का मूल्य 31 मार्च, 1966 को लगभग 2 करोड़ रुपये था और उसका राजस्व व्यय लगभग 11 करोड़ रुपये था।

(घ) कानपुर में बने एच० एस० 748 विमान को असैनिक उड्डयन के महानिदेशक द्वारा उड़ान योग्यता का प्रमाण-पत्र दे दिया गया है।

(ङ) भारतीय वायु सेना और इंडियन ऐयरलाइन्स कारपोरेशन ने कानपुर च० एस० 748 विमानों के लिये जो आदेश दिया उसे पूरा कर दिया जायेगा। यदि भारतीय वायु सेना की और अधिक आवश्यकता होगी तो उसके लिये भी विमानों का निर्माण किया जायेगा।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

1277. श्री कौल्ला वैंकैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा हुई राशि को सेना संबंधी कार्यों की शिक्षा पर अथवा

किन्हीं ऐसे अन्य कार्यों पर जिनके लिये बजट में व्यवस्था नहीं है, खर्च करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वे प्रस्ताव क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस राशि में से धन गबन किये जाने अथवा इसका दुरुपयोग किये जाने के किसी मामले की सूचना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो वे मामले क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). समय समय पर कोष की कार्यकारिणी समिति रक्षा सम्बन्धी सभी प्रयत्नों के लिए और सशस्त्र सेना के सदस्यों एवं राष्ट्र की रक्षा में लगे दूसरे लोगों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिये राष्ट्रीय रक्षा कोष से अनुदान के प्रस्तावों पर विचार करती है ।

(ग) तथा (घ). कुछ मामूली शिकायतों को छोड़ कर जो सामान्यतः छोटी तथा अनिश्चित प्रकार की थीं, राष्ट्रीय रक्षा कोष से गबन किये जाने अथवा उसका दुरुपयोग किए जाने के कोई गम्भीर मामले हाल में सरकार के ध्यान में नहीं आए ।

सैनिक समाचार का मलयालम तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशन

1278. श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैनिक समाचार का मलयालम संस्करण कब आरंभ किया गया था तथा इस समय उसकी कितनी प्रतियां वितरित होती हैं ;

(ख) मलयालम अनुभाग में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं, उनके पद-नाम तथा वेतनक्रम क्या हैं और उनकी नियुक्ति की शर्तें क्या हैं ;

(ग) अंग्रेजी संस्करण विभाग सहित अन्य भाषा संस्करण विभागों में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं ; और

(घ) क्या दक्षिण भारत में दक्षिण-भारत की भाषाओं के संस्करणों को मुद्रित तथा प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल ० टी० 7303/66]

श्रीलंका में भारत-मूलक व्यापारियों के प्रति भेदभाव

1279. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में भारत-मूलक भारतीय व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 'इंडियन मर्केन्टाइल चेम्बर' भारतीय व्यापार मंडल ने यह शिकायत की है कि उन भारत-मूलक व्यापारियों के प्रति घोर भेदभाव किया जाता है, जो पंजीबद्ध होकर श्रीलंका के नागरिक बन गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, नहीं । इंडियन मर्केन्टाइल आँफ सीलोन से इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन अध्यक्ष ने भारतीय मूल के उन व्यापारियों के विरुद्ध भेदभाव करने की छिपी कोशिशों का ज़िक्र किया जो रजिस्ट्रेशन के द्वारा श्रीलंका के नागरिक बन गए हैं । उन्होंने आगे भाषण में कहा, "इस संबंध में यह बड़े हर्ष की बात है कि जब प्रधान मंत्री हाल ही में जाफना गए थे, तब उन्होंने स्पष्ट सार्वजनिक बयान दिया था कि श्रीलंका में दो तरह की—एक प्रथम श्रेणी और अन्य द्वितीय श्रेणी—नागरिकता नहीं हो सकती "।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी जर्मनी को मान्यता देने के बारे में पश्चिमी जर्मनी के संसद् सदस्यों का वक्तव्य

1280. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिम जर्मनी की संसद् के एक सदस्य बैरन बोन रेगल द्वारा 6 अक्तूबर, 1966 को नई दिल्ली में दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि उन्हें वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने यह आश्वासन दिया था कि भारत पूर्वी जर्मनी को राजनयिक मान्यता प्रदान नहीं करेगा ; और

(ख) क्या ऐसा आश्वासन दिया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) जर्मन के प्रश्न पर भारत सरकार की स्थिति राज्यसभा में 10 अगस्त को विदेश मंत्री के वक्तव्य में दोहराई गयी थी । इसके अतिरिक्त, न तो खासतौर से कोई आश्वासन दिया गया था और न मांगा ही गया था ।

दक्षिण में आकाशवाणी का क्षेत्रीय निदेशालय

1281. **श्री दिगे :**
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 1 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 844 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच दक्षिण में आकाशवाणी का एक क्षेत्रीय निदेशालय स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) तथा (ख) जी, हां । यह फैसला किया गया है कि दक्षिण में आकाशवाणी का एक क्षेत्रीय निदेशालय स्थापित न किया जाए ।

Explosion Caused by Hand-Grenade

1282. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 3 boys were killed as a result of an explosion caused by a hand-grenade within the firing range of Dabina Armed Brigade near Bhadkala village in Jhansi District on the 26th September, 1966;

(b) if so, the causes of the incident; and

(c) the assistance rendered by Government to the parents of the deceased?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): (a) and (b). Enquiries made reveal that four boys entered the range area which lies in the general area between the villages of Kasodhan and Jhanda on the 24th of September, 1966. They picked an unexploided shell and tried to break it, when it exploded. Two boys died on the spot and a third boy died later in the village of Bhandra outside the range area; the fourth boy was wounded. Further enquiries are being made into the incident.

(c) A request for *ex-gratia* compensation will be duly considered.

भारत के विरुद्ध चीन का मिथ्या प्रचार

1283. **श्री राम हरख यादव :** क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ से प्रकाशित होने वाले "नेशनल हैराल्ड" में 13 अक्तूबर, 1966 को "इंडिया इज़ हैल, सेज़ पेकिंग" (भारत नरक है--पेकिंग का मत) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : (क) जी, हां ।

(ख) इस तरह के अपशब्दों से भारत के विरुद्ध चीन के असत्य और अशिष्ट प्रचार का ही पता लगता है ।

ब्रिटेन में नेहरू स्मारक निधि

1285. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नेहरू स्मारक न्यास के लिये ब्रिटेन में धन एकत्रित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस कोष में अब तक कुल कितना धन जमा हो चुका है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) संभवत: सदस्य के मन में लार्ड माउण्ट बैटन द्वारा ब्रिटेन में जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में एक न्यास निधि की स्थापना के लिए अंशदान के बारे में आमंत्रण सम्बन्धी अपील है जो नवम्बर, 1964 में की गई थी । सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार धनसंग्रह का लक्ष्य 1,00,000 पौंड है जिसमें 90,000 पौंड की धनराशि अब तक संग्रहीत हो चुकी है जिसमें 50,000 पौंड ब्रिटिश सरकार का प्रारंभिक अंशदान भी सम्मिलित है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तावित धनराशि का उपयोग भारत से ब्रिटेन को उच्च शिक्षा के लिए भेजे गये स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति तथा ट्रिनिटी कालेज कैम्ब्रिज में वार्षिक नेहरू स्मारक व्याख्यान के आयोजन में किया जायेगा ।

Indians Settled in Nepal

1286. Dr. Mahadeva Prasad: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of Indian nationals settled in Nepal; and

(b) how these Indians are governed by the citizenship law of Nepal?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) There being no passport/visa formalities between India and Nepal, Indian nationals in Nepal are not required to register themselves with Nepalese or Indian authorities. Therefore their exact number is not known.

(b) Under provisions of the Nepal Citizenship Act, 1964, an Indian national can become a naturalised citizen of Nepal if he—

(1) has been resident in Nepal for a period of 12 years,

(2) can read and write Nepalese language,

(3) renounces his foreign citizenship,

(4) has proper occupation and livelihood,

(5) has a good character.

कलाकारों को सहायता

1287. श्री बसुमतारी : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने संगीतज्ञों, नर्तकों तथा नाटककारों को सहायता देने के लिए कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राजबहादुर) :(क) तथा (ख). जी, हां। योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7304/66]

आयध-डिपो/कारखानों में रसोइये और पानी भरने वाले कर्मचारी

1288. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध डिपो/कारखानों में रसोइयों और पानी भरने वाले कर्मचारियों को फालतू घोषित किया जा रहा है ?

(ख) क्या बंगलौर और अन्य स्थानों पर इस बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं जबकि अभी देश में आपातकाल जारी है; और

(घ) क्या उनकी छंटनी कर दी जायेगी और यदि हां, तो कितने व्यक्तियों की छंटनी की जायेगी?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह):(क)और (ग). भारतीय सेना में न लड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या अन्य देशों की सेना म ऐसे कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में कहीं अधिक है। ऐसे कर्मचारियों के वेतन के नवीकरण को ध्यान में रखते हुए और सैनिक कर्मचारियों में आत्म-सहायता की

भावना पैदा करने के लिये अन्य बातों के साथ साथ यह भी निश्चय किया गया है कि पानी ढोने वाले कर्मचारियों की श्रेणी को समाप्त किया जाये। इस निर्णय के परिणामस्वरूप सैनिक संस्थानों में इन पदों पर कार्य करने वाले असैनिक कर्मचारियों को फालतू घोषित कर दिया गया है। रसोइयों के वेतनमान को कम नहीं किया गया है ।

(ख) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Supply of Cartridges to Indian National Rifle Association

1289. Shri P. L. Barupal:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Daljit Singh:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of 22-bore and 12-bore gun cartridges supplied to the Indian National Rifle Association of India, New Delhi, from the 1st January to 31st October, 1966 by the Indian factories;

(b) the number of cartridges of the above mentioned bores imported from abroad; and

(c) the number of cartridges imported from abroad by the aforesaid Association and the number of cartridges given to each of its members?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) The quantity of sporting ammunition supplied by the ordnance factories to the National Rifle Association of India during the period from 1st January to 31st October, 1966, was as follows:—

12-bore cartridges	90,000 Noes.
22-bore cartridges	.. Nil (No demand)

(b) Actual import figures of 22-bore and 12-bore cartridges are not available as these items are not separately shown in the Indian Trade Classification on the basis of which import trade statistics of the country are being maintained. However, Hunting and Sporting ammunition to the value of Rs. 3.34 lakhs was imported during the period from January to May, 1966. Data for the later period is not available at present.

(c) It is understood from the information supplied by the Association that it has not imported any ammunition during the period from 1st January to 31st October, 1966.

Request for Broadcast from A.I.R. by Dalai Lama

1290. Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tibetan refugees had requested Government to allow His Holiness Dalai Lama to broadcast messages from the All-India Radio for Tibetans;

(b) whether it is also a fact that Government had rejected the same; and

(c) if so, the reasons therefor?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) Government have not received any specific request in this regard. The Dalai Lama's speeches are relayed on the All India Radio's Tibetan programmes on suitable occasions.

(b) Does not arise.

(c) Does not arise.

ड्यूटी पर तैनात जवानों द्वारा की गई यात्रायें

1291. श्री अ० क० गोपालन : **श्री प० कुन्हन :**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ड्यूटी पर तैनात स्थल सेना तथा वायु सेना के जवानों द्वारा की गई यात्राओं के लिये उन्हें स्वीकृत राशन की कीमत के अतिरिक्त कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाता, और यदि हां, तो उन्हें कुल कितनी राशि दी जाती है ;

(ख) क्या स्थल सेना तथा वायु सेना के अधिकारी सब प्रासंगिक खर्चों की पूर्ति के लिये नकदी में यात्रा भत्ता लेने के हकदार होते हैं और यदि हां, तो उनको दिये जाने वाले भत्ते की दरें क्या हैं ; और

(ग) स्थल सेना के अधिकारियों तथा जवानों के बीच इस भेदभाव के क्या कारण हैं?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) ड्यूटी पर तैनात स्थल सेना और वायु सेना के जवानों को यात्रा के दौरान 3 रुपये प्रतिदिन की दर से राशन भत्ता मिलता है और गर्मी के मौसम में उन्हें बर्फ तथा पीने योग्य पानी के लिये 34 पैसे प्रति खूराक भी मिलता है। वे चाहे स्थायी अथवा अस्थायी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर हों, अधिपत्र मिलने पर ही यात्रा करते हैं। यात्रा के अतिरिक्त स्थल सेना के जवानों का राशन भत्ता 1.82 रुपये से लेकर 2.13 रुपये प्रतिदिन तक होता है और वायु सैनिकों के लिये यह 2.38 रुपये से लेकर 2.69 रुपये प्रति दिन तक होता है।

ऐसे स्थल सैनिकों और वायु-सैनिकों को, जिनका नाम परिवार के लिये निवास स्थान पाने वालों की सूची में दर्ज होता है, जब स्थायी ड्यूटी पर भेजा जाता है, तो उन्हें आते जाते हुए यात्रा के दौरान राशन भत्ते और पेय जल तथा बर्फ भत्ते के अतिरिक्त 30 रुपये भत्ता और नकदी में दिया जाता है ।

(ख) स्थल सेना और वायु सेना अधिकारियों को यात्रा भत्ता नकदी में उस समय दिया जाता है जब उन्हें अधिपत्र के आधार पर यात्रा करने के लिये नहीं कहा जाता। जब उन्हें यात्रा भत्ता नकदी में मिलता है तब उनको मिलने वाले प्रासंगिक व्यय की दरें निम्नलिखित होती हैं :—

(एक) अस्थायी ड्यूटी पर तैनाती के समय रेल यात्रा करते हुए 30 पैसे प्रति 10 किलोमीटर या उसके किसी भाग पर इस शर्त पर उपलब्ध होगा कि रेल यात्रा के प्रत्येक 24 घंटों के लिये अधिक से अधिक एक दिन का भत्ता हो। दैनिक भत्ते की दरें अधिकारियों के वेतन-भाव के अनुसार 8 रुपये से 15.70 रुपये तक हैं ;

(दो) स्थायी ड्यूटी पर तैनाती के समय उपरोक्त दर से दुगना परन्तु वह रेल यात्रा के प्रत्येक 24 घंटों के लिये दो दिन के दैनिक भत्ते से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, स्थायी ड्यूटी पर तैनात और नकद यात्रा भत्ता पाने वाले अधिकारियों को 150 रुपये की एकराशि या आधे महीने का वेतन, जो भी कम हो, दिया जाता है।

(तीन) जिन अधिकारियों को अधिपत्र के आधार पर यात्रा करनी पड़ती है उन्हें प्रतिदिन 10 रुपये दैनिक भत्ता दिया जाता है, चाहे वे स्थायी ड्यूटी पर हों अथवा अस्थायी ड्यूटी पर हों। परन्तु ऐसे मौकों पर उन्हें प्रासंगिक व्यय नहीं दिया जाता।

(ग) सेवा की अन्य शर्तों की भांति प्रत्येक श्रेणी के लिये यात्रा-भत्ते का निश्चय भी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के आधार पर निश्चय किया जाता है।

केरल के पंचायत कर्मचारियों से ज्ञापन

1292. श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को केरल के पंचायत कर्मचारियों से उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) इस ज्ञापन में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस पर विचार कर लिया है और उस पर कार्यवाही करली है ; और

(क) यदि नहीं, तो सरकार का विचार उस पर कब कार्यवाही करने का है ?

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). गत कुछ महीनों में केरल की विभिन्न पंचायतों से उनके कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। वे केरल सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेज दिये गये थे।

T.V. Sets from Japan

1293. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the distribution of 500 Television Sets which have been received from Japan, have not been done so far; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri Raj Bahadur): (a) and (b). 600 sets were imported from Japan and of these 452 sets were sold out by 26th October, 1966. The balance of 148 sets is lying as these were damaged in transit.

N.C.C. Camp in Rajasthan

1294. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the N.C.C. camp held in October, 1966 in Rajasthan, the Cadets were provided with rotten flour and bread containing insects;

(b) whether it is also a fact that those eatables were thrown away and by taking them, about 15 cows died and many children fell sick;

(c) if so, the reasons for supplying the flour without being tested and action taken in the matter; and

(d) whether this arrangement was departmental or on contract basis?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Fresh supplies of flour with markings of June 1966 and September, 1966 were obtained departmentally from Army authorities for use in the N.C.C. Camp held in October 1966 in Rajasthan (Kota District).

Use of Hindi in Ordnance Factories

1295. Shri Jagdev Singh Siddhanti: Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether the employees of Ordnance Factories and other Establishments under his Ministry located in the Hindi-speaking areas are permitted to carry on their work in Hindi; and

(b) if not, the steps taken to remedy the situation?

The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri A. M. Thomas): (a) and (b). Instructions applicable to Defence Establishments provided for:—

(i) the use of Hindi in official work for some purposes e.g. correspondence with States which have adopted Hindi as the official language, replying to communications in Hindi etc.;

(ii) Use of Hindi for noting on files, where feasible, in local offices situated in Hindi speaking areas.

Immediate switch-over to the use of Hindi in all official work is not practicable. The policy of Government is to promote the use of Hindi progressively without dislocation of work.

कलाकारों के लिए पेंशन

1296. श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री सुधांशु दास :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चकोटि के उन कलाकारों को, पेंशन देने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिन्होंने आकाशवाणी के संगीत कार्यक्रमों में बढ़कर तथा अति उत्तम योगदान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख). जी हां, योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है **[पुस्तकालय में रखी गई देखिए संख्या एल० टी० 7304/66]**

मैसूर के लिए सूचना तथा प्रसराण संबंधी योजनायें

1298. **श्री ह्न० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य के लिए उनके मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) उसके अन्तर्गत इन योजनाओं पर कितना खर्च किया गया ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में उस राज्य के लिए उसके मंत्रालय का क्या कार्यक्रम कार्यान्वित करने का विचार है तथा उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). मैसूर राज्य के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित जानकारी इस प्रकार है :

	स्वीकृत राशि	खर्च हुई राशि
	(रुपये--लाखों में)	(रुपए---लाखों में)
1. प्रसारण का विकास (धारवार्ड, भद्रावती और गुलबर्गा में ट्रांसमीटरों की स्थापना	38.00	28.00
2. पंचायती रेडियो के लिए सहायता (रेडियो सेट देना) . . .	4.91 (3,925 सेटों के लिए सहायता)	3.13* (31-3-66 तक दिए गए 2,505 सेटों के लिए सहायता और 1.46 इसके बाद जुलाई, 1966 तक दिए गए 1,170 सेटों के लिए)

*इसके अतिरिक्त मैसूर सरकार को 31,250 रुपए शेष उन 250 सेटों के लिए दिए जाएँगे, जिन्हें वह सीधे मंगाएगी ।

3. सूचना केन्द्र (राज्य सरकार द्वारा राज्य की राजधानी और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में स्थापित, जिनका आधा खर्च केन्द्रीय सरकार देगी) . .	00.88	00.96**
अंतिम . .	43.79	33.55

**मैसूर सरकार ने बताया है कि तृतीय योजना में सूचना केन्द्रों के खोलने पर उनके द्वारा वास्तविक खर्च 2.185 लाख रुपए हुआ है। यदि महालेखाकार मैसूर ने ये आंकड़े स्वीकार कर लिए तो, भारत सरकार का खर्च में आधा हिस्सा 1.09 लाख रुपए तक पहुंच जाएगा।

(ग) इस मंत्रालय की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव अभी मंजूर होने हैं।

Pensioners of Indian Origin in Ceylon

1299. Dr. Ram Manohar Lohia: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether the pensioners of Indian origin in Ceylon have submitted any representation to Government regarding their difficulties; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard so far?

The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla): (a) A representation from 90 persons has been received through an Honourable Member of the Parliament.

(b) The matter is under consideration.

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

सिलीगुडी के निकट हुई रेल दुर्घटना

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि सिलीगुडी के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में मुझे तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना निम्नलिखित सदस्यों से प्राप्त हुई है :—

1. श्री मधु लिमये
   डा० राम मनोहर लोहिया
2. श्री स० मो० बनर्जी
   श्री दाजी
   श्री मौर्य
3. श्री किशन पटनायक
   श्री बागड़ी
   डा० राम मनोहर लोहिया
   श्री मौर्य

इन सब का सम्बन्ध सिलीगुडी के निकट मिलिटरी स्पेशल दुर्घटना से है। श्री लिमये की सूचना सब से पहले प्राप्त हुई थी। वह सभा से स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति ले सकते हैं।

Shri Bagri (Hissar): On a point of order I want to know why the Railway Minister is not present in the House although he knew that an important matter pertaining to his Ministry was being taken up in the House.

Mr. Speaker: Shri Bagri should sit down.

Shri Bagri: The Minister should have resigned. By not doing so he has shown audacity to the House.

Mr. Speaker: Inspite of my repeated requests he is persisting. I ask him to go out of the House.

[के पश्चात् श्री बागड़ी सभा भवन से बाहर चले गये)
Shri Bagri then left the House.]

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I beg leave of the House to discuss the failure of the Central Government in the matter of railway accidents.

अध्यक्ष महोदय : क्या इस पर सभा को कोई आपत्ति है।

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं वे खड़े हो जायें।

Only 25 Members have stood up to support it. So it cannot be taken up.

सिलीगुडी के निकट हुई रेल दुर्घटना के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: RAILWAY ACCIDENT AT SILIGURI

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : 11-11-1966 को लगभग 3.20 बजे जब सैनिक स्पेशल न० एस० पी० 987 पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सिलीगुड़ी–अलीपुरद्वार खण्ड के सेवक और पिलान्सहाट स्टेशनों के बीच जा रही थी तो उसका इंजन और उसके साथ के छः डिब्बे पटरी से उतर गये और उलट गये। इस गाड़ी में डीज़ल इंजन और 23 डिब्बे लगे थे। इस दुर्घटना में 14 सैनिक कार्मिक मारे गये और 33 घायल हो गये जिनमें से 10 को गम्भीर चोटें पहुंची। इसके अलावा इंजन ड्राइवर और उसके सहायक को भी हल्की चोटें आयीं। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सिलीगुड़ी जंक्शन से डाक्टरों और चिकित्सा-उपस्करों को लेकर डाक्टरी सहायता गाड़ी दुर्घटना-स्थल पर पहुंच गयी और इस गाड़ी द्वारा घायलों को रेलवे और सैनिक अस्पतालों में ले जाया गया। दुर्घटना के कारण इस खण्ड पर सीधी गाड़ियों का आना जाना रुक गया। यातायात को फिर से चालू करने के लिए एक उप-मार्ग बनाया गया और इस दौरान घटनास्थल पर यात्रियों के यानान्तरण की व्यवस्था की गयी।

यद्यपि दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है, लेकिन घटनास्थल पर जो ठोस प्रमाण मिले हैं, उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि पटरी के साथ छेड़-छाड़ की गयी।

कलकत्ता स्थित रेल संरक्षा के अपर आयुक्त ने 13–11–1966 को इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी।

अध्यक्ष महोदय : इस पर प्रश्न करने की अनुमति मैं सायं 5·45 बज दूंगा।

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपको तथा आपके द्वारा मैं सभा से एक प्रार्थना करने वाला हूं। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम स्व० श्री जवाहर लाल नेहरू का जन्म दिवस केन्द्रीय हाल में मनाने वाले हैं जिसकी अध्यक्षता आप करते हैं। यदि सदन राजी हो जाये तो आज सभा को 5 बजे स्थगित कर दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदन सहमत है तो हम 5 बजे स्थगित करेंगे।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): We can take up the half-an-hour discussion on some other day.

Mr. Speaker: All right.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : 1966 में 3 बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं। यह तीसरी दुर्घटना है जिसमें 14 जवानों की मृत्यु हुई है। यह मंत्रालय की असफलता के कारण है जिसके मुख्य श्री स० का० पाटिल हैं। इन दुर्घटनाओं के बार बार होने से तथा सरकार की असफलता के कारण मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी पूरी जांच करने के लिये कोई न्यायिक जांच होगी और उस समय तक मंत्री से त्यागपत्र देने को कहा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय केवल इतना उत्तर दें कि क्या इसकी न्यायिक जांच होगी।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : जी नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Shri S. K. Patil has stated constantly in his last three to four statements that the political elements are behind these accidents. I want to know from the Prime Minister as to which political party is behind these subversive activities?

Dr. Ram Subhag Singh: I have stated in my statement just now that the railway line has been tampered with. This thing will be clear when the enquiry is held.

Shri Madhu Limaye: If this accident has been caused by spies, I want to know what the Railway Protection Force was doing? Has the law and order situation in Bengal broken down and the entire administration passed into the hands of spies? What action is being taken in this regard?

Dr. Ram Subhag Singh: Its reply will be given on receipt of report.

श्री हेम बरुआ : (गौहाटी) : पहले यह प्रथा थी कि गैंगमैन रेल पटरी की देखभाल करते थे परन्तु दुर्भाग्यवश श्री पाटिल के समय में यह कार्य बन्द कर दिया गया तथा 13 बड़ी दुर्घटनाये हो गई हैं। यह प्रथा क्यों समाप्त की गई ?

डा० राम सुभग सिंह: यह इंजीनियरिंग एजेंसी द्वारा रेल पटरी की देख भाल का कार्य अब भी हो रहा है तथा वर्षा ऋतु में तो यह और भी अधिक थी। 15 अक्टूबर से इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि वर्षा का कोई खतरा नहीं रहा था। परन्तु प्रथा समाप्त नहीं की गई है। 1960-61 में दुर्घटनाओं की संख्या 2131 थी तथा 1965-66 में यह 1234 रह गयी थी।

Shri Maurya (Aligarh): On a previous occasion when Pt. Nehru was the Prime Minister a Railway Minister had to resign on account of an accident, will the present Railway Minister also resign who has attributed these accidents to his bad luck.

Mr. Speaker: It does not come within the purview of Call Attention Notice.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar): Whether some political elements have got entry into the railway services, if so, will all these facts be put before Parliament?

Dr. Ram Subhag Singh: The report of enquiry about it will be put before this Parliament.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): This accident involved lives of military personnel and as such will some military person will also be associated with the proposed enquiry?

Dr. Ram Subhag Singh: Yes, Sir.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): When the fish plates are removed, some instruments and screws are also found. Hence the sacred duty of this House is to ask for the resignation of the Minister? It is also reported that soft steel is being used for the railway track. What is the position?

Dr. Ram Subhag Singh: All these things will come to light when the enquiry report will be placed before the House.

Dr. Ram Manohar Lohia: Whether action has been taken against some officials in this connection? (Interruptions).

Dr. Ram Subhag Singh: I require notice for it.

Shri Sheo Narain (Bansi): Mr. Speaker, Dr. Lohia has given a hint about it These politicians are also responsible for it and they have a policy of sabotage.

श्री काशीराम गुप्त (अलवर) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

Shri Sheo Narain: When the members on that side of the House disturb, you do not control them.

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अनुचित है । श्री शिव नारायण बाहर चले जायें ।

[इसके पश्चात् श्री शिव नारायण सभा भवन से बाहर चले गए
(Then Shri Sheo Narain left the House)]

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : नियम संख्या 197 के अन्तर्गत ऐसे वक्तव्यों पर भाषण नहीं होने चाहिये । डा० लोहिया तथा मधु लिमये प्रश्न पूछने से पहले जो बहुत से मामले उठाते हैं, मेरा निवेदन यह है कि इस प्रश्न को समाप्त किया जाये ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत बार सिलीगुडी के निकट ही दुर्घटनायें हुई हैं तथा इसका सम्बन्ध षड़यन्त्र से है तो क्या सरकार इसके लिये कोई विशेष सुरक्षा दल गठित करने का विचार करती है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां, यही मैं ने अपने वक्तव्य के अन्त में कहा है ।

Shri Priya Gupta (Katihar): In the name of economy the gangmen who used to patrol the track have been discussed with their services. Why these were relieved of their jobs?

Dr. Ram Subhag Singh: They were withdrawn from that area on 15th October.

श्री प्रिय गुप्त : आप मेरी बात सुन लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार नहीं बोलते रहेंगे । श्री प्रिय गुप्त सभा से बाहर चले जायें (व्यवधान)

[इसके पश्चात् श्री प्रिय गुप्त सभा भवन से बाहर चले गये ।
Shri Priya Gupta then left the House)]

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : कोई दो वर्ष से अधिक हुए इसी स्थान के पास एक और दुर्घटना हुई थी । क्या इन दोनों दुर्घटनाओं के स्वरूप में कुछ समानता है ।

डा० राम सुभग सिंह : वह दुर्घटना 1961 में पांच वर्ष पूर्व हुई थी। जो जांच हो रही है उसमें यह तमाम बातें स्पष्ट हो जायेंगी ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : मैं जानना चाहता हूं कि गृह कार्य मंत्रालय गप्तचर विभाग से इस प्रकार के समाचार प्राप्त करने में क्यों असफल रहा है ?

डा० राम सुभग सिंह : हम सब मिल कर कार्य करते हैं। जो कुछ हुआ है उसकी ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है ।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : क्या उन्हें उस क्षेत्र में काम पर लगाया गया है जो पाकिस्तान की सीमा के निकट है ?

डा० राम सुभग सिंह : उस क्षेत्र में शान्ति तथा व्यवस्था कायम रखने वाले अधिकारी पूरे उपाय कर रहे हैं ।

श्री रा० बरुआ (जोरहाट) : क्या यह सच है कि एक पाइलट इंजिन इस दुर्घटना से केवल 10 मिनट पहले ही भेजा था ?

डा राम सुभग सिंह : प्रत्येक मामले की जांच हो रही है। 1.30 बजे एक पूरी गाड़ी वहां से गुजरी ।

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : क्या उस क्षेत्र के महत्व को देख कर एक मजबूत संगठन उसकी रक्षा करेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : इस पर विचार किया जायेगा ।

Dr. Ram Manohar Lohia: Under Articles 74 and 75 the Council of Ministers is to aid and advise the President in the discharge of his duties....

Mr. Speaker: You cannot raise this issue at this time. I want notice for this.

उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: DELICENSING OF INDUSTRIES

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं एक वक्त य सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7299/66]**

उपज उपकर (संशोधन) विधेयक

PRODUCE CESS (AMENDMENT) BILL

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपज उपकर अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को उपस्थित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उपज उपकर अधिनियम, 1966 में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अर्जन) विधेयक

METAL CORPORATION OF INDIA (ACQUISITION OF UNDERTAKING) BILL

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजस्थान राज्य के जवार क्षेत्र में और उसके आसपास जस्ते और सीसे के निक्षेपों का लोकहित में संभवनीय पूर्णतया मात्रा में समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग करने के लिए जिस से सर्वसामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से मेटल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जनार्थ उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्य इस मामले की पृष्ठभूमि से पहले ही अवगत हैं । 1944 में एक गैर-सरकारी कम्पनी ने इस क्षेत्र को पट्टे पर लिया था । तत्पश्चात् इस कम्पनी ने मेटल कारपोरेशन के नाम से एक नई कम्पनी बनाई । 1960 में इस का उत्पादन केवल 500 टन प्रति दिन था । इसी वर्ष जनवरी में इस कम्पनी ने उदयपुर में 15,000 टन क्षमता का एक जस्ता पिघलाने वाला संयंत्र लगाने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया । समस्त परियोजना इस पूर्वधारणा पर आधारित थी कि कच्चे माल में से लगभग 5 प्रतिशत जस्ता मिलेगा । परन्तु वास्तव में जस्ता केवल 3·5 प्रतिशत ही मिला । आरम्भ में कम्पनी ने सुझाव दिया था कि अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए उसको तीन करोड़ रुपये का ऋण दिया जाये ।

वास्तव में कम्पनी 12·63 करोड़ की लागत से एक परियोजना बनाना चाहती थी जिसमें 11·5 करोड़ रुपये ऋण के थे । सरकार ने परियोजना के तकनीकी तथा आर्थिक पहलुओं की जांच की और यह निष्कर्ष निकाला कि इस परियोजना को अन्तिम रूप देने के लिए कम्पनी को अतिरिक्त लगभग सात करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी । इसके बावजूद सीसे तथा जस्ते के महत्व को देखते हुए सरकार लोकहित को ध्यान में रख कर इस कम्पनी की सहायता करने को तैयार थी । परन्तु कम्पनी वे किस्तें भी न दे सकी जिनके भुगतान का समय हो गया था । कम्पनी सीमा-शुल्क और बन्दरगाह के शुल्क भी नहीं दे सकी और बम्बई पहुंच गई मशीनरी को भी नहीं ले सकी । कम्पनी ने इस बात का बहुत प्रचार किया कि इसको जस्ते तथा सीसे का बहुत कम मूल्य प्राप्त होता है और इस कारण कम्पनी के पास साधनों का अभाव है । कम्पनी ने सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यापालिका के आदेशों को चुनौती दी है और यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है । इन सब बातों के बावजूद सरकार कम्पनी की सहायता के लिए कोई संतोषजनक तरीका ढूंढने के लिए उत्सुक थी । एक वर्ष से अधिक समय तक कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत चलती रही । परन्तु ऐसा कोई सूत्र नहीं मिल सका जिस पर सरकार तथा कम्पनी दोनों सहमत हों । अभी जब कि बातचीत चल रही थी कम्पनी की वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई । दूसरी ओर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण देश में जस्ते का महत्व और बढ़ गया । इन परिस्थितियों में सरकार को विशेष कानून द्वारा अर्थात् मेटल कारपोरेशन आफ इण्डिया (उपक्रम का अर्जन) अधिनियम, 1966 बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा ।

जैसा कि सभा को मालूम है इस अधिनियम को पंजाब उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है । पंजाब उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को अवैध घोषित किया है । न्यायालयों ने प्रतिकर सम्बन्धी अनुसूचि दो (ख) में दिखाये गये सिद्धान्तों के बारे में आपत्ति की है ।

सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस कम्पनी का अर्जन लोकहित में है। जावर की खानें ही देश के जस्ते के महत्वपूर्ण साधन हैं और यह एक राष्ट्रीय महत्व का विषय है। बिना बिलम्ब इसका विकास किया जाना चाहिए। मेटल कारपोरेशन आफ इण्डिया के पास न तो साधन हैं और न ही वह कम्पनी साधनों को जुटा सकती है। 22-10-65 के पश्चात् जब कि इस कम्पनी का अर्जन किया गया अनेक कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात निर्माण कार्य पुनः आरम्भ कर दिया गया था।

श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri Shyamlal sarraf in the chair

शाफ्ट सिंकिंग का काम अगस्त, 1966 मे रुक गया था। अब इस काम के लिए एक कुशल इंजीनियरी फर्म के साथ करार किया गया है और काम हो रहा है। बम्बई पत्तन पर 1964 से पड़ी मशीनें आदि छुड़ा ली गई हैं और उन्हें लगाया जा रहा है। जो फ्रांसीसी सलाहकार वापस चले गये थे वे अब शीघ्र ही वापस आने वाले हैं। सभी पुराने दायित्यों के बारे में निपटारा कर लिया गया है और ऋणदाताओं, कर्मचारियों और श्रमिकों आदि में विश्वास पैदा हो गया है। अधूरे कामों को पूरा करने और नये विकास कार्यों के लिए इस परियोजना के प्रभारी हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड को, जो सरकारी कम्पनी है, 31-8-1966 तक 5·68 रुपये दिये जा चुके हैं।

न्यायालयों द्वारा उपक्रम के अर्जन को अवैध घोषित कर दिये जाने पर यह आवश्यक हो गया है कि मूल अर्जन की तिथि, अर्थात् 22 अक्तूबर, 1965 से केन्द्रीय सरकार तथा हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा की गई सभी कार्यवाहियों को कानूनी रूप दिया जाये। चालू-निर्माण कार्यों को रोकना या पुराने प्रबन्ध के अधीन हुई गड़बड़ी को फिर से फैलाना लोकहित में नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सितम्बर, 1966 को अपना निर्णय दिया था और संसद् का सत्र 7 सितम्बर, 1966 को समाप्त हो गया था, इसलिए संसद् में कोई नया विधान पेश करना संभव नहीं था। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को 13 सितम्बर, 1966 को एक अध्यादेश जारी करना पड़ा जिसके अधीन मूल अर्जन की तिथि 22 अक्तूबर, 1965 से उपक्रम का अधिग्रहण किया गया।

संयंत्र, उपकरण तथा मशीनों के मूल्यांकन के सिद्धान्त पहले बनाये गये कानूनों पर आपत्ति के मुख्य कारण हैं। ये उपकरण उस परियोजना का एक अंग है जिसे पूरा किया जाना है। परियोजना अभी अधूरी है और पूरी होने पर यह अद्भुत होगी। अतः इस उपकरण का मल्य अन्य परियोजनाओं की तुलना में नहीं आंका जा सकता था। अतः काफी बारीकी से अध्ययन करके इसका बराबर का मूल्य आंका गया और अन्त में यह महसूस किया गया कि भारत के धातु निगम को नये संयंत्र और मशीनों के लिए वास्तव में खर्च किये गये धन के आधार पर भुगतान करने से अधिक उचित तरीका दूसरा नहीं है। इसकी पुरानी मशीनें थोड़ी सी हैं। न्यायालय ने यह नहीं बताया कि मूल्यांकन किस आधार पर किया जाय। अन्त में यह तय किया गया कि भुगतान अर्जन के समय के मूल्य के आधार पर किया जाये। यदि कोई कठिनाई हुई तो मामला एक न्यायाधिकरण को सौंपा जायेगा ताकि स्वीकृत मूल्य तै किया जा सके। इस न्यायाधिकरण में एक उच्च न्यायिक अधिकारी होगा। शुद्ध आस्तियों के मूल्य पर 22 अक्तूबर, 1965 से ब्याज दिया जायेगा।

मैं सभी को यह आश्वासन दिला सकाता हूं कि क्षतिपूर्ति का प्रस्तावित तरीका उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। खंड 10 में

क्षतिपूर्ति के समझौते द्वारा निश्चित किये जाने की व्यवस्था है। इस काम पर विशेष अधिकारी लगाये जायेंगे। मेरा इरादा यह है कि मूल्यांकन का प्राथमिक काम समाप्त होने पर, एक वार्ता दल बनाया जायेगा जो भारत के धातु निगम के साथ बातचीत करने क्षतिपूर्ति की राशि के बारे में एक स्वीकृत समझौता करेगा।

मैं इस विधेयक को सभी के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सामान्यतः हम राष्ट्र के हित में और किसी गैर-सरकारी उपक्रम को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसके राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं। लेकिन पिछली बार हमें यह बताया था कि अध्यादेश क्यों जारी किया गया और विधेयक क्यों पेश किया गया। इसका भी एक इतिहास है। इस देश के एक बड़े उद्योगपति का सरकार में प्रभाव है। वह इस भारत के धातु निगम के अधिकांश अंश चाहता था। क्योंकि इस निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर और अन्य डाइरेक्टरों ने इस उद्योगपति, श्री बिड़ला की बात मानने से इन्कार कर दिया तो उसने सरकार पर प्रभाव डाला और परिणामस्वरूप यह अध्यादेश जारी किया गया। सभा में यह बात स्पष्ट की गई कि इस छोटे से निगम का राष्ट्रीयकरण करने से ही कोई लाभ नहीं होगा जब तक सभी अलौह धातु उपक्रमों का राष्ट्रीयकरण न किया जाये। इसी लिए अब इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों के बाद भी यह विधेयक पेश किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सितम्बर, 1966 को अपना निर्णय दिया था। तब विधेयक क्यों पेश नहीं किया गया।

जब देश में इतना आर्थिक संकट है फिर भारत के धातु निगम को 30 करोड़ रुपये क्षपिपूर्ति में कैसे दिये जा सकते हैं? यदि क्षतिपूर्ति की तिथि अवमूल्यन के बाद की तिथि रखी जाये तो क्षतिपूर्ति के रूप में 32 से 40 करोड़ रुपये तक देने पड़ेंगे और यह धन करदाताओं का होगा।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रथम मैनेजिंग डाइरेक्टर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि 'जिंक स्मेल्टर' नवम्बर, 1965 से चालू हो जायेगा। अगस्त, 1966 में अनुवर्ती मैनेजिंग डाइरेक्टर ने एक अन्य संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि जिंक स्मेल्टर 1 जनवरी, 1967 को चालू होगा। मुझे अभी भी शक है कि फ्रांसीसी सहयोगकर्ताओं के साथ कोई समझौता किया भी गया है या नहीं। क्या फ्रांसीसी सहयोगकर्ताओं के साथ कोई समझौता किया गया है; यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी।

सरकार को इस उपक्रम के मैनेजिंग डाइरेक्टर के साथ एक समझौता कर इसको संयुक्त रूप से चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। अन्यथा देश 30 करोड़ रुपये देने की स्थिति में नहीं है। आशा है कि मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देंगे कि करदाताओं के गाढ़े पसीने की कमाई किसी ऐसे मंत्री की, जो अब इस मंत्रालय में भी नहीं हैं, इच्छा को पूरा करने के लिए न बहाई जाये।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई-मध्य दक्षिण) : हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। हम इस मंत्रालय द्वारा अध्यादेश जारी कराने की कार्यवाही का भी समर्थन करते हैं।

हम सब को पता है कि भारत में सीसा और जस्ता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और यह बड़ा आवश्यक है कि इस परियोजना के खनन और विकास कार्य में कोई बाधा न पड़ने दी जाये। सरकार ने यही किया है। जिंक स्मेल्टर अभी चालू होना है और इससे विदेशी मद्रा बचाने में सहायता मिलेगी। इसको शीघ्र चालू किया जाना चाहिए।

न्यायालयों ने इस विधान को अनुचित नहीं बताया और नहीं उन्होंने संसद् द्वारा इस प्रकार का कानून बनाये जाने को ही चुनौती दी। विवाद केवल क्षतिपूर्ति के सिद्धान्तों के बारे में है। ये सिद्धान्त 1965 के अधिनियम में दिये गये हैं। इनको इस विधेयक में न्यायालयों के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए फिर से संशोधित रूप में रखा गया है।

यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार यह किस तरह विचार कर रही है कि धातु-निगम को संयंत्र, मशीनों आदि की वास्तविक लागत दी जाये और वह आय-कर अधिनियम के अनसार कम कीमत को मंजूर कर ले। कोई भी कम्पनी इन परिस्थितियों में इस बात को नहीं मान सकती। उदाहरणत: पेंचकस और हथकल को ले लीजिये। इनका मूल्य कभी कम नहीं होता और आज इनका मूल्य उस मूल्य का पांच गुना होगा जिस मूल्य पर धातु निगम ने दस वर्ष पहले ये खरीदे होंगे। शायद सरकार को इन सौदों का कोई अनुभव नहीं है जिसमें उन्होंने वास्तविक लागत के आधार पर क्षतिपूर्ति की पेशकश की हो। यदि धातु निगम को आरम्भ में ही बाजार मूल्य दिया जाता तो मुकद्दमे बाजी में हुए व्यय और कठिनाई से बचा जा सकता है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : कुछ सदस्यों द्वारा अध्यादेश पर वाद-विवाद के समय उठाई गई शाकाएं सच निकली हैं।

हालांकि सरकार ने इसको 22 अक्तूबर, 1965 को अपने नियंत्रण में ले लिया था, इसमें अब तक बहुत थोड़ी प्रगति हुई है। इस विधेयक के साथ लगे ज्ञापन से प्रतीत होता है कि अब तक अर्थात् 22 अक्तूबर, 1965 से लेकर 10 जनवरी, 1966 तक की अवधि में लगभग 21·2 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं और रिपोर्ट से पता चलता है कि इस कम्पनी की आस्थियां बहुत थोड़ी हैं।

मुझे पता नहीं कि जो जानकारी मुझे मिली है वह सही है अथवा नहीं। यदि वह सही है तो यह दुख की बात है। हमें बताया गया है कि इतना समय बीत जाने पर भी वह सब काम पूरा नहीं हो सका है जिसके लिये इस सभा में आश्वासन दिया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि विदेशी सहयोगी भी कुछ ठीक काम नहीं कर सके हैं क्योंकि ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि जो मशीनरी आयात होनी थी और यहां लगाई जानी थी, बड़ी देरी से धीरे धीरे लगाई गई है।

जहां तक इस कम्पनी के प्रबन्ध और उसके सुचारु रूप से चलने का सम्बन्ध है अभी वह वैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिये था। प्रबन्ध निदेशक, जिसे इस काम के लिये नियुक्त किया गया था, अधिकतर समय दिल्ली में ही रहा है तथा वहां जा कर उसने कुछ नहीं देखा है।

इस कम्पनी को विलम्ब के कारण एक करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। यह बात उल्लेखनीय है। कम्पनी में जोखिमों के सम्बन्ध के बारे में भी सभा को बताया जाना चाहिये। सभा को यह भी बताया जाना चाहिये कि वह कम्पनी, सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिये जाने के बाद, कैसे चल रही है तथा निकट भविष्य में इसे किस प्रकार की शक्ति दी जायेगी।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : सीसे और जस्ते की हमारे देश में बहुत कमी है । प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन के लिये इन दोनों धातुओं की नितान्त आवश्यकता है। यही कारण है कि सरकार ने मैटल कारपोरेशन को अपने अधिकार में लेना आवश्यक समझा है ।

सरकार ने यह बहुत अच्छा निर्णय किया है कि कम्पनी के कर्मचारियों को तुरन्त नहीं बदला जायेगा ।

संचालकों तथा प्रबन्ध एजेंटों को मुआवजा न देने का निर्णय प्रबन्ध ऐजेंसी प्रणाली को समाप्त करने की नीति के अनुकूल ही किया गया है ।

हमारा पुराना अनुभव यह था कि कम्पनी को लेने के बाद प्रबन्ध ऐजेंट दस्तावेजों को नहीं दिया करते थे । अब दस्तावेजों को देने के लिये उन्हें जिम्मेदार ठहराया जायेगा । यह भी अच्छा ही काम किया गया है ।

मुआवजे के बारे में निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण की नियुक्ति सरकार द्वारा अर्जित सम्पत्ति के लिये मुआवजा दिये जाने के लोकतंत्रात्मक सिद्धांत के अनुकूल ही की गई है ।

Shri A. S. Saigal (Jangigir): Our national industries and our defence department are suffering a great deal because of the shortage of lead and zinc. These are very much needed for our defence production. Under such circumstances it was but natural for the Government to take steps to take over a company which was not working satisfactorily for the last 20 years in the private sector.

I also welcome the decision taken by Government with regard to the officers and employees of the company.

Another good decision has been taken that the Directors and managing agents will not be entitled to compensation.

श्री सु० कु० डे : हमने कम्पनी को पहली बार अपने हाथ में नहीं लिया है । यह कम्पनी 1965 में ली गई थी और तब से सरकारी नियंत्रणाधीन चल रही है । इसलिये श्री स० मो० बनर्जी की यह बात मेरी समझ में नहीं आई जो उन्होंने कही है कि सरकार को इस कम्पनी को अपने अधिकार में लेने से पहले उसके परिणामों के बारे में विचार कर लेना चाहिये । सरकार ने अलौह धातुओं के खनन तथा विदोहन सम्बन्धी सरकारी नीति के अनुसार ही ऐसा किया है । हमने इस बारे में विधि मंत्रालय तथा अन्य स्थानों में विचार किया है और हमें निश्चय हो गया है कि यहां पर जो व्यवस्था की गई है वह मूल स्वामियों के लिये पर्याप्त क्षतिपूर्ति है । मुझे खेद है कि श्री स० मो० बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि बिड़ला आदि उद्योगपतियों के दबाव के कारण इस कम्पनी का काम सम्भाला गया है तथा सरकार का इरादा भी नेक नहीं था । परन्तु सच्चाई यह है कि इसमें किसी भी उद्योगपति का दबाव नहीं था तथा यह कम्पनी, जब से सरकार ने इसे सम्भाला है शत प्रतिशत सरकारी नियंत्रण में चल रही है ।

उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय 5 सितम्बर को दिया था तथा संसद् का सत्र 7 सितम्बर को स्थगित हो गया था । अतः संसद् में विधेयक का इतनी जल्दी लाना सम्भव नहीं था । इसलिये अध्यादेश जारी करना आवश्यक ही था ।

मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि फ्रांसीसी सहयोगियों से हमारा करार हो गया है तथा भारतीय इंजीनियरों द्वारा पहले बनायी गयी भट्ठी के काम की देखभाल करने के लिये फ्रांसीसी सहयोगियों के विशेषज्ञ नवम्बर के अन्त तक भारत आ रहे हैं ।

अवमूल्यन के बाद की कीमतों के अनुसार भुगतान करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि कम्पनी को अवमूल्यन के बहुत पहले सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया था ।

सरकार इस प्रकार की कम्पनियों को पहले भी अपने अधिकार में लेती आ रही है ।

हमने मुआवजे का भुगतान उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार करने का प्रयत्न किया है ।

मैं सभा को यह तथ्य बताये बिना नहीं रहूंगा कि इस कम्पनी ने 20 वर्षों की अवधि में सन्तोषजनक काम नहीं किया है । जब से सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया है तब से केवल प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है । जस्ते की खान तथा जस्ता गलाने की भट्ठियों के काम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें बहुत अनुभव नहीं है । देरी होने का एक कारण यह भी रहा है । दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार की कम्पनी का प्रबन्ध गैर-सरकारी नियंत्रण से सरकारी नियंत्रण में चला जाता है तो काम के तरीकों तथा मजदूरों के कामकाज के नये ढंगों के बीच तालमेल बैठाने के लिये कुछ समय अवश्य लगता है । इसके अलावा सारा काम ठप हो गया था । ठेकेदारों ने निर्माण-कार्य बन्द कर दिया था तथा वित्त के अभाव के कारण विदेशों से मंगवाये गये उपकरणों को बन्दरगाहों से उठाया नहीं जा सका था । इस प्रकार की बहुत कठिनाइयां थीं ।

तथापि मूल काम में अच्छी प्रगति हुई है । लगभग 80 लाख रुपये की लागत के खनन उपकरण, जो गत दो वर्षों से बन्दरगाह में पड़े हुए थे और जिन्हें कम्पनी के प्रबन्धकों ने उठाया नहीं था, अब उठा लिया गया है और स्थल पर पहुंचा दिया गया है । शैफ्ट लगाने के काम को पुन: आरम्भ कर दिया गया है। जस्ते की भट्ठी के 'लैड-लाईनिंग' के काम को भी पुन: आरम्भ कर दिया गया है । परियोजना को पानी और बिजली देने के बारे में राजस्थान सरकार के साथ समझौता हो गया है । फ्रांसीसी सहयोरेगियों के साथ नये सिरे से करार हो गया है और वे अपने विशेषज्ञ भारत भेज रहे हैं । मैटल कारपो शन आँफ इंडिया की लगभग 472.48 लाख रुपये की देनदारियों का भुगतान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने किया है ।

तकनीकी विशेषज्ञों का साक्षात्कार करके चयन कर लिया गया है ।

सरकार ने इस कारपोरेशन को आर्थिक दृष्टि को भी ध्यान में रख कर ही लिया है । उसे लेने के लिये काफी आर्थिक प्रमाण हैं । यदि हमारे प्रतिरक्षा सम्बन्धी तथा दूसरे उद्योग इस दुर्लभ कच्चे माल पर निर्भर करते हैं तो हमें देश में ही उनका विकास करना चाहिये तथा विदेशों से उनके आयात पर निर्भर नहीं करना चाहिये ।

कारपोरेशन ने इस कम्पनी पर लगभग 12.60 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान लगाया हुआ था । यह अनुमान अवमूल्यन से पहले 1963 में लगाया गया था । इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के पास लगभग 1.7 करोड़ रुपये के पुस्त मूल्य की आस्तियां भी थीं । अत: परियोजना प्राक्कलन को बिना बदले उस पर 12.6 करोड़ तथा 1.7 करोड़ मिला कर अर्थात 14.3 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे । इस निगम को देय प्रतिकर को उस समूचे खर्च में शामिल किया गया है जिसके बारे में मैंने अभी अभी जिक्र किया था ।

[श्री सु० कु० डे]

हमने इस बीच जवार के बाहर के इलाके में, जहां भारतीय धातु निगम इस परियोजना का काम चला रहा था, स्थित जस्ते, सीसे तथा सम्बद्ध धातुओं के काफी भंडारों का पता लगाया है और ऐसी आशा है कि इस परियोजना के चालू हो जाने पर संकेन्द्रक (कौसेंट्रेटर) तथा प्रद्रावक (स्मेल्टर) अपनी पूरी क्षमता के अनुसार काम करने लगेंगे और इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर हम उन खनिज भण्डारों का कार्य, जिनका हमने अब तक अन्यत्र पता लगाया है, तथा जिन्हें हम भविष्य में खोदेंगे, पर्याप्त रूप से संभाल लेंगे ।

जहां तक राजस्थान सरकार का योगदान का सम्बन्ध है, उसने इसके लिए कोई वित्तीय अंशदान तो दिया नहीं है किन्तु उससे यह आशा जरूर है कि वह इस परियोजना के लिए अपेक्षित जल तथा बिजली देगी तथा वहां विधि और व्यवस्था बनाये रखने तथा श्रम समस्याओं के निपटाने में मदद देगी ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजस्थान राज्य के जवार क्षेत्र में और उसके आसपास जस्ते और सीसे के निक्षेपों का लोक हित में सम्भवनीय पूर्णतम मात्रा में समुपयोजन करने तथा उन खनिजों का ऐसी रीति से उपयोग करने के लिये जिससे सर्व सामान्य की भलाई हो, केन्द्रीय सरकार को समर्थ बनाने के प्रयोजन से मेटल कारपोरेशन आंफ इंडिया लिमिटेड के उपक्रम के अर्जनार्थ उपलब्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : इसमें कोई संशोधन नहीं है, अत: मैं सभी खण्डों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 18, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 1 से 18, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 to 18, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री सु० कु० डे : : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

———

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्तुत विधेयक थोड़े से परिवर्तन के साथ, उस अध्यादेश का स्थान ले रहा है जिसे कुछ समय पूर्व पारित किया गया था ।

विधेयक में यह बात स्पष्ट की गई है कि हिस्सों (शेयरों) के हस्तांतरण के केवल कोरे फार्म को हस्तांतरक द्वारा हस्तांतरण की कार्यवाही पूरी किये जाने से पहले निर्धारित अधिकारी के सामने तारीख की मुहर लगाने के लिये पेश किया जाना चाहिये, 'सूची में दिये गये शेयरों' के सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गई है कि शेयरों के हस्तांतरण सम्बन्धी पूर्ण संलेख (इन्स्ट्रुमेंट) को उस तारीख से जिसकी निर्धारित अधिकारी ने मुहर लगाई है, कम से कम दो महीने के भीतर कम्पनी में रजिस्टर करवाया जा सकता है ।

धारा 108 (आई०बी०) में इस पदावलि कि ....."कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 का आरम्भ" के बारे में यह स्पष्ट किया गया है कि वह इस अधिनियम की संगत धारा के उप-बन्धों की लागू होने की तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 1966 को निर्दिष्ट करती है।

1 अप्रैल, 1966 से पहले तथा उसके छः महीने बाद तक की अवधि में प्रचलित ट्रांस्फर फार्मों पर जिन शेयरों का हस्तांतरण किया गया है, उन्हें वैध करार दिया गया है और इस समय जो छूट दी जाती है, उन्हें और भी अधिक बढ़ा दिया गया है जिससे कि शेयरों के अन्य मामलों को उनमें शामिल किया जा सके ।

यह व्यवस्था भी की गई है कि धारा में उल्लिखित अधिकारियों के पास जमा अथवा मनोनीत व्यक्तियों अथवा घोषित न्यासों कम्पनी, सार्वजनिक न्यासधारियों, बैंक संस्थाओं के पास जमा शेयरों से सम्बन्धित ट्रांसफर फार्मों के मामले में सरकार अथवा निगम इन शेयरों के जारी किये जाने की तारीख का पृष्ठांकन करे और ऐसे शेयरों को पृष्ठांकन की तारीख के दो महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिये कम्पनी के पास भेज दिया जायेगा ।

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा किसी कम्पनी में रखे गये शेयरों पर बेनामी हस्तांतरण सम्बन्धी प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे सिवाय इसके कि 1-10-66 के बाद निष्पादित किया गया प्रत्येक हस्तांतरण-संलेख निर्धारित प्रपत्र रूप में होगा ।

प्रस्तुत संशोधन सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह बैंकिंग कम्पनियों (अनुसूचित बैंकों के अतिरिक्त) अथवा वित्तीय संस्थाओं को 1-4-66 के बाद भूतलक्षी तिथि से मंजूरी दे सकती है ।

यह भी स्पष्ट किया गया है कि समय बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार को दिये जाने वाले आवेदन-पत्र उस अवधि के पूर्व अथवा पश्चात पेश किये जा सकते हैं जो कि हस्तांन्तरण के पूर्ण संलेखों को कम्पनी को पंजीयन के लिये प्रस्तुत करने के लिये निर्धारित है ।

[श्री गोपाल स्वरूप पाठक]

ये सभी संशोधन भूतलक्षी प्रभाव अर्थात 1-4-66 से लागू किये गये हैं।

प्रस्तुत विधेयक एक साधारण संशोधन विधेयक है जिसके द्वारा उन कठिनाइयों को दूर करने का विचार है जिन्हें कम्पनी अधिनियम, 1965 के खण्ड 1क, 1ख, 1ग तथा 1घ के लागू किये जाने के पश्चात अनुभव किया गया हैं। इससे कुछ भ्रांतियां भी दूर होती है और कमियां भी पूरी होती हैं। कुछ त्रुटियां भी दूर की गई हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैं प्रस्तुत संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं। उद्देश्य तथा कारण सम्बन्धी विवरण में चाहे कुछ भी बताया गया हो, किन्तु, सचाई तो यह है कि उपबन्ध इतने कमजोर हैं कि बेनामी शेयरों का हस्तांतरण फिर भी किसी नये रूप में चलता रहेगा।

प्रस्तुत संशोधन में उन कदाचारों को रोकने के लिये कुछ भी व्यवस्था नहीं की गई है जो कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा सट्टा बाजारों में किये जाते हैं। विवियन बोस समिति के प्रतिवेदन में मुख्य रूप से उन तरीकों को रोकने की सिफारिश की गई थी--जिनसे बड़ी बड़ी कम्पनियां काला धन बनाती हैं और कर अपवंचन करती हैं। किन्तु प्रस्तुत संशोधन विधेयक का सम्बन्ध इन बातों से कुछ भी नहीं है, वह तो केवल बेनामी हस्तांतरणों को विनियमित करने से सम्बन्धित है।

बेनामी हस्तान्तरणों के दुरुपयोग को रोकने के लिये प्रस्तुत किया गया यह संशोधन इस रूप में किसी भी प्रकार प्रभावी नहीं रहेगा। सरकार को कोई ऐसा वास्तविक विधान लाना चाहिये जिससे काला धन बनाने के तारीकों पर पूरी तरह से रोक लग सके और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को, जिन्हें ये बड़ी बड़ी कम्पनियां ही नियंत्रित करती हैं इस प्रकार काफी शक्तियां देना वांछनीय नहीं है।

श्री व० बा० गांधी (बम्बई मध्य-दक्षिण) : प्रस्तुत विधेयक का स्वागत है। 21 सितम्बर, 1966 को सरकार द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का मैं समर्थन करता हूं। उक्त अध्यादेश तुरन्त जारी किया गया था और ऐसा करना जरूरी था क्योंकि उद्देश्य यह था कि देश में सट्टा बाजारों तथा पूंजी बाजार का काम बे-रोक-टोक चलता रहे।

लोग इस बात को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं कि 1965 में अधिनियम बनाते समय सरकार का यथार्थ उद्देश्य क्या था। इस सभा तथा इसके बाहर एक आम भावना यह फैली हुई है कि कम्पनी सम्बन्धी विधान आमतौर पर हमेशा ही जल्दी बाजी में प्रस्तुत किया जाता है। वांछनीय तारीका यह है कि कम्पनी-कानून बनाने के मामले में काफी सोच-विचार करना और सम्बन्धित हितों के साथ विचार-विमर्श करना जरूरी है।

प्रस्तुत संशोधन 1965 के अधिनियम की त्रुटियों को दूर करता है और उसके उपबन्धों को कुछ दृष्टि से उदार भी बनाता है। किन्तु ऐसे अनेक न्यास है जिन पर धारा 153 लागू नहीं होती और इसी प्रकार के न्यासों की संख्या भी काफी अधिक है, ऐसे न्यासों को छूट देने के लिये कुछ न कुछ जरूर किया जाना चाहिये।

नये उपबन्धों में यह व्यवस्था है कि किसी भी संलेख के हस्तांतरण को एक विशिष्ट अधिकारी को पेश किये जाने चाहिये और वह अधिकारी उस संलेख पर अपनी मुहर लगायेगा अथवा उस तारीख का पृष्ठांकन करेगा जिस तारीख को वह पेश किया गया है। इससे काफी कठिनाई होगी क्योंकि इस मामले में वह अधिकारी कम्पनियों का रजिस्ट्रार ही होगा। हस्तांतरण के सभी संलेखों को यदि पृष्ठांकन के लिये अथवा उन पर मुहर लगाने के लिये उनके पास भेजी जायेगा तो इसमें उनका काफी

समय लगेगा। मेरे विचार म यह आवश्यक है नहीं है कि केवल रजिस्ट्रार को ही एक मात्र इस कार्य का अधिकारी बनाया जाये। यह कार्य अन्य अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। मुझे विश्वास है कि सरकार इन सुझावों पर गम्भीरता से विचार करेगी।

श्री स०मो० बदर्जी (कानपुर): सभापति महोदय सभा के समक्ष में ये सभी संशोधन कम्पनी कानून में) विवियन बोस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में लाये जा रहे हैं। मुझे यह विश्वास नहीं है कि प्रस्तुत विधेयक के पारित हो जाने पर कम्पनियों में कदाचार बन्द हो जायेंगे और इस प्रकार प्रस्तुत संशोधन का उद्देश्य पूरा हो जायेगा। विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार ये लोग कम्पनी के नाम पर अपना पैसा बनाते हैं, कार रखते हें और जमीन खरीदते हैं।

मैसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल फर्म की 1955 में वित्तीय हालत क्या थी ? उसके पास केवल 10–15 लाख प्रदत्त पूंजी थी। आज वे कई फर्मों के मालिक हैं और उनकी प्रदत्त पूंजी कई करोड़ रुपये है। इन छः, सात वर्षों के भीतर उनके पास इतनी पूंजी कहां से आ गई ? हेर फेर करके ही उन्होंने इतनी सम्पत्ति इक्ट्ठी कर ली है।

लक्ष्मी रतन काटन मिल्स (कानपुर) का प्रबन्ध, बहुत खराब है और प्रबन्धकों ने अपने कर्मचारियों तथा अधिकारियों को पिछले तीन मास से वेतन नहीं दिये हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस मिल के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अपने हाथ म लिये जाने की सिफारिश की है। परन्तु केन्द्रीय सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही तेजी से नहीं की जा रही है। एक-दो दिन पहले ही मुझे पता लग. है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक समिति नियुक्त की गई है और समिति के सदस्य लखनऊ गये थे और उन्होंने मुख्य मंत्री तथा अन्य लोगों से बातचीत की थी और बाद में वे कानपुर भी गये थे। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा इस मिल का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने में तीन महीने लगेंगे। सरकार ने मेटल कारपोरेशन आफ इंडिया के प्रबन्ध को तुरन्त संभाल लिया था जब कि इस मामले मे इतनी देरी की जा रही है। इसका कारण यह है कि मंत्रियों तथा राज्यपालों के भाई भतीजे इस फर्म में काम कर रहे हैं। इससे बुरी बात तो यह है कि श्री राम रतन गुप्ता ने अपने तथा अपने भाई श्री राम गोपाल गुप्ता के नाम बकाया आयकर की राशि को, जो 31 अथवा 32 लाख रुपये थी, इस आधार पर बट्टे खाते में डालने के लिये वित्त मंत्री को प्रभावित किया कि उस राशि का भुगतान करने की उनकी क्षमता नहीं है। जब वित्त मंत्री ने इस राशि को बट्टे खाते में डालने की घोषणा की थी तब दोनों सदनों में शोरगुल मचा था।

श्री राम रतन गुप्ता ते श्री सी० बी० गुप्ता की सहायता से उत्तर प्रदेश की राजनीति को दूषित कर रखा है और जिला कांग्रेस समिति के प्रधान की सहायता से कानपुर की राजनीति को दूषित कर रखा है। मुझे कम्पनी कानून प्रशासन के अधिकारियों की निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। उन्हें इस सारे मामले की जांच करने का आदेश दिया जाये।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि श्री राम रतन गुप्ता के आचरण के बारे में निष्पक्ष जांच की जाये और उसे जेल में डाल दिया जाये ताकि देश की राजनीति को दूषित होने से बचाया जा सके।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : हमने देश के लिये मिलीजुली अर्थव्यवस्था स्वीकार की है और हमारा संविधान उचित सीमाओं के अन्दर व्यापार तथा व्यवसाय की गारंटी देती है। इसलिये हमें अपनी मिलीजुली अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): There is no quorum in the House.

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है । सभा की बैठक आध घण्टे के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा तीन बज कर पैंतीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Thirty-five Minutes Past Fifteen of the Clock.)

लोक सभा तीन बज कर पैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled at Thirty-five Minutes Past Fifteen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

श्री गो० ना० दीक्षित : कोरे हस्तान्तरण पर पूर्ण रोक लगाने से उत्पन्न हुई कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से इस विधेयक द्वारा उद्योग को कुछ छूट दी जा रही है । कोरा हस्तान्तरण केवल तुरन्त धन प्राप्त करने का एक तरीका है । कोई भी व्यक्ति अपने ही धन से व्यापार नहीं चला सकता । उसे अन्य साधनों से धन जुटाना पड़ता है । इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : शेयरों तथा ऋण-पत्रों के सम्बन्ध में कम्पनी अधिनियम की धारा 108 का संशोधन विवियन बोस जांच आयोग की सिफारिशों के अनुसार कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1965 द्वारा किया गया था । उस संशोधन का उद्देश्य शेयरों के कोरे हस्तान्तरण को विनियमित तथा नियंत्रित करना था । उस प्रयोजन के लिये धारा 108 में कुछ उपधाराएं भी जोड़ी गई थीं । उसके कुछ समय बाद ही संशोधित उपबन्धों का भी समावेश किया गया । कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सट्टा बाजारों ने भी आपत्तियां उठाईं कि इन उपबन्धों के लागू होने से कोरे हस्तान्तरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लग जायेंगे, हालांकि उन उपबन्धों का उद्देश्य कोरे हस्तांतरण को विनियमित एवं नियंत्रित करना था । राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश यह स्पष्ट करने के लिये जारी किया गया था कि नये उपबन्धों का उद्देश्य कोरे हस्तान्तरणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना नहीं है किन्तु केवल उनके चलन पर प्रतिबन्ध लगाना है । यह विधेयक उस अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है ।

इस विधेयक का उद्देश्य ईमानदार लोगों के लिये कठिनाई उत्पन्न करना नहीं है । इसका मुख्य उद्देश्य उन अनियमितताओं को रोकना है जिनके द्वारा काले धन का चलन होता है ।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : सरकार पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के शेयरों के हस्तान्तरण पर चाहे जो नियन्त्रण रखे, परन्तु उससे इन कम्पनियों के कदाचार और भ्रष्ट व्यवहार को नहीं रोका जा सकता । कम्पनी कानून में ऐसे संशोधनों को शामिल करने में कोई कठिनाई नहीं है जिनसे इन कदाचारों पर रोक लगाई जा सके ।

सरकार को कम्पनी अधिनियम में इक्का-दुक्का संशोधन करने के बजाय सारे संशोधन एक बार ही कर देने चाहियें ।

दोनों ही पुरानी एवं नई कम्पनियों में कम्पनी के निदेशकों को छोड़ कर अन्य अंशधारियों द्वारा लगाये गये धन पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये । कोई ऐसा उपबन्ध लागू किया जाना चाहिये जिससे सरकार नई तथा पुरानी कम्पनियों को साधारण अंशधारियों को अंशदान की तिथि से चालू बैंक दर के हिसाब से लाभांश देने के लिये बाध्य कर सके । इससे कुछ कदाचारों को रोकने में बड़ी सहायता मिलेगी ।

व्यय कर तुरन्त लगाया जाना चाहिये। यह कर कुछ अधिक होना चाहिये जिससे बड़ी कम्पनियों तथा पूंजीपतियों को या तो ठोस बचत करने के लिये या जनता के उस धन पर जिसे उन्होंने खुले दिल से खर्च किया है व्यय-कर देने के लिये बाध्य किया जा सके। वे इन दोनों रास्तों में से कोई सा रास्ता अपना सकते हैं—बचत करें अथवा अधिक व्यय कर दें। पिछले मौसम में मैं मंसूरी गया था। वहां मैंने देखा कि एक महंगे होटल में जिसमें एक कमरे के लिये 125 रुपये प्रति दिन देना पड़ता है, एक कपड़ा मिल मालिक ने 3–4 नामों के अन्तर्गत 13–14 कमरे पूरे मौसम के लिये ले रखे थे। परन्तु यह पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वे सब उस मिल मालिक अथवा मिल के आदमी थे। इस तरह से उनके वहां रहने का खर्चा ही लगभग दो लाख रुपये बैठेगा।

अब प्रश्न यह उठता है कि वह जो रुपया खर्च किया गया था, वह किस का रुपया था। वह सारा रुपया उन लाखों गरीब अंशधारियों का था, जिन्होंने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के नाम से आकर्षित हो कर और यह सोच कर अपना रुपया लगाया हुआ था, कि उनके इस रुपये से अधिक आय अथवा कम से कम व्यापारिक बैंकों की तुलना में अधिक लाभांश प्राप्त होगा।

मेरा विचार है कि यदि विधि मंत्री ने इन दो बातों पर ध्यान दिया होता, तो इस विधान के और अधिक अच्छे परिणाम होते। फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा है मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : इस देश में कोरे हस्तान्तरण की पद्धति बहुत लम्बे समय से चालू है। कोरे हस्तान्तरण का कार्य उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने ईमानदारी से रुपया अर्जित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सौदे किये हैं अथवा जिन्होंने सौदे करके अनुचित लाभ उठाया है।

इस मामले पर विवियन बोस आयोग ने पूर्ण विचार किया था तथा विवियन बोस आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि इन हस्तान्तरणों के चलन पर सीमित प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये। आयोग ने यह सिफारिश नहीं की थी कि कोरे हस्तान्तरणों को समाप्त किया जाये, क्योंकि ऐसा करने से ऋण सुविधाओं तथा पूंजी बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। यदि इस विधेयक के अधीन लगाये गये प्रतिबन्धों के अतिरिक्त और प्रतिबन्ध भी कोरे हस्तान्तरणों पर लगाये जाते हैं, तो परिणाम यह होगा कि कोरे हस्तान्तरणों की नकद भुगतान क्षमता तथा विनियमता पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा।

विवियन बोस आयोग ने सिफारिश की थी कि कानूनी तौर पर कोरे हस्तान्तरण के चलन की अवधि के बारे में प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें ताकि केवल सीमित अवधि के लिये ही कोरे हस्तान्तरणों के शेयरों को रखने की अनुमति दी जा सके। हम ने इस विधेयक के अन्तर्गत केवल दो मास की अवधि नियत की है। दो महीने की अवधि समाप्त होने के बाद नये सौदे किये जा सकते हैं परन्तु कोरे हस्तान्तरण के रूप में किये गये मूल सौदे की विनियमता समाप्त हो जायेगी।

सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर उचित समय पर विचार किया जायेगा। वर्तमान परिस्थितियों में इस विधेयक के उपबन्ध ही सबसे अच्छे हैं। कम्पनी अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है, जिसमें स्वभावतः दोनों ही जगह अर्थात् यहां तथा ब्रिटेन में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

खंड 1—संक्षिप्त नाम ।

Clause 1—(Short title)

संशोधन किया गया ।

Amendment made.

पृष्ठ 1, पंक्ति 3 में —

"Companies (Amendment) Act, 1966." ["कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1966"] के स्थान पर

"Companies (Second Amendment) Act, 1966." ["कम्पनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1966"] शब्द रखे जायें ।

[श्री गोपालस्वरूप पाठक]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये "

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप मे पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

कर्मचारी राज्य बीमा (संशोधन) विधेयक

EMPLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति तथा रोजगार के कारण लगी चोटें एवं कुछ अन्य अवस्थाओं में कर्मचारियों को लाभान्वित करने की व्यवस्था की गई है । यह अधिनियम मुख्यतः उन कारखानों में लागू है, जो बिजली का प्रयोग करते हैं और जिन में 20 अथवा इससे अधिक व्यक्ति काम करते हैं । इस अधिनियम को अन्य संस्थानों में भी लागू किया जा सकता है ।

यह योजना मुख्यतया नियोजकों और कर्मचारियों के वित्तीय अंशदान से चलाई जाती है । अंशदान की दरें प्रथम अनुसूची में दी गई हैं । वर्ष 1951 में अधिनियम में संशोधन करके सारे देश में नियोजकों के विशेष अंशदान की व्यवस्था की गई थी । नियोजकों के अंशदान की दर निर्धारित करने का कार्य केन्द्रीय सरकार को सौंपा गया था ।

[**श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए ।**
Mr. P. Venkatasubbaiah *in the Chair*]

इस योजना का प्रशासन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा चलाया जाता है, जिस के सदस्य दो निर्वाचित संसद् सदस्य, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, नियोजक, कर्मचारी एवं डाक्टर होते हैं । योजना के संचालन के लिए निगम के सदस्यों में से एक स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जो कार्यकारी निकाय के रूप में काम करती है । योजना के दैनिक कार्य का संचालन करने हेतु राज्यवार प्रादेशिक कार्यालय स्थापित किये गये हैं । प्रत्येक प्रादेशिक कार्यालय के अधीन स्थानीय कार्यालय खोले गये हैं जो पंजीकरण के कार्य की देखभाल के अतिरिक्त बीमा शुदा व्यक्तियों के दावे प्राप्त करते हैं तथा नकद लाभों का भुगतान करत हैं । चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये देश भर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के औषधालय खोले हुए हैं । देश के कुल लगभग 38 लाख औद्योगिक कर्मचारियों में से 30 सितम्बर, 1966 तक लगभग 31 लाख कर्मचारियों पर यह योजना लागू की जा चुकी है ।

यह योजना वर्ष 1952 से चल रही है । इस अवधि में प्राप्त अनुभव को देखते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन का सुझाव दिया गया है ताकि योजना

का प्रशासन सरल बनाया जा सके और चन्दे की अदायगी और लाभ के भुगतान की जटिल प्रणालियों को दूर किया जा सके । योजना की कार्य प्रणाली का भी एक उच्चस्तरीय त्रिदलीय समिति ने पुनर्विलोकन किया था । इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । समिति की वे सिफारिशें, जो सम्बन्धित यक्तियों के परामर्श से इस समय विचाराधीन हैं, इस कल्पना पर आधारित हैं कि ऐसे संशोधन किये जायेंगे जो विधेयक में रखे गये हैं और जिन्हें दलों ने पहले ही स्वीकार कर लिया है । इसलिए पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों के निर्णयों की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है । विधेयक में प्रस्तावित मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं :—

(1) योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की वर्तमान वेतन सीमा को 400 रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमास किया जा रहा है, ताकि बीमा योजना के लाभ औद्योगिक कर्मचारियों के बहुत बड़े समुदाय को प्राप्त हो सकें ।

(2) "कर्मचारी" शब्द की परिभाषा को व्यापक बनाया जा रहा है ताकि इस में कारखाने अथवा उस के विभागों के प्रशासन, कच्चे माल की खरीद, कारखाने के उत्पादों के वितरण अथवा बिक्री आदि में लगे हुए व्यक्तियों को भी शामिल किया जा सके ।

(3) "परिवार" शब्द की परिभाषा को विस्तृत किया जा रहा है ताकि बीमाशुदा स्त्रियों के आश्रित माता पिता को शामिल किया जा सके । इस समय केवल बीमाशुदा पुरुषों के आश्रित माता पिता इस में शामिल हैं ।

(4) कर्मचारी बीमा निगम के संसदीय प्रतिनिधियों की संख्या 2 से बढ़ा कर 3 इस विचार से की जा रही है कि उसमें दो सदस्य लोक-सभा से तथा एक राज्य सभा से शामिल किया जा सकें ।

(5) कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को राहत देने के उद्देश्य से कर्मचारियों के लिए अंशदान की छूट की सीमा वर्तमान एक रुपये प्रतिदिन के नीचे से बढ़ा कर 1 रु० 50 पैसे प्रति दिन के नीचे की जा रही है ।

(6) कुछ मामलों में कर्मचारियों की संख्या, उन के वेतन आदि के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर अंशदान का अनुमान लगाने के सम्बन्ध में निगम को समर्थ बनाने के लिए एक नई धारा जोड़ी जा रही है ।

(7) इस अधिनियम के अन्तर्गत एक नया उपबन्ध करके निगम को देय अंशदान वसूल करने के अधिकार दिये जा रहे हैं ।

(8) बीमाशुदा व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर अन्त्येष्टि सहायता के लिए अधिक से अधिक 100 रुपये तक का अनुदान देने की व्यवस्था प्रथम बार की जा रही है ।

(9) बीमारी की अवस्था में दी जाने वाली सहायता के लिये पात्रता की शर्तों को सरल बनाया जा रहा है ।

(10) बीमारी की सहायता के समान ही प्रसूति सहायता की शर्तों को भी सरल बनाया जा रहा है ।

(11) प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसरण में अतिरिक्त राहत देने के लिये प्रसूति लाभ को अधिक व्यापक बनाया जा रहा है ।

(12) प्रत्येक वेतन-वर्ग के मताबिक बीमारी-लाभ का एक मानक दर नियत किया जा रहा है । इसका लाभ यह होगा कि अब निगम के स्थानीय कार्यालयों में व्यक्तिगत मामलों में बीमारी लाभ गणना की आवश्यकता नहीं होगी ।

(14) बीमारी लाभ दर के अतिरिक्त अयोग्यता तथा आश्रितों के लाभों को 25 प्रतिशत और बढ़ाया जा रहा है ।

(15) 15 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को, सिवाय इस के कि जब वे निगम के संतोष के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, आश्रित लाभ की अदायगी के लिए वर्तमान उपबन्ध में यह व्यवस्था करके उदार बनाया जा रहा है कि यह लाभ 18 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को और निर्बल बच्चों को इस उम्र के बाद भी प्राप्त होंगे ।

प्रस्तावित विधेयक में अधिनियम में संशोधन करने के लिए कुछ अन्य संशोधन भी पेश किये गये हैं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस में कुछ अच्छे उपबन्ध किये गये हैं । यह प्रसन्नता की बात है कि योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की वेतन सीमा को 400 रुपये प्रतिमास से बढ़ा कर 500 रुपये प्रतिमास किया जा रहा है ताकि बीमा योजना के लाभ औद्योगिक कर्मचारियों के बहुत बड़े समुदाय को प्राप्त हो सकें । विधेयक के अन्तर्गत "परिवार" शब्द की परिभाषा का विस्तार किया गया है । यह सराहनीय बात है । ब्रिटिश राज के अधीन "परिवार" शब्द की परिभाषा केवल पत्नी तथा वैध बच्चों तक ही सीमित थी, परन्तु अब इस का विस्तार करके इसमें बीमाशदा कर्मचारी की विधवा माता, विधवा बहन तथा किन्हीं अवस्थाओं में परिवार के अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया है ।

विधेयक के अन्तर्गत बीमा शुदा व्यक्तियों के लाभ के लिए 100 रुपये तक अन्त्येष्टि-लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है । अन्त्येष्टि लाभ की यह राशि बहुत ही कम तथा आज कल इस मंहगाई के युग में 100 रुपये की मामूली सी राशि से किसी भी मृत व्यक्ति की अन्त्येष्टि नहीं की जा सकती । हिन्दू समाज में अन्तिम संस्कार करने के लिए कम से कम 200 से 250 रुपये तक की आवश्यकता होती है । हम कार्मिक संघों की निधि से कर्मचारियों को अन्त्येष्टि ऋण देते रहे हैं और मेरा विश्वास है कि 200 अथवा 250 रुपये से कम राशि बिल्कुल अपर्याप्त है । दूसरी बात यह है कि 100 रुपये की जो राशि नियत की गई है, वह तो अधिकतम है । अतः नियोजक वास्तव में केवल 30 अथवा 20 रुपये का लाभ देंगे ।

कुछ नियोजकों के कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अपने अंदशान का भुगतान नहीं किया है। कानपुर के एक उद्योगपति श्री राम रतन गुप्त, जो कि लक्ष्मी रतन काटन मिल्स के मालिक ने कर्मचारी बीमा निगम को अपना अंशदान जिस की राशि $4\frac{1}{2}$ लाख रुपये है का भुगतान नहीं किया है। इस का परिणाम यह होता है कि कर्मचारियों को नुक्सान उठाना पड़ता है और उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभ प्राप्त नहीं होते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे मालिकों पर कानूनी कार्यवाही की गई है या इस अधिनियम के कई उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिये उन मालिकों के बिरुद्ध अभियोग चलाये जा रहे हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के डाक्टरों का बीमारों के प्रति रवैया आपत्तिजनक है। कुछ स्थानों पर तो डाक्टरों का काम केवल यही रह गया है कि वे कर्मचारियों को डाक्टरी सर्टिफिकेट दे देते हैं। अतः उनकी बीमारी आदि का कोई ख्याल नहीं रखते। चिकित्सा सेवा में सुधार करने के लिये मैं सुझाव देता हूं कि कर्मचारियों को उचित चिकित्सा सुविधायें देने के लिये योग्य डाक्टरों की भर्ती की जानी चाहिये।

मंत्री महोदय को इस मामले पर विचार करना चाहिये।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारी असंतुष्ट हैं। उन की मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिये। जब तक कर्मचारी असंतुष्ट होंगे तब तक निगम का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता उन की मांगो को पूरा किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह यह बतायें कि जिन नियोजकों ने निगम को अपने अंशदान का भुगतान नहीं किया है, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है। मैं जानना चाहूंगा हूं कि क्या कर्मचारियों की मांगें पूरी की जा रहीं हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है। तीसरे मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों को दिये जाने वाली अन्त्येष्टि लाभ की राशि कम से कम 250 रुपये कर दी जाये।

श्री काशीनाथ पांडेय (हाता) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इसके द्वारा अधिनियम की क्रियान्विति की बहुत सी कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इस विधेयक से पूर्व केवल 400 रुपय तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों की ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभ दिये जाते थे, अब 500 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी इस से लाभन्वित हो सकेंगे। यह बहुत खुशी की बात है कि "परिवार" शब्द की परिभाषा का विस्तार किया गया है।

कर्मचारियों तथा मालिकों से अंशदान इकट्ठा करने का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जाता है, परन्तु चिकित्सा सुविधायें राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं। ये सुविधायें कर्मचारियों को ठीक प्रकार से नहीं दी जा रहीं हैं और इस सम्बन्ध में बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इस लिये एक सुझाव यह है कि निगम को स्वंय कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ देने का काम संभाल लेना चाहिये। क्योंकि अंशदान निगम लेता है इस लिये चिकित्सा लाभ देना भी उसी का उत्तरदायित्व होना चहिये। विधेयक में एक खंड है जिसके अनुसार यह काम राज्य सरकारों के परामर्श से निगम को मिल जाना चाहिये। परन्तु कोई भी राज्य सरकार इस काम को निगम को सौंपने को तैयार नहीं हो रही। सभा को इस पहलू पर विचार करना चाहिये।

यह विधेयक सभी मौसमी कारखानों पर लागू नहीं होता। यह केवल उन मौसमी कारखानों पर लागू होगा जो कि वर्ष में सात महीनों के लिये काम करते हैं। मौसमी कारखानों के सम्बन्ध में

कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाना चाहिये ताकि वर्ष में चार, पांच अथवा सात महीनों तक काम करने वाले कारखाने भी इस विधेयक के अन्तर्गत आ सकें। इसलिये यदि विधेयक के वर्तमान खण्ड में संशोधन कर दिया जाये तो सभी मौसमी कारखाने इसके अन्तर्गत आ जायेंगे।

मेरा अगला प्रश्न कर्मचारियों की अन्त्येष्टि पर कुछ सहायता करने के बारे में है। यह जो व्यवस्था की गई है कि किसी कर्मचारी के अंत्येष्टि पर निगम 100 रुपये देगा, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरे विचार से यह 100 रुपये की राशि पर्याप्त है। इस पर किसी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इस विधेयेक में अवैद्य बच्चों को लाभ पंहुंचाने की भी व्यवस्था की गई है। दिल्ली, बम्बई आदि औद्योगिक स्थानों में कुछ श्रमिकों की बेवा स्त्रियों के अवैद्य संतान उत्पन्न हो जाया करती थी तथा ऐसे बच्चों के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी ? अब इन बच्चों को लाभ पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई है इसके लिये मंत्रालय बधाई का पात्र है।

मैं एक और बात का उल्लेख भी करना चाहता हूं। कभी-कभी यह भी होता है कि कुछ कर्मचारी धूस देकर डाक्टरों से प्रमाणपत्र ले लेते हैं और छुट्टी लेते हैं। डाक्टरों को भी यह देखना चाहिये कि इस प्रकार की शिकायतें न आयें। उन्हें किसी भी कर्मचारी को तभी प्रमाणपत्र देना चाहिये जब वह वास्तव में बीमार हो। इस प्रकार अवकाश लेना कर्मचारी के लिये लाभदायक हो सकता है परन्तु देश के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं है।

मुझे आशा है कि मत्रालय मेरे सुझावों पर अवश्य विचार करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि जो त्रुटियां मैंने बताई हैं मत्रालय उन्हें दूर करने का प्रयास भी करेगा।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मेरे विचार से ये जो संशोधन सभा में लाये गये हैं वे पुर्नविलोकन समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं मैं आरम्भ में ही यह बता देना चाहता हूं कि इन संशोधनों से कुछ विशेष सुधार होने वाला नहीं है। श्रमिकों ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना को पसन्द नहीं किया है। वह इसे अपनी आय पर भार समझते हैं।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए।**
Shri Sham Lal Saraf *in the Chair*]

बीमाशुदा व्यक्ति इस योजना का यही लाभ समझता है कि यदि वह बीमार पड़ जाये तो उसको औषधि मिल सके। परन्तु किसी किसी औषधि के लिए उसे औषध-विक्रेताओं की दुकानों पर मारे मारे घूमना पड़ता है।

तालिका-चिकित्सकों को औषधियों की जो सूची दी गई है उसका पुर्नविलोकन नहीं किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि चिकित्सक रोगियों का ठीक तरह से उपचार नहीं कर सकते हैं। इस सूची में दर्ज औषधियां पर्याप्त नहीं हैं।

औषध-बिक्रेताओं के पास पूरी औषधियां नहीं होती हैं। उनकी शिकायत यह है कि उनके बिलों का भुगतान नहीं होता है। अतः वे सब औषधियां नहीं खरीद सकते हैं।

ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि औषध-विक्रेताओं की दुकानों पर दो प्रकार की औषधियां होती हैं। वे एक प्रकार की औषधियां नकद खरीददारों के लिए रखते हैं तथा दूसरी प्रकार की औषधियां बीमाशुदा लोगों के लिए। चाहे अधिकारियों की जानकारी में यह बात कई बार लाई गई है फिर भी इस बारे में कुछ नहीं किया गया है।

मैं एक बात कुछ विशिष्ट रोगों के बारे में कहना चाहता हूं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में विशेषज्ञों का परामर्श लेना आवश्यक होता है। मुझे पता चला है कि सूची में तो बहुत से विशेषज्ञों के नाम दर्ज हैं परन्तु आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों को विशेषज्ञों की सहायता प्राप्त नहीं होती है। बीमाशुदा व्यक्ति को रक्त परीक्षा तथा एक्सरे कराने के लिए कम से कम 15 दिन लग जाते हैं।

पहले यह आश्वासन दिया गया था कि बीमाशुदा व्यक्तियों को अस्पतालों में पर्याप्त स्थान दिया जायेगा परन्तु उनको अभी तक पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा है।

अधिकांश श्रमिकों के परिवार गांवों में ही रहते हैं। परन्तु ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे उन लोगों को भी इस योजना से लाभ हो सके।

जब कोई श्रमिक तालिका चिकित्सा से छुट्टी ले कर अपने घर चला जाता है और वहां से अपनी छुट्टी बढ़ाना चाहता है तो वह प्राइवेट डाक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अपनी छुट्टी नहीं बढ़ा सकता है। इस विधेयक में इस बारे में संशोधन करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है।

बीमाशुदा व्यक्तियों को स्थानीय कार्यालयों से रकम वसूल करने के लिए कई बार जाना पड़ता है। इसका परिणाम यह होता है कि उनको इस रकम को वसूल करने का कोई लाभ नहीं होता है क्योंकि उनका आने जाने पर बहुत खर्च हो जाता है।

मेरी समझ में यह बात नहीं आई है कि बीमाशुदा श्रमिकों से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सिफारिश किये जाने पर भी सरकार ने छूट की सीमा 1.50 रुपये रखी है और उसे पुनरीक्षित करके 3 रुपये नहीं किया है।

इस योजना में प्रतीक्षा काल की बात मेरी समझ में नहीं आई है। यदि कोई व्यक्ति सात दिन के लिए बीमार पड़ जाता है तो दो दिन प्रतीक्षा काल के काट लिये जाते हैं। इस प्रकार की शर्त को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति सात दिनों से बराबर बीमार है उसे पहले दिन से ही लाभ मिलना चाहिए।

एक बीमाशुदा व्यक्ति जो हमेशा अपना अंशदान देता रहता है और इस योजना के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं उठाता है, उसे विशेष रियायत दी जानी चाहिए।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : माननीय सदस्य जो अभी अभी बोल रहे थे उन्होंने बीमाशुदा व्यक्तियों को चिकित्सा सम्बन्धी लाभ उठाने में हो रही कठिनाइयों का उल्लेख किया था। यह बात सच है कि बीमाशुदा व्यक्तियों को उचित सेवा प्राप्त नहीं हो रही है अथवा उतनी सेवा प्राप्त नहीं हो रही है जितनी कि अधिनियम के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उन्हें मिलनी चाहिए।

निगम ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल स्कूल अस्पताल को अपने अधिकार में ले लिया है परन्तु अभी तक वह सुचारु-रूप से काम नहीं कर रहा है। प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक ऐसा अस्पताल अवश्य होना चाहिए जो निगम के प्रबन्ध और नियंत्रण में हो। वर्तमान व्यवस्था यह है कि निगम कर्मचारियों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था करता है। परन्तु यह व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है। कभी कभी तो यह होता है कि किसी कर्मचारी को कोई विशिष्ट रोग

लग जाने पर विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त नहीं होती हैं। ऐसा भी होता है कि कर्मचारियों को कुछ औषधियों का भुगतान भी करना पड़ता है। बिना भुगतान किये उन्हें औषधियां नहीं मिलती हैं। माननीय मंत्री को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए।

इस विधेयक में यह व्यवस्था भी है कि चिकित्सा पर होने वाले खर्च का कुछ भार राज्य सरकारें भी वहन करेंगी।

इस योजना के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारी प्राय: गरीब हैं। इस विधेयक में एक उपबन्ध है कि वेतन सीमा को 400 रुपये से 500 रुपये तक बढ़ाया जा रहा है। अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को तो विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त हो जाती हैं परन्तु कम आय वाले कर्मचारियों को कठिनाई उठानी पड़ती है। इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस योजना को न केवल चाय और कांफी कारखानों पर ही लागू किया जाना चाहिए बल्कि इसके अन्तर्गत अन्य मौसमी व्यवसाय भी आने चाहियें।

माननीय मंत्री को यह देखना चाहिये कि प्रशासन श्रमिकों के प्रति, विशेषकर गरीब श्रमिकों के प्रति जागरुक रहता है। इस विधेयक को लाने का यही ध्येय था कि कर्मचारी यह महसूस करें कि उनकी रक्षा के लिए व्यवस्था की गई है। यदि इस विधेयक में कोई त्रुटि रह जाये तो मुझे आशा है कि मंत्री महोदय संशोधन विधेयक अवश्य ले आयेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : सभापति महोदय, संसार का प्रत्येक उन्नत देश अपने नागरिकों के कल्याण के लिए विचार करता है और उसके लिए उपाय करता है। यह विधेयक विधेयक भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार कर्मचारियों को और अधिक सुविधायें देने के लिए विचार कर रही है। विधेयक में बहुत से ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे कर्मचारियों की हालत सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

मैं खण्ड 19, 23 और 51-क का विशेष कर स्वागत करता हूं।

खण्ड 19 के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति काम करते हुए बीमार पड़ जाता है तो वह लाभ का हकदार होगा।

खण्ड 23 विकलांग लाभों के बारे में है। हम इसका स्वागत करते हैं।

खण्ड 51-क भी प्रशंसा योग्य है।

इन खण्डों के अलावा खण्ड 51-ख भी है। कई बार तो यह होता है कि ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं होता है और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसलिए उसको भुगतान नहीं किया जाता है। परन्तु अब इस खण्ड के अन्तर्गत सब ऐसे मामले आ जायेंगे। खण्ड 51-ग के अन्तर्गत, मालिक की गाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले ड्राइवर को भी सभी चिकित्सा लाभ दिये जायेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी कर सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 15 नवम्बर, 1966/24 कार्तिक, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday November 15, 1966/Kartika 24, 1888 (Saka).

MGIPND—LSIII—2331(Ai)LS—27-4-67—600